601
5-1-65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची

अंक 17--मंगलवार, 21 सितम्बर, 1964/7 आश्विन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
451	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर	1695–1701
452	विकलांग बच्चों का उपचार .	1701–02
453	आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण	1703–05
454	चीना का उत्पादन . .	1705–08
455	तृतीय योजना में कृषि उत्पादन	1708–09
464	कृषि उत्पादन .	1709–14
456	सामुदायिक विकास संस्थायें	1714–15

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

7	मैसूर को खाद्यान्न का सम्भरण . . .	1715–18

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
450	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड	1718
457	राष्ट्रीय सड़क योजना .	1719
458	भारतीय नौवहन में विदेशी सहयोग	1719–20
459	चकबन्दी . .	1720
460	चावल मिल की मशीनें	1720–21
461	अनाज व्यापार	1721
462	उर्वरकों का आयात .	1721–22
463	गोदामों का निर्माण	1722–23
465	खाद्यान्नों का सट्टा	1723
466	मैसूर शुगर कम्पनी . . .	1723–24
467	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भैंस के दूध का वितरण . .	1724

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 17--*Tuesday* September 29, 1964 *Asvina* 7, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
451	Delhi State Central Cooperative Store	1695—1701
452	Treatment of Handicapped Children	1701—02
453	Income-tax Appellate Tribunal	1703—05
454	Production of Sugar	1705—08
455	Agricultural Production in Third Plan	1708—09
464	Agricultural Production	1709—14
456	Community Development Institutions	1714—15

Short Notice Question No.		
7	Supply of Foodgrains to Mysore	1715—18

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
450	All India Handicrafts Board	1718
457	National Road Plan	1719
458	Foreign Collaboration in Indian Shipping	1719—20
459	Consolidation of Holdings	1720
460	Rice Mill Machinery	1720—21
461	Foodgrain Trade	1721
462	Import of Fertilizers	1721—22
463	Construction of Godowns	1722—23
465	Speculation in Foodgrains	1723
466	Mysore Sugar Company	1723—24
467	Supply of Buffalo Milk by D.M.S.	1724

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नो के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
468	पत्तनों का विकास .	1725–26
469	अन्तर्देशीय जल परिवहन	1726
470	कलकत्ता पत्तन समुद्री सेवा . . .	1726–27
471	खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना, ले जाना	1727
472	चीनी का उत्पादन .	1727
473	दिल्ली में सहकारी समितियां ..	1727–28
474	पटसन विकास संबंधी समिति	1728
475	कृषि उत्पादन .	1728–29
476	श्री वाल्कट का भाग निकलना	1729–30
477	बन्दरगाहों पर अनाज का उतारा जाना	1730

अतारांकित

प्रश्न संख्या

1405	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	1730–31
1406	उड़ीसा में उपभोक्ता सहकारी स्टोर	1731
1407	फल उत्पाद आदेश, 1955 .	1732
1408	चीनी और गेहूं के मूल्यों में एकरूपता	1732
1409	सन्ताक्रुज हवाई अड्डा .	1733
1410	आस्ट्रेलिया से गेहूं	1733–34
1411	चीनी की मिलें . .	1734
1412	सामाजिक सुरक्षा (अवधान) योजनायें . .	1734
1413	मतों की पुनः गणना सम्बन्धी आवेदन पत्रों की सुनवाई	1734–35
1414	किठौड़ में दुग्ध अभिशीत संयंत्र	1735
1415	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 .	1735–36
1416	पोरबन्दर के प्रकाश स्तम्ध में आग	1736
1417.	कलकत्ता–बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	1736–37
1418	केरल में पर्यटन विकास निगम .	1737
1419	केरल की सड़कें	1737
1420	केरल में राष्ट्रीय राजपथ	1737–38
1421	केरल में सड़कों की लम्बाई	1738
1422	केरल में टैंक नौकायें	1738–39
1423	कृषि ऋण . . .	1739
1424	कीटनाशक दवाइयों को बखेरने के लिये संगठन	1739
1425	सहकारी समितियों द्वारा ऋण	1740
1426	सहकारी विमान के कर्मचारी	1740
1427	डमडम हवाई अड्डे की इमारत . .	1740
1428	प्रशिक्षण देने वाले एक विमान का जल जाना .	1741

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
468	Development of Ports	1725–26
469	Inland Water Transport	1726
470	Calcutta Port Marine Services	1726–27
471	Movement of Foodgrains	1727
472	Sugar Production	1727
473	Cooperative Societies of Delhi	1727–28
474	Committee on Jute Development	1728
475	Agricultural Production	1728–29
476	Escape of Mr. Walcott	1729–30
477	Unloading of Grains at Ports	1730
Unstarred Questions Nos.		
1405	Industrial Estate in Orissa	1730–31
1406	Consumer Cooperative Stores in Orissa	1731
1407	Fruit Products Order, 1955	1732
1408	Uniformity in Prices of Sugar and Wheat	1732
1409	Santa Cruz Air Port	1733
1410	Wheat from Australia	1733–34
1411	Sugar Mills	1734
1412	Social Defence (Care) Schemes	1734
1413	Hearing of Applications for re-count of Votes	1734–35
1414	Milk Chilling Plant at Kithore	1735
1415	National Highway No. 31	1735–36
1416	Fire in Light House at Porbandar	1736
1417	Bridges on Calcutta-Bombay National Highway	1736–37
1418	Tourist Development Corporation in Kerala	1737
1419	Roads in Kerala	1737
1420	National Highway in Kerala	1737–38
1421	Road Mileage in Kerala	1738
1422	Tanks Boats in Kerala	1738–39
1423	Agricultural Credit	1739
1424	Organisation for Spraying of Insecticides	1739
1425	Cooperative Credit Supply	1740
1426	Staff of Cooperative Department	1740
1427	Dum Dum Airport Building	1740
1428	Burning of a Training Aircraft	1741

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1429	अन्धों की संस्था .	1741–42
1430	दिल्ली–हरिद्वार बस मार्ग . .	1742
1431	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली	1742–43
1432	शटल स्टीमर सेवा .	1743
1433	गंडक नदी पर गथेमी घाट पर पुल	1743–44
1434	कन्या कुमारी-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ	1744
1435	पालम हवाई अड्डे पर अग्नि कांड	1744
1436	सहकारी प्रबन्ध में प्रशिक्षण	1744–45
1437	गुड़ के मूल्य . . .	1745
1438	महाराष्ट्र में चावल और गेहूं की कमी	1745
1439	संगणक परियोजना . . .	1746
1440	भेड़ प्रजनन योजना . . .	1746–47
1441	खाद्यान्न व्यापारियों से ज्ञापन-पत्र .	1747
1442	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में दाखिला	1747–48
1443	दिल्ली में वेश्यावृत्ति .	1748
1444	गेहूं के तस्कर व्यापारियों का गिरोह	1749
1445	ग्राम्य पुर्ननिर्माण . .	1749
1446	सामाजिक सेवाओं के लिये निरीक्षकालय . .	1749–50
1447	गुड़ और मेवा का वितरण . . .	1750
1448	दिल्ली के चारों ओर भूकम्पीय पट्टी	1750–51
1449	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास .	1751
1450	वाराणसी में हस्तनिर्मित कागज उद्योग	1751–52
1451	कृषि के लिये आवंटन	1752
1452	चावल का उत्पादन .	1753
1453	वन-उत्पादों का मूल्य-निर्धारण .	1753
1454	फल तथा वनस्पति उत्पादन का विकास	1753–54
1455	"एक पर्यटक की शिकायत"	1754–55
1456	बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति .	1755
1457	मावा लाने ल जाने पर रोक . .	1755
1458	हार्बर लांच और नौ सेना के जहाज में टक्कर	1755–56
1459	कोटा में फ्लाइंग क्लब	1756
1460	"साइकोसेल" . .	1756
1461	पंजाब के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र .	1757
1462	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं . .	1757
1463	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त का पंजाब का दौरा . . .	1758
1464	पंजाब में अनुसूचित जातियों का उत्थान	1758

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1429	Institute for the Blind	1741—42
1430	Delhi-Hardwar Bus Route	1742
1431	I.A.R.I. Estate, New Delhi	1742—43
1432	Shuttle Steamer Service	1743
1433	Bridge on Gandak at Gathemi Ghat	1743—44
1434	Cape Comorin –Bombay National Highway	1744
1435	Fire Accident at Palam Airport	1744
1436	Training in Cooperative Management	1744—45
1437	Gur Prices	1745
1438	Shortage of Rice and Wheat in Maharashtra	1745
1439	Computer Project	1746
1440	Sheep Breeding Scheme	1746—47
1441	Memorandum from Foodgrain Traders	1747
1442	Admission in I.A.R.I.	1747—48
1443	Prostitution in Delhi	1748
1444	Wheat Smugglers Gang	1749
1445	Rural Reconstruction	1749
1446	Inspectorates for Social Services	1749—50
1447	Distribution of Gur and Dry Fruit	1750
1448	Earthquake Belt around Delhi	1750—51
1449	Development of Hill Areas	1751
1450	Hand-made Paper Industry at Varanasi	1751—52
1451	Allocation for Agriculture	1752
1452	Rice production	1753
1453	Fixation of Prices of Forest Produce	1753
1454	Development of Fruit and Vegetable Production	1753—54
1455	"A Tourist's Complaint"	1754—55
1456	National Policy for Children	1755
1457	Ban on Khoya Movement	1755
1458	Collision of Harbour Launch on Navy Ship	1755—56
1459	Flying Club at Kotah	1756
1460	"Cycocel"	1756
1461	Backward Hilly Areas of Punjab	1757
1462	Wells for Scheduled Castes in Punjab	1757
1463	S.C. & S. T. Commissioner's Visit to Punjab	1758
1464	Uplift of Scheduled Castes in Punjab	1758

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1465	पंजाब में अम्बर चरखा	1759
1466	राणाघाट कूपर्स कैम्प	1759–60
1467	ग्राम स्वयं सेवक सेना	1760
1468	गुलमर्ग में होटल और रज्जू पथ	1760–61
1469	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें	1761
1470	राष्ट्रीय राजपथों पर मील पत्थर	1761–62
1471	केरल में ग्राम चुनाव	1762
1472	मौसम के बारे में जानकारी देने वाले उपकरण	1762–63
1473	सहकारी चीनी मिलें	1763
1474	अमरीकी वन विशेषज्ञों का दौरा	1763–64
1475	नेपाल से विमान सेवा सम्बन्धी समझौता	1764
1476	पंचायती राज वित्त संसाधनों पर अध्ययन दल	1764–65
1477	विधियों का हिन्दी में अनुवाद	1765
1478	पंजाब में कुटीर उद्योग	1765–66
1479	आन्ध्र प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	1766
1480	चीनी के कारखाने	1767
1481	जलयानों का टकरा जाना	1767
1482	कर्मचारी भविष्य निधि	1768
1483	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम/जातियों का कल्याण	1768–69
1484	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कानूनी सहायता	1769
1485	"पैकेज" कार्यक्रम	1769–70
1486	भेड़ों का आयात	1770
1487	खाद्य उपभोग सम्बन्धी सर्वेक्षण	1770
1488	खाद्यान्न मूल्य देशनांक	1771
1489	जहाजों की परिदान (डिलीवरी) कार्यक्रम	1771
1490	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची	1771
1491	कचार में चीनी का कारखाना	1771–72
1492	खादी आयोग, बम्बई	1772
1493	मीना बक्कम हवाई-अड्डा	1772
1494	मुरादाबाद में रामगंगा के ऊपर पुल	1772
1495	किछा में चीनी का कारखाना	1773
1496	गुलाबी चने	1773
1497	कृषि विश्वविद्यालय	1773–74
1498	दिल्ली के आस पास सब्जियों का उत्पादन	1774–75
1499	केन्द्रीय खाद्य सेवा	1775
1500	टर के दानों से बना मक्खन	1776

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1465	Ambar Charkha in Punjab	1759
1466	Rana ghat Coopers' Camp	1759—60
1467	Village Volunteer Force	1760
1468	Hotel and Ropeway at Gulmarg	1760—61
1469	Sugar Mills in Uttar Pradesh	1761
1470	Mile-Stones on National Highways	1761—62
1471	General Elections in Kerala	1762
1472	Weather Reading Instruments	1762—63
1473	Cooperative Sugar Mills	1763
1474	Visit of American Forest Experts	1763—64
1475	Air Agreement with Nepal	1764
1476	Study Team on Panchayati Raj Finances	1764—65
1477	Translation of Laws into Hindi	1765
1478	Cottage Industries in Punjab	1765—66
1479	Andhra Pradesh Khadi and Village Industries Board	1765
1480	Sugar Factories	1767
1481	Loss of Sailing Vessels	1767
1482	Employees Provident Fund	1768
1483	Welfare of S.C. & S.T.	1768—69
1484	Legal Assistance for S.C. & S.T.	1769
1485	Package Programme	1769—70
1486	Import of Sheep	1770
1487	Survey of Food Consumption	1770
1488	Foodgrain Price Indices	1771
1489	Delivery Schedule of Ships	1771
1490	List of S.Cs. and S.Ts.	1771
1491	Sugar Factory in Cachar	1771—72
1492	Khadi Commission, Bombay	1772
1493	Meenambakkam Airport	1772
1494	Bridge over Ramganga at Moradabad	1772
1495	Sugar Factory at Kichha	1773
1496	Gulabi Gram	1773
1497	Agricultural Universities	1773—74
1498	Production of vegetables around Delhi	1774—75
1499	Central Food Service	1775
1500	Peanut Butter	1776

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1501	खाद्यान्न के गोदामों का निर्माण	1776
1502	परिवार निवृत्ति वेतन योजना	1776
1503	खाद्य विभाग का कैफिटेरिया सहकारी स्टोर्स लिमिटेड	1776–77
1504	खाद्य विभाग का पुनर्गठन	1777–78
1505	भूख से मौतें	1778
1506	मेंढक की टांगों का निर्यात	1778–79
1507	कलकत्ता–अगरतला विमान सेवायें	1779
1508	मंगलौर–बन्दरगाह	1780
1509	केरल को चावल का सम्भरण	1780–81
1510	केन्द्रीय पर्वत क्षेत्र समिति	1781
1511	सहकारी ऋण समितियां	1781–82
1512	ऋण न अदा करने का दोष	1782
1513	भंगियों के बच्चों के लिए होस्टल	1783
1514	आलू के बीज का आयात	1783
1515	नागपुर–भंडारा राजपथ	1783–84
1516	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था	1784
1517	चीनी के राशन कार्ड	1784–85
1518	कर्मचारियों की छंटनी	1785
1519	रामबुलिट नस्ल की भेड़	1785
1520	पटना में गंगा पर पुल	1785–86
1522	मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम	1786
1523	चीनी का उत्पादन	1786–87
1524	राकेट छोड़ना	1787
1525	समुद्री इंजीनियरिंग कारखाना	1787
1526	वन सम्पत्ति	1788
1526-क	जम्मू श्रीनगर सड़क	1788–89

दिनांक 13 सितम्बर, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1896 के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जीवन बीमा निगम के प्रभागीय कार्यालय में आग लगना

श्री पें० वेंकटासुब्बया 1789–91

श्री ल० ना० मिश्र 1789

सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार 1789–91

सभा पटल पर रखे गये पत्र 1792–93

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 1793

कार्यवाही--सारांश

Unstarred Questions Nos	*Subject*	PAGES
1501	Construction of Foodgrain Storage Godowns	1776
1502	Family Pension Scheme	1776
1503	Food Department Cafeteria Co-operative Stores Ltd.	1776–77
1504	Reorganisation of Food Department	1777–78
1505	Starvation Deaths	1778
1506	Export of Frog Legs	1778–79
1507	Calcutta Agartala Air Service	1779
1508	Mangalore Harbour	1780
1509	Supply of Rice in Kerala	1780–81
1510	Central Hill Areas Committee	1781
1511	Cooperative Credit Societies	1781–82
1512	Default in Repayment of Loan	1782
1513	Hostels for Children of Scavengers	1783
1514	Import of Seed Potatoes	1783
1515	Nagpur-Bhandara Highway	1783–84
1516	Indian Agricultual Research Institute	1784
1517	Sugar Ration Cards	1784–85
1518	Retrenchment of Employees	1785
1519	Rambouillet Sheep	1785
1520	Bridge on Ganges at Patna	1785–86
1522	Poultry Development Programme	1786
1523	Sugar Production	1786–87
152 .	Rocket Launching	1787
1525	Marine Engineering Factory	1 787
1526	Forest Wealth	1788
1526-A	Jammu-Srinagar Road	1788–89

Correction to Answer to U.S.Q. No. 1896 dated 13-9-1963 — 1789—91

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Outbreak of fire in Divisional Office of L.I.C. — 1789

Shri P. Venkatasubbaiah — 1789—91

Shri L.N. Misra — 1792

Papers laid on the Table

Committee on Government Assurances — 1792–93

Minutes — 1793

परिवहन सहकारी समितियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर में शुद्धि 1793–94

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक 1794–1809

विचार करने का प्रस्ताव 1794

श्री स० मो० बनर्जी 1794

श्री व० बा० गांधी 1795

श्री प्रभात कार 1795–96

श्री नारायण दांडेकर 1796–98

श्री मुरारका . . . 1798–1800

श्री हेडा 1800

श्री उ० मू० त्रिवेदी 1800–02

श्री रामेश्वर राव 1802

श्री काशी राम गुप्त 1802–04

श्री सिंहासन सिंह 1804

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 1804–05

श्री यशपाल सिंह 1805

श्री ति० त० कृष्णमाचारी 1805–07

खंड 2 से 20 और 1 1807

पारित करने का प्रस्ताव 1807

श्री ति० त० कृष्णमाचारी 1807–09

प्रेस परिषद् विधेयक 1810–15

संयुक्त समिति की निर्दिष्ट करने की राज्य सभा की सिफारिश के बारे में सहमति प्रस्ताव

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन 1810–12

श्री दी० चं० शर्मा 1812–15

श्री बड़े 1815

बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य 1815

डा० कु० ल० राव 1815

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा 1815–19

श्री उमानाथ 1815–17

श्री ब० रा० भगत 1817–19

Subject	PAGES
Correcrtion of Answer to Starred Question No. 182 re: Transport Cooperatives	1793—94
Direct Taxes (Amendment) Bill	1794—1809
Motion to consider	1794
Shri S.M. Banerjee	1794
Shri V.B. Gandhi	1795
Shri Prabhat Kar	1795—96
Shri N. Dandekar	1796—98
Shri Morarka	1798—1800
Shri Heda	1800
Shri U.M. Trivedi	1800—1802
Shri Rameshwar Rao	1802
Shri Kashi Ram Gupta	1802—1804
Shri Sinhasan Singh	1804
Dr. L.M. Singhvi	1804—05
Shri Yashpal Singh	1805
Shri T.T. Krishnamachari	1805—07
Clauses 2 to 20 and 1	1807
Motion to pass	1807
Shri T.T. Krishnamachari	1807—04
Press Council Bill	1810—15
Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to refer to Joint Comm ttee	
Shri C.R. Pattabhi Raman	1810—12
Shri D.C. Sharma	1812—15
Shri Bade	1815
Statement re : Flood situation	1815
Dr. K.L. Rao	1815
Half-an-Hour Discussion re : Development of Backward areas	1815—19
Shri Uma Nath	1815—17
Shri B.R. Bhagat	1817—1819

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is trans ated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English Hindi]

1421 (Ai) LSD—1.

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 29 सितम्बर, 1964/7 आश्विन, 1886 (शक)

Tuesday, September 29, 1964/Asvina 7, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर

\+

*451. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बड़े :
श्री कपूर सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक या कई वस्तुओं के सम्बन्ध में चोर-बाजारी के और/अथवा अन्य प्रकार के कदाचारों के आरोपों के कारण दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर पर अभियोग चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) श्री राम लाल, प्रबन्ध निदेशक और कुमारी शकुन्तला सुल्हण, सचिव, दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भण्डार ।

(ग) आरोप हैं कि दिल्ली केन्द्रीय सहकारी भण्डार ने--

(1) गैर-लाइसेंस शुदा स्थानों पर गुड़ बेचा ;

(2) गुड़ की बिक्री के बारे में पूरा और सही लेखा नहीं रखा; और

(3) दिल्ली खांडसारी तथा गुड़ डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश, 1963 के अन्तर्गत अपेक्षित स्टाक, प्राप्ति और डिलिवरी के पाक्षिक विवरण नियमित रूप से निदेशक, खाद्य तथा सिविल रसद, दिल्ली प्रशासन को नहीं भेजे ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सच है कि इस सहकारी स्टोर में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बावजूद भी इस सहकारी समिति को उन 10 या इससे अधिक सहकारी समितियों में शामिल नहीं किया गया है जिनके बारे में आर्थिक स्थिति और कार्य सम्बन्धी जांच के लिये आदेश दिया गया है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी नहीं । इस स्टोर को भी अन्य सहकारी समितियों में शामिल किया गया है जिनकी जांच की जानी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इन सहकारी समितियों के कार्य और आर्थिक स्थिति की जांच के लिये जो समिति नियुक्त की गई है, दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर के सभापति उसके एक सदस्य हैं जो कि प्रत्यक्षतः इस में अन्तर्ग्रस्त हैं परन्तु जो शायद दोषी न हों जिसके कारण सरकार अच्छी तरह जानती है, लेकिन वह इस सौदे में अन्तर्ग्रस्त हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कुछ समितियों के निहित हितों और जालसाजियों की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है । यह एक अखिल भारतीय समिति है और श्री ब्रह्मप्रकाश इस के सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर यह प्रश्न बार बार दोहराया गया है कि श्री ब्रह्मप्रकाश के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है । सदस्य यह शिकायत करना चाहते थे । अब प्रश्न यह है कि जब कि वह एक ऐसी समिति से सम्बन्ध रखते हैं जिस पर निश्चय ही शक किया जा सकता है और जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है, फिर उस स्टोर के सभापति को, जिसके मामलों की जांच की जा रही है, जांच समिति का सदस्य क्यों बनाया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बहुत बुरी बात है ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं बताता हूं । इस में एक गलतफहमी है . . .

श्री हरि विष्णु कामत : तो फिर बताइये वह क्या है ।

श्री सु० कु० डे : देश भर में सहकारी समितियों के मामलों में जालसाजी और निहित हितों की जांच के लिये मंत्रालय द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है। राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष इस समिति के सभापति हैं। स्वभावतः विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को हमें उस में लेना होता है। चौधरी ब्रह्मप्रकाश, जो दिल्ली राज्य सहकारी समिति के सभापति हैं सहकारी संघ के महा सचिव हैं और इस नाते उन्हें इस जांच समिति में शामिल किया गया है। दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी समिति के मामलों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो प्रश्न 473, जो इस से सम्बन्ध रखता है, का कृपया उत्तर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी सहायता करें तो हम उस प्रश्न तक पहुंच सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं वायदा करता हूं कि मैं और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा, परन्तु फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पायेंगे।

क्या आप माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट हैं? आपने स्वयं मंत्री से सीधा प्रश्न पूछा।

अध्यक्ष महोदय : सभा को इस उत्तर से संतुष्ट होना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : फिर यह सब एक ढोंग है :

श्री रंगा : यह एक ढोंग है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप इस उच्च स्थान पर बैठ कर हम से सहमत नहीं होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या हम नीचे बैठ जायें और कार्यवाही बन्द कर दें ?

श्री हरि विष्णु कामत : आप स्वयं न्यायाधीश रह चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझ से क्या चाहते हैं ? दो प्रश्न पूछे गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल उत्तर को और स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति को जांच समिति में नियुक्त किया गया है। फिर जांच क्या होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह भी तो अर्थ हो सकता है कि मैं एक अच्छा न्यायाधीश नहीं था।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, आप तो बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, परन्तु सरकार अच्छी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। उन्हें अब आगे कार्यवाही करने देनी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : We are opposed to the inclusion in this Committee of a person against whom there are so many charges and who is responsible for so many scandals.

Shri Yashpal Singh : Have Government pondered over the suggestion given so many times in this very House that the Culprit should not be the judge. How can the enquiry be completed unless such persons, against whom enquiry is proceeding, are removed from their places.

Mr. Speaker : I had asked this very question to which he has already given a reply I remember to have put this very question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : That has not been answered.

Mr. Speaker : Answer has been given.

Shri Yashpal Singh : What is the opinion of the Government about this that impartial enquiry cannot be conducted while they are in office.

Mr. Speaker : Opinion cannot be asked during the Question Hour.

Shri Bade : Is it a fact that an enquiry similar to that of *gur*, is being held against Shri Brahm Prakash regarding Steel also ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी, हां ।

Shri Bade : The enquiry regarding steel.....

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह नहीं आता । उन्होंने एक प्रश्न पूछा और उसका उत्तर हां में दे दिया गया है । फिर वह दोबारा खड़े हो कर तर्क कर रहे हैं । हम इस तरह कैसे आगे बढ़ सकते हैं ।

श्री रंगा : उनके बिरुद्ध दो जांचें चल रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, दो जांचें चल रही हैं, यह बात मान ली गई है । अब हमें आगे कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री रंगा : दल को विवेक से काम लेना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : वे विवेक से काम लेना जानते ही नहीं ।

श्री ब० सू० मूर्ति : जहां तक गुड़ के मामले का सम्बन्ध है, मैं उत्तर दे चुका हूं कि इसके बारे में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वह अब लम्बित पड़ा है । इस्पात के मामले के सम्बन्ध में बात यह है कि पुलिस ने इसकी जांच की है और पता लगा है कि प्रत्यक्षत: इस्पात और लोहा उन व्यक्तियों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है, परोक्ष रूप से बेचा गया है और उसके बारे में इस स्टोर के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है ।

श्री कपूर सिंह : में इस अखिल भारतीय जांच समिति के बारे में जानना चाहता हूं सहकारी क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार को देखते हुए, क्या यह समिति इस देश में सहकारिता की विधि और प्रक्रियाओं के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने और उन में परिवर्तन करने के लिये सक्षम है ?

श्री सु० कु० डे : मैं नहीं समझता कि भ्रष्टाचार इतना व्यापक है जितना कि माननीय सदस्य बता रहे हैं, परन्तु भ्रष्टाचार निश्चय ही है और हम उन्हें आरम्भ में ही दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जब तक आप इसका वास्तविक अध्ययन न करें आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार सदस्यों को बोलने की आज्ञा नहीं दूंगा । जब तक मैं किसी सी सदस्य का नाम न लूं उसे बोलना नहीं चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, This is a very important question. Every Member should get an opportunity to speak.

Mr. Speaker : Should I, then, leave other questions? I cannot allow more than one question by a Member.

वह जानना चाहते हैं कि क्या इन समस्त बातों की जांच करना समिति के कार्य क्षेत्र में है

श्री सु० कु० डे : किस की जांच करना ?

अध्यक्ष महोदय : समितियों के कार्यों अथवा अनियमितताओं के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच करना ।

श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह समिति सहकारी क्षेत्र की विधि तथा प्रक्रियों की पूर्ण रूप से जांच करने और उन में फेरबदल करने के लिये भी सक्षम है ? क्या यह समिति यह कार्य भी करेंगी ?

श्री सु० कु० डे : देश के विभिन्न भागों में सहकारी समितियों के कार्यों का अध्ययन करने और तथ्यों को सुनिश्चित करने के पश्चात् समिति अपनी सिफारिश देगी और यदि वर्तमान कानूनों में संशोधन करना आवश्यक समझा गया तो इसका ख्याल रखा जायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक सच है कि इन सहकारी स्टोरों द्वारा बहुत सी गलतियां अनभिज्ञता के कारण होती हैं न कि बेईमानी के कारण ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : फिर उन्हें इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या दिल्ली सहकारी स्टोर तथा इसके अध्यक्ष, जो इस सभा के सदस्य हैं, के आचरण के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं और क्या उन्हें काननूनी राय जानने के लिये महावांदेक्षक को भेजा गया था और यदि हां, तो क्या महावादेक्षक ने सभी कागजात, अपनी हत्या से पूर्व, अपनी टिप्पणियों सहित भेज दिये हैं। यदि नहीं, तो उन आरोपों पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह आरोप नहीं है । वह आरोपों के बारे में न बतायें । उन्ह यह बताएं कि तथ्य क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उपमंत्री का कहना है कि उन के पास जानकारी नहीं है । उन्हें आरोपों के बारे में नहीं अपितु तथ्यों के बारे में कहना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : वह बता सकते हैं कि क्या मामला महा वादेक्षक को भेजा गया था अथवा नहीं । माननीय विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन से इस के लिये नहीं कह सकता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Brahm Prakash is involved in these cases, *viz.*, of *gur*, steel and Coal which are under investigation of this Committee, Why is a person against whom there are charges being taken in this Committee ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जांच समिति सहकारी समिति में भ्रष्टाचार कपट आदि की जांच करेगी। यह समिति स्टोरों के कार्य की जांच नहीं करेगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question has not been answered.

Mr. Speaker : Your question has been answered twice. There are two seperate Committees. one is headed by the Speaker of Rajasthan Legislative Assembly and it will look after the co-operative societies in a general way. Shri Brahm Prakash is also a member of this Committee. Another Committee in which Shri Brahm Prakash is not included is conducting enqiury against the Cooperative Societies. This is a separate Committee. What I have understood is this.

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : इन सहकारी स्टोरों के कुछ पदधारियों के विरुद्ध अभियोजन का आदेश देते समय और स्टोरों द्वारा की गई बिक्री संबंधी अनियमिताओं के बारे में निर्णय करते समय क्या चौधरी ब्रह्मप्रकाश के मामले पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था और क्या इन मामलों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने में अखिल भारतीय सहकारी संघ में उन के संयुक्त सचिव के पद और सहकारी क्षेत्र में उनका जो ऊंचा स्थान है इन सब बातों को बाधा नहीं बनने दिया गया था ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस ने इसकी पूर्ण जांच की है और पर्याप्त जानकारी और साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् पुलिस ने श्री रामजीलाल और कुमारी शकुन्तला सोल्हान के विरुद्ध मुकद्दमे चलाये हैं। इस समय चौधरी ब्रह्मप्रकाश के विरुद्ध कोई मामला नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस समिति के सदस्य किस आधार पर नियुक्त किये जा रहे हैं। और यह समिति अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से कब दे रही है ?

श्री सु० कु० डे : मैं नहीं समझता माननीय सदस्य किस समिति का जिक्र कर रहे हैं। क्या माननीय सदस्य का आशय दिल्ली राज्य की जांच समिति से है ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जी, हां ।

श्री सु० कु० डे : यहां कोई ऐसी समिति नहीं है, जो जांच कर रही हो। मुकदमे की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त महा लेखा परीक्षक के प्रतिनिधियों ने लेखा परीक्षण का भी कुछ काम किया है और अब स्वयं रजिस्ट्रार कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या वह एक स्त्री और पुरुष ही सहकारी समतियों के कानूनों की गरफत में आ सकते हैं और सहकारी बैंक के निदेशक बिलकुल बेकसूर हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कानूनी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । अगला प्रश्न ।

विकलांग बच्चों का उपचार

+

*452. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : }

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "आकुपेश्नल थेरापी इन्स्टीट्यूट" के बहुत से विकलांग बच्चे, जो कुछ समय पूर्व कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में उपचार तथा चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श के लिये गये थे, अब भारत वापस आ गए हैं, और उनका विदेशी विशेषज्ञों द्वारा बताया गया विशेष उपचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये उपचार की उन पर क्या प्रक्रिया है और उन के भविष्य के बारे में क्या आशायें हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). चौदह विकलांग बच्चे जो विदेश गये थे वापस आ गये हैं । विदेशी विशेषज्ञों द्वारा उन की परीक्षा तथा उन से सम्बन्धित मामलों पर बातचीत, रोगियों तथा संस्था द्वारा भेजे गये अनुरक्षकों—दोनों के लिये लाभ दायक सिद्ध हुई है । इस का लाभ रोगियों के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी पड़ा जो कि इस तरह के उपचार का अभिन्न अंग है ।

इतनी जल्दी इसके परिणामों का पूर्ण रूप से अंदाज लगाना कठिन होगा परन्तु विदेशी विशेषज्ञों द्वारा निश्चित किये गये अनुवर्ती उपचार का कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या इस आकुपेशनल थेरापी इन्स्टीट्यूट के डाक्टर बच्चों को सिफारिश किये गये सभी उपचारों को देने के लिये सक्षम हैं अथवा इस विशिष्ट उपचार के लिये उन्हें विदेशी विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगी । विदेश जाने के लिये उन बच्चों ने जितनी भी सहायता मांगी है हम ने वह सहायता दी है । यह एक स्वयं सेवी संगठन है । अन्य ब्योरों के बारे में मैं नहीं जानती ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह देखते हुए कि विकलांग बच्चों के विदेशों के दौरो सफल हुए हैं और इनकी आवश्यकता है, क्या भविष्य में अधिक संख्या में विकलांग बच्चों को विदेशों में भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सरकार अपनी ओर से इन बच्चों को बाहर नहीं भेजती है यह एक स्वयं सेवी संगठन है : उस ने कुछ सहायता मांगी थी और यह सहायता शिक्षा मंत्री के विवेकानुदान से दे दी गई थी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार जनता की इन शिकायतों से अवगत है कि बच्चों के चुनने में भेद भाव बरता जाता था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं उन से अवगत नहीं हूं ।

Shri Bade : Is it a fact that it is only the State Governments that are giving assistance to the handicapped children and no assistance is given by the Centre ?

The Minister of Law and Social Security (Shri A.K. Sen) : This is not correct. Centre does give assistance.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the total amount spent on these children and whether part of the expenditure was given by the children or whole of it was borne by the Government ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : दौरे पर कुल खर्च 54,000 रू० आया था। सरकार से 10,000 रु० की मांग की गई थी जिस में से केवल 7,000 रु० शिक्षा मंत्री के विवेकानुदान से दिये गये थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार बता सकती है कि देश में ऐसे कितने विकलाग बच्चे हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के उपचार की आवश्यकता है, । और इस समय कुल कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं। और कितने बच्चों को वह उपचार मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री इस से अवगत हैं कि कुछ बच्चे जो विदेश गये हैं उन्हें कुछ सहायता दी गई है, और उन में से कुछ का मुफ्त इलाज किया गया है और क्या मंत्री इन बच्चों को पुनः विदेश जाने और इस विशिष्ट उपचार को देने के लिये जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है सहायता देंगे ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : यदि सहायता के लिये प्रार्थना पत्र मिलेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण

+

*453. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री प्र० के० देव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त करने के विरूद्ध भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों के संघ ने कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में मुख्य रूप से किन-किन बातों पर जोर दिया गया है ; और

(ग) उस पर कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, ।

(ख) अभ्यावेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल ी-3267/64 ।]**

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

Shri Yashpal Singh : Have Government ever given thought to the fact that thousands of cases are pending what Government is going to do of these cases in case these courts are abolished ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : इस बात को भी हम ध्यान में रख रहे हैं । निश्चय ही यह एक गंभीर मामला है जिसपर विचार किया जाना है ।

Shri Yashpal Singh : Do Government think that a new branch will be opened for this in the High Court ?

श्री अ० कु० सेन : यदि इसे समाप्त करने का निर्णय किया गया तो हम इसके लिये कोई उपाय सोचेंगे । अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार यह समझती है कि अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त करने से आय कर की चोरी को रोकने में सरकार को काफी सहायता मिलेगी ?

श्री अ० कु० सेन : मैं ऐसा नहीं समझता । सरकार ने अभी इस मामले पर विचार नहीं किया है । यदि इन सभी पिछले वर्षों में इन मामलों को निवटाने के लिये न्यायाधिकरणों के पास पूर्ण अधिकार थे तो हम इस बात को सच नहीं समझते ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How many cases are pending at present and what action is being taken by Government to dispose them of ?

Shri A.K. Sen : Are you talking about Delhi ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Yes.

Shri A.K. Sen : I have not got the figures about Delhi. I require notice to answer this question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiaya : What action is being taken to dispose them of ?

Shri A.K. Sen : They are being expedited. The work of tribunal is progressing fast.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : न्यायाधिकरणों द्वारा निबटाई गई कितने प्रतिशत अपीलें बाद में उच्च न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं ?

श्री अ० कु० सेन : बहुत ही थोड़े मामले ?

श्री अ० सिं० सहगल : वाणिज्य मण्डल तथा बम्बई के कारखाना मालिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय देने के लिये सरकार कितना समय लेगी ?

श्री अ० कु० सेन : मैं नहीं जानता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न न्यायाधिकरण की समाप्ति के बारे में है ।

श्री अ० कु० सेन : विभिन्न वाणिज्य मण्डलों, करदाताओं की संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों के अभ्यावेदनों पर हम ने विचार किया है और अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री अ० सिं० सहगल : ये मामले आपके सामने लम्बित पड़े हैं । क्या आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस पर यथासंभव शीघ्र उचित निर्णय किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने कोई मामला लम्बित नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है, अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने के इस प्रस्ताव के पक्ष में क्या मुख्य कारण दिये गये हैं और राजस्व संबंधी मामलों के लिये पृथक अपील का उच्च न्यायालय बनाने के संबंध में सरकार की क्या राय है ।

श्री अ० कु० सेन : जब मुख्य न्यायाधिपति ने उच्च न्यायालय द्वारा आय कर अपीलीय न्यायाधिकरणों के कार्य को लेने के संबंध में कहा तो कोई कारण नहीं दर्शाये गये थे । यदि वर्तमान स्थिति से कुछ इधर उधर हटना आवश्यक समझा गया होता तो तथ्यों और कानून दोनों पर उच्च न्यायालयों को अपीलीय प्राधिकार दे कर पर्याप्त समफलता प्राप्त कर ली होती । करदाताओं द्वारा दिया गया

मुख्य कारण यह है कि तथ्यों पर उच्च न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती और ऐसे मामले वास्तव में विचारणीय हैं । परन्तु वास्तव में इसकी समाप्ति के लिये कोई कारण नहीं बताया गया है ?

श्री रामनाथन चेट्टियार : यदि अन्त में सरकार अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का निर्णय करे तो वर्तमान प्रणाली के स्थान पर क्या नई प्रणाली होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक औपकाल्पनिक प्रश्न है ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि मुख्य न्यायाधिपति द्वारा प्रकट की गई राय को छोड़ कर आय कर अपीलीय न्यायाधिकरणों की समाप्ति के पक्ष में किसी भी जिम्मेवार संस्था ने सरकार को अभ्यावेदन नहीं भेजा है ।

श्री अ० कु० सेन : सभी अभ्यावेदन आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों की समाप्ति के विरुद्ध हैं

श्री दासप्पा : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि यदि इस काम को उच्च न्यायालयों को दे दिया जाये तो वहां कितना काम बढ़ जायेगा ; और इसे कैसे किया जायेगा ?

श्री अ० कु० सेन : मेरा अपना विचार तो यह है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के सामने आने वाले इन हजारों मामलों को उच्च न्यायालय नहीं निबटा पायेंगे। वह तो अपील सुन सकते हैं ।

चीनी का उत्पादन

\+

*454. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया** :
श्री बागड़ी :
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963–64 के लिये निर्धारित चीनी के उत्पादन लक्ष्य पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी की भारी कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) फसल के प्रारम्भ में अनुमानित 33 लाख मीट्रिक टन चीनी के स्थान पर 1963–64 में, 15 सितम्बर, 1964 तक 25.2 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ । यही कारण है कि देश में चालू वर्ष में चीनी की कमी हो गई है ।

(ग) 1964–65 में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उपाय विचाराधीन हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विवरण से पता चलता है कि 1963–64 में चीनी के उत्पादन में लगभग 8 लाख टन की कमी हुई और यही कारण है कि देश में चीनी की भारी कमी है । इसको

देखते हुए क्या सरकार चीनी के निर्यात को बन्द करने पर विचार करेगी जिससे कि देश में चीनी का वितरण उचित मात्रा में हो सकेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : 1964–65 में उत्पादन का अनुमान लगाने के पश्चात यदि चीनी की भारी कमी दिखाई पड़ी तो निश्चय ही हम निर्यात बन्द करने पर विचार करेंगे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार बता सकती है कि जिन चीनी मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और जो उत्पादन आरम्भ करेंगी वे सरकार द्वारा रखे गये लक्ष्य को पूरा कर लगी या नहीं। चीनी मिलों द्वारा उत्पादन के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न आजकल मिलों में क्षमता की कमी का नहीं है । प्रश्न चीनी मिलों को गन्ना देने का है जिसे कि गुड़ बनाने के लिये काम में लाया जा रहा है। आशा है कि 1964–65 में अच्छा उत्पादन होगा ।

Shri Bagri : In South the cost of production of sugar is lower than that in the North and the price fetched by sugar cane in the South is higher than that in the North. Not withstanding this the prices of sugar in South are higher than these prevailing in the North. May I know for how long the Government will allow this disparity to continue ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई असमता है । वास्तव में दक्षिण में गन्ने का मूल्य कम है। जहां कि चीनी के मूल्य का सम्बंध है उत्तरी मिलों के लिये निर्धारित किया गया चीनी का मूल्य दक्षिणी मिलों के लिये निर्धारित किये गये मूल्य से ऊंचा है ।

श्री तुलसीदास जाधव : वर्तमान कारखानों की क्षमता बढ़ा कर या नये कारखाने खोलकर देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या औपचारिक उपाय किये गये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक पृथक प्रश्न है जो लाइसस की क्षमता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने से सम्बंध रखता है । यहां अधिक गन्ना उपलब्ध करके क्षमता को प्रयोग में लाने के बारे में प्रश्न है ।

श्री हिम्मत सिंहजी : क्या सरकार ने चीनी के निर्यात के लिये कोई निश्चित वायदे किये हैं और यदि हां, तो कितनी मात्रा के लिये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लगभग 2.5 लाख टन ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण के अनुसार चीनी के उत्पादन में कमी का कारण यह है कि गन्ने को गुड़ और खण्डसारी के लिये प्रयोग में लाया जाता है । क्या सरकार गन्ने का मूल्य बढ़ा कर किसानों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहती है ताकि गन्ने की सारी फसल चीनी मिलों को जा सके और यदि हां, तो योजना क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसका अर्थ तो चीनी के मूल्य में वृद्धि करना हुआ ।

श्री स० मो० बनर्जी : जी नहीं । भारी मुनाफ को घटा कर ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उसका ख्याल रखा जाता है। माननीय सदस्यों को यह नहीं सोचना चाहिये कि चीनी मिलों द्वारा भारी मुनाफा अर्जित किया जाता है और इसलिये चीनी के मूल्य

को बढाये बिना गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जा सकती है । वास्तव में हमने पूरे प्रश्न की जांच की है। दूसरी कठिनाई कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों और चीनी के मूल्य समार्हता की है। यदि आप गन्ने के अधिकाधिक मूल्य बढ़ायेंगे तो स्वभावत: अधिक व्यक्ति चीनी के उत्पादन में लग जायेंगे और खाद्यान्नों के उत्पादन में कम व्यक्ति काम करने लगेंगे ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : चीनी मिलों की जो क्षमता उत्तर भारत में गन्ना न मिलने के कारण उपयोग में नहीं आ रहीं, उसके लिये सरकार क्या कर रही है । गन्ना उन्हें देने के स्थान पर सरकार गुड़ बनाने वालों को दे रही है ? सरकार इसकी ओर क्या ध्यान.....

अध्यक्ष महोदय : बस और नहीं

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्तर की मिलों को गन्ने देने के बारे में हम शीघ्र ही घोषणा करने वाले हैं। अभी तक मामले पर विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अ० प्र० जैन ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : दक्षिण के बारे में स्थिति क्या है ? प्रथम भाग के केवल एक अंश का उत्तर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल एक ही प्रश्न की अनुमति दी थी ।

श्री अ० प्र० जैन : माननीय मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की है कि कृषि उत्पादन के लिये उत्पादक को अच्छी कीमतें मिलेंगी । गन्ने की कीमतों को निर्धारित करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने सारा अनुमान लगा लिया है, वर्त्तमान कीमतें अच्छी ही हैं ।

श्री अ० प्र० जैन : ऐसी बात तो नहीं है ।

Shri Rameshwaranand : The Minister of Agriculture has announced that efforts are being made to increase the sugar production. I want to know what efforts are being made in this connection and facilities being given to the farmers in this connection.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उर्वरक तथा संयंत्र संरक्षण इत्यादि कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, कीमतों का भी ध्यान रखा जा रहा है ।

श्री रंगा : प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में क्या किया जा रहा है । क्या उर्वरकों का संभरण किया जा रहा है । क्या उर्वरक मुफ्त दिये जा रहे हैं अथवा इसकी कोई कीमत ली जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्पादन वृद्धि के संबंध में दो तीन बातें हैं । विभिन्न प्रकार के गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है । गन्ने की किस्मों को सुधारा जा रहा है । इस दिशा में हमें बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । अच्छे उर्वरकों तथा अच्छे संयंत्र संरक्षणों की व्यवस्था की जा रही है । कीमतों का निर्णय करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जा सकता है । हम यह भी पता करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो सकता है ताकि किसानों को ठीक कीमत मिल सके ।

श्री क० ना० तिवारी : उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की संख्या तीन वर्ष पहले कितनी थी और उस समय दक्षिण में महाराष्ट्र और मद्रास में यह संख्या क्या है। आर्थिक संकट के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में बन्द होने वाली चीनी मिलों की संख्या क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास इस समय संख्या की जानकारी तो नहीं परन्तु इतना मुझे पता है कि दक्षिण में निश्चित रूप से इस संख्या में वृद्धि हुई है। यह स्वाभाविक है कि कीमतें अच्छी मिलती हैं और अर्थशास्त्र के सिद्धान्त अपना काम करते ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दा० ना० तिवारी :

श्री दा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि जिन क्षेत्रों में आगे ही गन्ने का संकट चल रहा हे वहां किसी नयी चीनी मिल खोलने का लाइसेंस न दिया जाए ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लाइसेंस केन्द्रीय सरकार ही देती है। इस तथ्य पर विचार किया जाता है। लाइसेंस केवल उसी क्षेत्र में दिया जाता है, जहां गन्ना उपलब्ध होता है।

श्री दलजीत सिंह : क्या किसी विदेशी सरकार ने भारत में चीनी मिल चालू करने की पेशकश की है, यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चि० सुब्रह्मयम : मेरे विचार में ऐसी कोई पेशकश नहीं है।

डा० सरोजिनी महिषी : खराब मशीनरी के कारण गन्ना फजूल पड़ा रहता है और इससे किसान को हानि होती है। ऐसे हालात में सरकार उपादकों को क्या सहायता देती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह आम शिकायत नहीं हो सकती, हो सकता है कहीं एक आध जगह ऐसी बात हो गयी हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ४६४ और ४७५ एक ही विषय के हैं। प्रश्न संख्या ४६४ और ४७५ का उत्तर एक साथ ही दे दिया जाय।

\+ **तृतीय योजना में कृषि उत्पादन**

455. **श्री हेम राज :**
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष तक के कृषि सबंधी लक्ष्यों को किन राज्यों ने पूरा कर लिया है और किन-किन राज्यों ने पूरा नहीं किया है ;

(ख) इन राज्यों में निर्धारित लक्ष्यों से कितने प्रतिशत कमी रही ; और

(ग) लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन सम्बन्धी वर्ष-वार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं। परन्तु प्रत्येक राज्य के खाद्यान्नों तथा प्रमुख व्यापारिक फसलों

के सम्बन्ध में तीसरी योजना के कृषि उत्पादन तथा 1961–62, 1962–63 तथा 1963-64 के वर्षों के वास्तविक उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 3265/64]

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में समस्त कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिये निर्धारित 176 के लक्षित सूचकांक (1949–50 को आधार 100 मान कर) की तुलना में 1963–64 में उत्पादन का सूचकांक 140.5 रहा है। आशा है कि जूट तथा गन्ने के सम्बन्ध में निर्धारित किये हुए लक्ष्य पूरे हो जायेंगे । योजना में खाद्यान्नों, कपास तथा तिलहन के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके पूरा होने में कुछ कमी रहने की सम्भावना है ।

(ग) कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने तथा योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं उनके बारे में एक अन्य विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3265/64]

कृषि उत्पादन

\+

*464. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री बसवन्त :
श्री म० न० स्वामी :
श्री इ० मधु सुदन राव :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री ह० च० सोय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री बसूमतारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या कृषि विकास कार्यक्रमों को नया रूप देने के संबंध में और आगे विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई योजानायें बनाई गई हैं तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) से (ग) सरकार अभी पिछले दिनों कृषि विकास कार्यक्रम के पुनरस्थापन पर लगातार विचार करती रही है ताकि थोड़े समय में ही कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके । देश के कृषि कार्यक्रम में तेजी लाने के सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं उनके बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-3269164]

श्री हेम राज : विवरण से पता चलता है कि तीसरी योजना के आयोजित लक्ष्यों तथा अन्तिम प्राक्कलन जो कि 1993–94 के लिए निर्धारित हुए हैं, में उत्पादन की दृष्टि से भारी अन्तर है । मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को तो गेहूं वाले राज्य कहा जाता था, क्या इन राज्यों में कम उत्पादन के कारण जानने का प्रयत्न किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : गत दो वर्षों से उत्पादन का कार्य आगे नहीं बढ़ा है । इसके लिए खराब मौसम ही मुख्यतः उत्तरदायी रहा है । इसलिए हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्पादन का स्तर ऊपर आये । आशा की जा रही है कि इस वर्ष विशेषरूप से अतिरिक्त उत्पादन होगा । रबी की फसल भी अच्छी होने की सम्भावना है ।

श्री हेम राज : अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करेगी कि सभी राज्य आत्म निर्भर हो जाय और उनकी खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी हो जायें । मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद्य उत्पादन के मामलों में प्रत्येक राज्य को आत्म निर्भर बनाने में सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही होगी । खाद्य के मामले में सभी राज्यों को आत्म निर्भर बनाना सम्भव नहीं ।

श्री कृ० चं० पन्त : क्या कृषि उत्पादन का अनुमान प्रयोगात्मक परिणामों के आधार पर ही लगाया जाता है । इसमें भूल की कितनी सम्भावना रहती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्पादन का अनुमान कभी कभी फसल की कटाई के आधार पर लगाया जाता है । जो कुछ उत्पादन हुआ होता है उसके आधार भी कुछ अनुमान लगाये जाते हैं ।

श्री कृ० चं० पन्त : कितने अन्तर की गुंजाइश रखी जाती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अन्तर की गुंजाइश 1 से 2 प्रतिशत तक का रख लिया जाता है । इसका कई बार परीक्षण करके भी देखा गया । जहां तक क्षमता का प्रश्न है, है, यह केवल अनुमान मात्र ही होता हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार माननीय मंत्रियों से निवेदन किया है कि प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व वे तनिक यह भी देख लिया करें कि मैंने प्रश्न की अनुमति भी दी हैं अथवा नहीं । कई बार ऐसा होता है कि मैं तो प्रश्न की अनुमति ही नहीं दे रहा और मंत्री महोदय उसका उत्तर देने लगते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है ।

श्री शिकरे : इस मामले में तो प्रश्न की अनुमति दे दी गयी है । माननीय सदस्य केवल प्रश्न के उस अंश को दुहरा रहे थे जिसका कि उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे निर्णय करना होगा कि पूरा उत्तर दे दिया गया है अथवा नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस कार्यक्रम पर निरन्तर विचार करने के कारण सदन माननीय मंत्री का बहुत ही आभारी है । उत्पादन के मामले पर इस तरह निरन्तर विचारने का परिणाम क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार का तो अभी कोई परिणाम नहीं निकला ।

Shri Y. S. Chaudhary : The Honourable Minister has just stated that the production in three States *i.e.* Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh is at stand still for the last three years. The reasons for this has been stated to be bad weather. I want to know what are other reasons for the standstill of production ?

Mr. Speaker: You are a farmer yourself. You must be knowing more ?

Shri Y. S. Chaudhary : We know, but we want to know from the Government. The Government are also aware of the reasons.

Mr. Speaker : When you know and the Government are not aware, then you should not ask for the reasons .

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether the production will be raised by indigenous methods or foreign methods ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि हम अपने ही साधनों पर आश्रित रहेंगे अथवा बाहर से सहायता लेंगे ।

Shri Shahnawaz Khan : If by applying foreign methods we will be able to raise production we will have no objection to use it, we are using it and will continue to use it in future.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि उत्पादन के बढ़ाने के राह में सब से बड़ी कठिनाई सिंचाई सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्या इन सुविधाओं को प्रदान करने में सीमेंट सम्भरण की कमी रुकावट बन रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां । लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये सीमेंट की कमी है और हम अधिक सीमेंट उपलब्ध करने के लिये कदम उठा रहे हैं ।

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister said just now that we are trying to increase production and for that purpose both internal as well as external sources are being tapped. Is the hon. Minister aware Government had given Takavi Loans to the farmers and the farmers have completed boring work. They have installed machines. But they are not being given power connections by the power stations. They say that farmers have no money. This is not the condition in Punjab alone. I want to know the steps being taken by the Irrigation Ministry to remove this deadlock so that production may increase.

Shri Shahnawaz Khan : We have brought all these things to the notice of State Governments. We are prepared to give any kind of help to them and we have promised them to that effect. Punjab Government have given power for most of the tubewells. Power for the remaining tubewells would be given to the farmers soon.

श्री कंडप्पन : क्या सरकार किसानों के अंश के बिना स्वयं भू परिरक्षण का काम आरम्भ करने की स्थिति में है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भू परिरक्षण के लिये जो सहायता हम दे रहे हैं उसे बढ़ाया नहीं जायेगा । किसान को अपनी भूमि के सुधार के लिये स्वयं भी तो कुछ देना ही चाहिए ।

श्री अ० प्र० शर्मा : खाद्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से बिहार के जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं हैं वहां यह सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस उद्देश्य से हम लघु सिंचाई कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : कृषि कार्यक्रमों के समुचित समन्वय एवं कार्यान्वयन की दृष्टि से कृषि प्रशासन में सुधार लाने में केन्द्रीय कृषि उत्पादन बोर्ड कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में फाईलें भेजने की बजाय दो या तीन मंत्रालय द्वारा साथ बैठ कर बातचीत करना अब सम्भव हो गया है ।

Shri Yashpal Singh : Are the Government aware that food production had decreased by 22 lakh tons since Shri A.P. Jain relinquished Ministership and if so, the steps that Government propose to take to remove this shortage ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वर्ष 1961:–62 में उत्पादन चरमसीमा तक पहुंच गया था । उस समय मैं समझता हूं श्री अ० प्र० जैन मंत्री थे ।

Shri Gulshan : In view of Government's intention to increase production during the Third Plan period whether any scheme has been evolved for making available fertilisers, seeds, agricultural implements, Tractors etc. to farmers at cheaper rates ?

Shri Shahnawaz Khan : We are importing tractors especially from Russia which will cost Rs. 6 thousand each. The farmers have particularly liked them. We are also trying to manufacture tractors in our country. Government

have arranged to supply seeds to the farmers in the coming sowing season of Rabi. Arrangements have also been made to provide them seeds and imported fertilisers through cooperative societies and Blocks. Subsidy is also being given on fertilisers.

श्री लीलाधर कटकी : क्या सरकार तीसरी योजना के अन्त तक खाद्यान्न के 1000 लाख टन तक उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने में अभी तत्पर है और क्या वह सभा को आश्वासन दे सकती है कि विवरण में बताई गयी कार्यवाहियों से यह लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : हमें पूरी आशा है कि यह लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे ।

श्री कोया : विवरण में केरल राज्य के लक्ष्य 14,651 दिखाये गये हैं। जब कि वास्तव में यह इस के चौथाई भाग से भी कम हैं । क्या राज्य सरकार ने इस का कोई स्पष्टीकरण दिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य का कथन सही नहीं है । यह 1,465 है न कि 14,651 ।

श्री अ० प्र० जैन : सारे देश के लिये कितनी मात्रा में गेहूं के बीजों की जरूरत होगी और यह कितनी मात्रा में सहकारी समितियों एवं बीज स्टोरों के जरिये दिये जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु हम प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पाड़ों से उत्पन्न स्थिति के कारण बीजों की जरूरत है और इस के लिये हम पंजाब से प्रबन्ध कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण की मद संख्या 14 में कहा गया है कि चालू खरीफ फसल के लिये उपाय किये जा रहे हैं । मैं सिंचाई और उर्वरक आदि के बारे में जानना चाहती हूं । मैं जानना चाहती हूं कि वह उपाय कौन-कौन से हैं और क्या इन में से कोई योजना सम्बन्धी व्यय से बाहर हैं और इन से किन-किन राज्यों को लाभ हो चुका है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लघु सिंचाई कार्यक्रमों सम्बन्धी योजना में नियत राशियों का बहुत से राज्य प्रयोग कर चुके हैं और इस प्रयोजनार्थ की उन्हें अग्रेतर सहायता दी जा रही है । जो हमारे विशेष कार्यक्रम हैं वह योजना में सम्मिलित नहीं हैं और उन के लिये हम विशेष सहायता दे रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी पहले ही किसानों को अगली खरीफ फसल के लिये राशियां दे चुके हैं जिसका यह परिणाम होगा कि सरकार नहीं वरन व्यापारी लोग बाजार भावों पर नियंत्रण रखेंगे और उन के एकाधिकार में मूल्य बढते रहेंगे ? ऐसी स्थिति के निवारण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी पहले ही अनाज खरीद रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह बात हमारे ध्यान में आई है कि कुछ व्यापारियों ने कृषकों को पेशगियां दे दी हैं । परन्तु सरकार निकट भविष्य में प्रभावकारी कदम उठा रही है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जिन कम से कम मूल्यों के कृषक हकदार होंगे उन की घोषणा हम करने वाले हैं। वह मूल्य समुचित होंगे। हम उन का काफी प्रचार करेंगे ताकि कोई भी किसान उन से कम मूल्यों पर अनाज न बेचें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि वह पहले ही बेच चुके हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह खरीदते नहीं हैं। वह पेशगी धन देते हैं जिसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने मूल्य भी निर्धारित कर दिये हैं। वह यह तय कर लेते हैं कि मूल्य उस समय के बाजार भावों के अनुकूल होंगे। मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जायेंगे कि वह एक निश्चित स्तर से नीचे न जायें। ऐसा गेहूं और चावल के लिये ही किया जा रहा है।

श्री रंगा : क्या सरकार का विचार किसानों की खेती के मूल्य का 50 प्रतिशत उन्हें दे देने का है ताकि उन्हें व्यापारियों पर निर्भर न होना पड़े ? क्या किसानों को उर्वरक देने में लाभ कमाने की नीति का सरकार ने त्याग कर दिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अग्रिम धन देना खाद्यान्न निगम का काम होगा। दुर्भाग्यवश सदस्य राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध हैं . . . **(अन्तर्बाधाएं)**

सामुदायिक विकास संस्थाएं

\+

***456. {श्री क० ना० तिवारी :**
{श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फार्म कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सामुदायिक विकास संस्थाओं में उपयुक्त परिवर्तन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वह परिवर्तन किस प्रकार के होंगे; और

(ग) क्या प्रत्येक खंड में एक अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी ने एक विशिष्ट कार्य के रूप में कृषि विकास का भार सम्भाल लिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-3270/64]**

(ग) जी नहीं। न ही ऐसा इरादा था।

Shri K. N. Tiwary : It has been shown in the statement that the functions of Extension officers and Block Development officers have been specified. Is it a fact that the functions of both these officers have not been specified actually in the whole of country and if so, the places where they have been specified as also the places where it has not been done ?

श्री ब० सू० मूर्ति : अलग-अलग आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी सिफारिश राम सुभग सिंह समिति ने की थी जिसे सभी राज्यों के मंत्रियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस लिये हमें आशा है कि सभी राज्य इस सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहते है।

श्री अ० सि० सहगल : उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या मंत्रालय को राज्यों के मंत्रालय से उचित सहयोग मिल रहा है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : सामुदायिक विकास ब्लाकों से कब तक जीपें वापस लेने का विचार है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जैसे ही आपात की घोषणा हुई हम ने राज्य सरकारों को हिदायतें जारी कर दी थीं कि ब्लाकों को नई जीपें न दी जायें और सीमान्त क्षेत्रों में जो जीपें अच्छी हालत में हैं वह प्रतिरक्षा अधिकारियों को लौटा दी जायें । जो ब्लाक अब चालू किये जा रहे हैं वहां तो नई जीपें दी ही नहीं जातीं । परन्तु एक कठिनाई है । कुछ ब्लाक पंचायती राज समितियों के अधीन हैं । जहां कहीं सम्भव है हम अधिक से अधिक ब्लाकों को समितियों का रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : खाद्यान्नों के सम्भरण के बारे में यह तीसरा या चौथा अल्प सूचना प्रश्न सभा में आया है । यदि सत्र समाप्त होने से पहले माननीय मंत्री विभिन्न राज्यों को सम्भरित खाद्यान्न के बारे में एक वक्तव्य दे दें तो वह बहुत सहायक सिद्ध होगा ।

अध्यक्ष महोदय : खाद्यान्न की समस्या के बारे में प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में चर्चा हो जाती है । परन्तु यदि मंत्री महोदय एक वक्तव्य इस बारे में दे सकते हैं तो वह बतायें ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं सम्भावित सम्भरण के बारे में बता सकता हूं । मैं सत्र के अन्तिम दिन वक्तव्य देने का प्रयत्न करूंगा ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

मैसूर को खाद्यान्न का संभरण

\+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7. श्री रा० गि० दुबे :
श्री रामपुरे :
श्री चन्द्रिकी :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री मोहसिन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को सितम्बर के लिये गेहूं के कोटे में अचानक ५० प्रतिशत कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसूर राज्य के हदगली तालुक में भुखमरी के कारण कुछ मौतें हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या बेलारी और रायचूर जिलों में, जहां खाद्यान्न की अत्यधिक कमी है, खाद्यान्न भिजवाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). अमरीका की एक बन्दरगाह में अनायास ही हड़ताल हो जाने से गेहूं लाने वाले कुछ जहाज रुक गये थे और सितम्बर मास में गेहूं का आयात आशानुकूल नहीं हुआ। इसलिये कमी वाले तथा अन्य क्षेत्रों में गेहूं सम्भावित उपलब्धता के आधार पर ही दिया गया। पहले महीनों में मैसूर की उचित मूल्य वाली दूकानों द्वारा वितरित गेहूं की दृष्टि से आर० डी० एफ० मद्रास, को मंत्रणा दी गई थी कि सितम्बर में मैसूर में उचित मूल्य वाली दूकानों द्वारा बेचे जाने के लिये 5000 टन गेहूं भेजने का प्रबन्ध करे। बाद में, मैसूर राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कोटा 10,000 टन तक बढ़ा दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये उसकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर खाद्यान्न देती है। राज्य सरकार द्वारा नियत मात्राओं के अनुसार अनाज केन्द्रीय भण्डारों से दिया जाता है। बेलारी और रायचूर जिलों को मैसूर सरकार द्वारा नियत किये गये अनाज के अनुसार ही माल दे दिया गया है।

श्री रा० गि० दुबे : क्या खाद्यान्न की अत्यधिक कमी अब भी है चूंकि नवलगांव, हरिहर और राजेन्द्रगढ़ में अनाज सम्बन्धी गड़बड़ी हो रही है और हाल ही में बेलारी में दंगे हुए और पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी ? और क्या सरकार मैसूर राज्य को तुरन्त अनाज सम्भरित करने की व्यवस्था कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैसूर द्वारा अपनी आवश्यकतायें बताई गई हैं और हम ने भी मैसूर राज्य को बता दिया है कि इन महीनों में हम कितना खाद्यान्न उन्हें दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश सितम्बर में हम कम अनाज दे सके परन्तु वह कमी अब पूरी कर दी गई है। इसलिये उपलब्ध अनाज की मात्रा को कहां-कहां देना है इस बात का फैसला स्वयं मैसूर सरकार को करना है। हम उन्हें यहां से हिदायतें नहीं दे सकते।

श्री रा० गि० दुबे : मैसूर राज्य को 10,000 टन का कोटा दिया जाता है। सितम्बर, मास में कितना अनाज कम दिया गया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 20,000 टन गेहूं और 10,000 टन चावल के तदर्थ कोटे में से भी उस राज्य को अनाज दिया गया था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अप्रैल में मैसूर की 4400 टन, मई में 6,800 टन, जून में 63,00 टन, जुलाई, में 6,700 टन और अगस्त में 10,000 टन अनाज दिया गया। सितम्बर में भी 10,000 टन अनाज देना था परन्तु असम्भावित परिस्थितियों के कारण हम पूरा अनाज न दे सके। बाद में कोटा बढ़ा दिया गया था और 10,000 टन सितम्बर के दौरान ही दिया जा रहा है।

श्री चन्द्रिकी : क्या सरकार को मालूम है कि लाइसेंसधारी और परमिट वाले लोग केन्द्रीय भण्डारों में राशियां जमा कर देते हैं परन्तु उन्हें कई दिन तक माल नहीं दिया जाता जिसके कारण लोगों को बहुत कठिनाई होती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह शिकायत मेरे पास आई है। आवश्यक जांच के लिये मैंने उस शिकायत को प्रदेश के खाद्य निदेशक के पास भेज दिया है। एक मामले में पता चला कि चूंकि कोटा नियतन सम्बन्धी आदेश उन गोदामों में नहीं पहुंचे थे इसलिये वह अनाज न दे सके। यही मुख्य कारण था। अब हम प्रबन्ध कर रहे हैं कि कोर्ट सम्बन्धी आदेश काफी समय पहले दे दिये जायें। लाइसेंसधारियों को भी बता दिया गया है कि कोटा नियतन आदेश वहां पहुंचने के बाद वहां जायें।

श्री शिवनंजप्पा : आंध्र प्रदेश से अनाज के वहन के मामले में सहयोग की कमी के बारे में क्या कोई शिकायत मिली है **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : सभी राज्यों के बारे में एक वक्तव्य सभा में दिया जायेगा।

श्री जोकीम आल्वा : क्या किसी राज्य के खाद्यान्न के अभाव वाले विभिन्न स्थानों अथवा प्रत्येक नगर द्वारा भेजी गई शिकायतों पर केन्द्रीय मंत्रालय ध्यान देता है ? क्या वे उन शिकायतों को सीधे ही सम्बन्धित राज्यों को भेंज देते हैं ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र भटकल में हाल ही में ऐसा हुआ था। वहां तक चार दिन तक अन्न उपलब्ध नहीं था और हम ने यह मामला यहां केन्द्रीय मंत्रालय को बताया था। क्या मैं जान सकता हूं कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक नगर की आवश्यकताओं की देख-रेख नहीं कर सकती है। इसलिये, इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। परन्तु जब हमारे पास अभ्यावेदन आते हैं तो हम उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज देते हैं।

श्री बासप्पा : क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि वहां ज्वार का मूल्य 90 रुपये से 95 रुपये प्रति क्विन्टल तक है और वह बेल्लारी से हैदराबाद को भेजी जा रही है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ज्वार 90 रुपये से 95 रुपये प्रति क्विन्टल तक बिक रही है।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि रायचूर और बेल्लारी में खाद्यान्न का बहुत ही अभाव रहा है तथा वह अकालपीड़ित क्षेत्र हैं, क्या सरकार स्थानीय सरकार के परामर्श अथवा सहयोग से इन दोनों ज़िलों के लिये खाद्यान्न का तदर्थ आवंटन करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैं पहिले बता चुका हूं, यह निर्णय करना राज्य सरकार का काम है कि किस क्षेत्र को उन्हें खाद्यान्न भेजना चाहिये। किसी कठिन स्थिति को देखते हुए यदि वे अधिक मात्रा में खाद्यान्न देने की प्रार्थना करते हैं तो हम सर्वदा उस पर विचार करते हैं तथा खाद्यान्न का तदर्थ आवंटन करते हैं।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि बहुत सी राज्य-सहायता प्राप्त दुकानों और सरकारी दुकानों में खाद्यान्नों के भारी अभाव के कारण बेल्लारी और रायचूर ज़िले के तथा अन्य अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों में रोष रहा है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया यह रही है कि उनकी मांगों को पूरा करने की बात तो दूर रही उलटे खाद्यान्न की मांग करने वाले लोगों पर लाठियां और गोलियां चलाई गई हैं ? जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि जलूसों से खाद्यान्नों के खाली गोदाम भर नहीं जाते तो क्या वह यह समझते हैं कि लोगों पर गोली चलाने से खाली गोदामों में अन्न आ जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर न दिया जाये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार जिम्मेदार है । शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है । इसलिये, यह एक बिलकुल दूसरी ही चीज़ है । जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है तो हम अभावग्रस्त क्षेत्रों को जितना अधिक से अधिक अन्न दे सकते हैं उतना देने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या यह सच है कि गेहूं किसी क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नहीं दिया जा रहा है परन्तु राज्य द्वारा डाले जाने वाले ज़ोर अथवा उनकी पहुंच के अनुसार वह दिया जा रहा है और इसी कारण राजस्थान, और विशेषत: अलवर, खाद्यान्न के अभाव से बहुत अधिक पीड़ित है ? क्या माननीय मंत्री .....

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे इस प्रश्न की अनुमति देनी चाहिये ?

श्री काशीराम गुप्त : जब स्थिति ही ऐसी है .....

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact a heavy cut has been effected in the quota originally allotted to Madhya Pradesh ? Is it also not a fact that Madhya Pradesh Minister is staying here because no wheat is being supplied to Madhya Pradesh ?

Mr. Speaker : The hon. Member may himself dec ide as to whether this question should be allowed.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड

*450. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने, जापानी हस्तशिल्प उद्योग में उपयोग में लाये जाने वाले औजारों और प्रविधियों का अध्ययन करने के लिये तथा औजारों को खरीदने के लिये, अपने विशेषज्ञों का एक दल जापान को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों के दल ने वहां पर क्या कार्य किया; और

(ग) इन औजारों को खरीदने के लिये कितने धन की मंजूरी दी गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के एक अधिकारी को ऐसे औज़ार तथा साज सामान का चयन तथा सूची तैयार करने के लिये जापान भेजा गया है जो कि भारतीय शिल्पी को उपयोगी सिद्ध हो सकता हो । वे अभी जापान में ही हैं और वापसी पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे ।

(ग) 69,000 रुपये ।

राष्ट्रीय सड़क योजना

*457. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बं० ना० कुरील :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के परिवहन डिवीजन ने एक समेकित राष्ट्रीय योजना तैयार करने का सुझाव दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तःराज्यीय सड़कें, राज्य राजमार्ग, तथा अन्य बड़ी सड़कों की योजनायें सम्मिलित हैं;

(ख) देश में सड़क विकास की ऐसी एक समेकित योजना तैयार करने के बारे में यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो क्या; और

(ग) ऐसी समेकित सड़क योजना के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास के क्या लक्ष्य होंगे और उन पर पूंजीगत व्यय क्या होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). जी हां। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि समाकलित आधार पर एक राष्ट्रीय सड़क योजना की स्थापना के लिये, तकनीकी सलाहकार संस्थायें, जिन्हें सड़क योजना मण्डल कहा जायेगा और जिनमें विभिन्न संबंधित हितों के प्रतिनिधि होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में गठित की जायेंगी। राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों को अपने राज्यों/संघीय क्षेत्रों में इस प्रकार के सड़क योजना मण्डलों को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने की सलाह दी गई है। केन्द्र में एक सड़क योजना मण्डल स्थापित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक चतुर्थ योजना के लिए भौतिक लक्ष्य और पूंजीगत व्यय के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि ये सम्पूर्ण साधनों पर आधारित हैं जिनके बारे में अभी निश्चय करना है।

भारतीय नौवहन में विदेशी सहयोग

*458. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन की कुछ विदेशी सहयोग की परियोजनाओं के लिये सरकार ने हाल में ही अपना अनुमोदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध विदेशी और भारतीय भागीदारों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में साम्य पूंजी में विदेशी भागिता कितनी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). भारतीय जहाजी कम्पनियों को सरकार का विशिष्ट अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 के अन्तर्गत भारतीय जहाजरानी कम्पनियों की शेयर पूंजी में 40 प्रतिशत तक विदेशी भाग की अनुमति है । फिर भी जहाजों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृति देते समय सरकार के नोटिस में भारतीय जहाजी कम्पनियों के विदेशी सहयोग के कई प्रस्ताव आये हैं । उन जहाजी कम्पनियों के नामों का विवरण (संबद्ध व्यौरे सहित) जिन्हें जहाज प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है, सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3271/64]**

चकबन्दी

*459. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चकबन्दी के लिये एक प्रभावी कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों की सलाह से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) 13 राज्य और 2 संघ क्षेत्रों ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में चकबन्दी को आदर्श योजना के रूप में शामिल किया है । योजना का कुल लक्ष्य 31 मिलियन एकड़ भमि है और इस पर 19.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे । इस योजना के कुल खर्च पर 25 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हो सकता है । तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में चकबन्दी किया गया कुल क्षेत्र लगभग 20 मिलियन एकड़ है ।

चावल मिल की मशीनें

*460. **श्री रामपुरे :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में चावल मिल की मशीनें बनाने के लिये कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनाज व्यापार

*461. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करें गेकि :

(क) क्या सरकार ने अनाज व्यापार का अध्ययन करने के लिये कृषि अर्थशास्त्रियों की एक तालिका बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस तालिका के क्षेप में निदेश-पद क्या हैं; और उसके प्रतिवेदन के कब तक पेश किये जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कृषि अर्थशास्त्रियों की एक तालिका बनाई है जोकि खाद्य और कृषि मंत्री को उन्हें भेजे गये खाद्य एवं कृषि से सम्बन्धित सभी आर्थिक मामलों में सलाह देंगे और वे कोई विशेष अध्ययन कार्य जैसे खाद्यान्न व्यापार का अध्ययन आदि हाथ में न लेंगे। परन्तु तालिका के सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर खाद्यान्न व्यापार के विशेष पहलुओं पर तदर्थ रूप से अध्ययन शुरू किया है।

उर्वरकों का आयात

*462. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री रामहरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** 28 अगस्त, 1964 के अपने भाषण के सम्बन्ध में, जो उन्होंने 'कृषि विकास तथा आर्थिक प्रगति' सम्बन्धी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दिया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरक आयात कर रही है;

(ख) क्या प्राकृतिक खाद को इस्तेमाल में लाने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1964–65 की अवधि में नाईट्रोजन-पूरक उर्वरकों के आयात के प्रबन्ध के लिये 33.30 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों को कार्बनिक खाद साधनों के अधिकतम प्रयोग के लिये प्रेरित करना भारत सरकार के महत्वपूर्ण कृत्यों में शामिल हैं। इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण साधनों के विषय में हुई प्रगति निम्न प्रकार है :—

(1) शहरी कूड़ा-खाद

शहरी कचरे से अखिल भारतीय स्तर पर कूड़ा-खाद तैयार करने की एक योजना 1944 में शुरू की गई थी। दूसरी योजना के अन्त तक उत्पादन स्तर 28.5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया जबकि इसके लिये लक्ष्य 30.0 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक उपादन स्तर 44 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगा।

(2) मल-मूत्र का प्रयोग

आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक प्रतिदिन 2500 लाख गैलन गन्दे जल के प्रयोग से लगभग 40,000 एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी।

(3) ग्रामीण कूड़ा-खाद

इस योजना को 1957–58 में शुरू किया गया था ताकि गोबर की खाद के अतिरिक्त जिसे कि पहले ही तैयार करके प्रयोग में लाया जा रहा है, ग्रामीण कूड़ा-खाद के उत्पादन में एक दम तेज़ी लाई जाये। दूसरी योजना के अन्त तक ग्रामीण कूड़ा-खाद का उत्पादन 660 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका था और आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह उत्पादन बढ़ कर 1300 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगा।

(4) हरी खाद का प्रयोग

इस योजना को भी 1957-58 में शुरू किया गया था ताकि हरी खाद देने की विधियों को गतिमान किया जाये। दूसरी योजना के अन्त तक 105 लाख एकड़ भूमि में हरी खाद का प्रयोग किया जा रहा था और अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक हरी खाद के क्षेत्र का विस्तार 340 लाख एकड़ तक बढ़ जायेगा।

गोदामों का निर्माण

*4683. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों और केन्द्रीय भांडागार निगम ने गोदामों के निर्माण के लिये पृथक्-पृथक् कार्यक्रम चालू किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों द्वारा एक ही उद्देश्य के लिये पृथक्-पृथक् कार्यक्रम चालू करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस व्यवस्था के कारण एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक गोदामों का निर्माण नहीं हो जायेगा ; और

(घ) इन कार्यक्रमों के एक ही विभाग द्वारा चलाये जाने में क्या कठिनाइयां पेश आने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) जी हां।

(ख) खाद्य विभाग, केन्द्रीय भांडागार निगम तथा सहकारी समितियों द्वारा गोदाम बनवाने का उद्देश्य एक सा नहीं है। खाद्य विभाग के गोदामों का प्रयोग केवल समीकरण भंडार प्रवर्तनों के लिये सरकार द्वारा अपने खाद्यान्नों का संग्रहण करने के लिये किया जाता है। इसके विपरीत, केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदाम कृषकों, व्यापारियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि औजार तथा "अधिसूचित माल" के संग्रहण के लिये उपयोग में लाये जाते हैं। सहकारी समितियों के गोदाम कृषि उपज के सहकारी विपणन के विकास और उपज अपेक्ष्यों के सहकारी वितरण में सुविधा देने के लिये हैं और केवल सदस्यों की उपज के लिये उपलब्ध हैं।

(ग) क्योंकि इन तीनों संगठनों के गोदामों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं इसलिये एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक क्षमता के गोदाम बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) क्योंकि इन तीनों संगठनों के गोदामों का उद्देश्य तीन विभिन्न कार्य क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति करना है इसलिये एक ही विभाग में इनके एकीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक ही क्षेत्र में गतिविधियां परस्पर व्यापी न हों।

Speculation in Foodgrains

*465. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the news item published in the issue dated the 20th August, 1964 of daily "Veer Arjun" that unlawful speculation in foodgrains in fake names is rampant affecting the prices of foodgrains ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter was investigated into by the Forward Markets Commission with the help of the Crime Branch of the Delhi Police. Although there was a suspicion that forward trading in gram etc. was taking place in the name of mustard oilcake, methi, etc. free commodities, no action could be taken against any person for want of proof. The Forward Markets Commission, however, has banned forward trading in mustard oilcakes and methi also with effect from 1st June, 1964.

मैसूर शुगर कम्पनी

*466. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मांडइया की मैसूर शुगर कम्पनी ने उस क्षेत्र की रेयत से ठेका ले लिया है कि 1964-65 में वह $4\frac{1}{2}$ लाख टन गन्ना पेरने के लिये ले लेंगे;

(ख) क्या उन्होंने रैयत से इतना गन्ना नहीं लिया ;

(ग) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों को अनुमानतः कितना नुकसान हुआ ; और

(घ) रैयत को मुआवजा देने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) मैसूर शुगर कम्पनी, माण्डया द्वारा 1964-65 की फसल के लिये ठेके पर ली गयी गन्ने की मात्रा 4.22 लाख मीट्रिक टन है ।

(ख) जी नहीं, फैक्टरी पहले की भांति यह गन्ना पेरने के लिये ले रही है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भैंस के दूध का वितरण

*467. **श्री बड़े :**
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरण प्रसाद :
श्री लहरी सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भैंस का दूध वितरित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के सभी 'बूथों' से 'टोन्ड' दूध वितरित किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्तमान कठिनाई कब तक दूर हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) भैंस के दूध की मिलने वाली मात्रा काफी कम हो गई है, जितना दूध मिलता है उसे टोन्ड दूध बना दिया जाता है । दूध की सप्लाई में कमी किये जाने के कारण निम्न हैं :—

(1) मिल्क कलैक्शन एंड चिलिंग सैन्टर किथोर, यू० पी० के लिये सहकारी समितियों द्वारा दूध प्राप्त करने के कारण दूध सप्लाई करने वालों का आन्दोलन ।

(2) देहली मार्किट में क्रीम और घी जैसे पदार्थों की ऊंची कीमत होने के कारण, दूध से इन पदार्थों को बनाने में दूध सप्लाई करने वालों को अधिक लाभ होता है ।

(3) विशेष रूप से दूध की कीमत और गुण के विषय में गैर-सरकारी खरीदारों की अनुचित प्रतियोगिता के कारण ।

(4) श्राद्धों, त्योहारों आदि के कारण बढ़ी हुई मौसमी मांग का होना ।

(5) भारी वर्षा और बाढ़ से चारे की फसल को जो हानि हुई उससे दूध के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ।

(घ) सप्लाई को सामान्य स्थिति में लाने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है । फिर भी, सप्लाई को सामान्य स्थिति में हम कब तक ला सकेंगे इसके लिये निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

पत्तनों का विकास

*468. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत की उस धारणा पर आपत्ति प्रकट की है जिसके आधार पर भारत ने अपने पूर्वी तथा पश्चिमी तट के साथ-साथ बड़े पत्तनों का जाल बिछाने का कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) पत्तन सुविधाओं के विस्तार में बढ़ा हुआ विनियोजन इनके विकास तथा आर्थिक उन्नति की वर्तमान गति के कितना अनुरूप है ;

(ग) कौन-कौन से पत्तनों का विश्व बैंक के धन से विकास होने की संभावना है ; और

(घ) क्या हल्दिया परियोजना के आयोजन तथा क्रियान्विति के लिय प्रभारी कलकत्ता पत्तन अधिकारियों से कहा गया है कि अपने प्राक्कलनों को कम करें और पुनरीक्षित योजना बनायें ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) समय-समय पर, विश्व बैंक से उन विभिन्न परियोजनाओं पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ है जिनके लिये भारत को विदेशी मुद्रा की सहायता की आवश्यकता है। विचार विमर्ष किये गये विषयों में से बड़े पत्तनों का विकास भी एक है। भारत में दोनों तटों पर बड़े पत्तनों का जाल है ही। फिलहाल नय बड़े पत्तनों की अमल में लाई जाने वाली परियोजना मंगलौर और तूतीकोरिन से संबंधित है। हम हल्दिया पर एक नया सहायक पत्तन भी विकसित कर रहे हैं। हल्दिया परियोजना के लिये प्रचुर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और इसीलिये विश्व बैंक को एक प्रतिवेदन दिया गया है जो उसके विचाराधीन है। बैंक ने हल्दिया परियोजना में सदा विशेष रूचि ली है परन्तु वे कुछ अतिरिक्त आर्थिक आंकड़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। आवश्यक दित्ता के संकलन तथा बैंक द्वारा बताये गए आवश्यक अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है। यह दल अपना कार्य लगभग चार महीनों में पूरा कर लेगा। अतिरिक्त दित्ता प्राप्त होते ही बैंक ने उस पर शीघ्र निर्णय करने का वचन दिया है। विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् के एक ऋण द्वारा बम्बई पत्तन परियोजना की पूर्ति हो जाती है। विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों द्वारा कलकत्ता और मद्रास पत्तनों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है।

(ख) विचार-पूर्ण योजित पत्तन विकास उद्दीप्त करते हैं। पत्तन क्षमता की अतिरिक्तता वर्तमान और प्रत्याशित यातायात के सन्दर्भ से निश्चित की जाती है। भविष्य की क्षमता अप्रत्याशित की गुंजाइश के साथ संभावित यातायात के निर्णय का प्रश्न है।

(ग) हमने विश्व बैंक से हल्दिया परियोजना के लिये एक ऋण की मांग की है। विश्व बैंक के पास बड़े पत्तनों से सम्बद्ध प्रस्ताव और कोई नहीं हैं, बैंक से केवल एक प्रार्थना की गई है कि वह मद्रास पत्तन को दिये गये चालू ऋण की बचत में से पत्तन में कच्चे लोहे संचालन संयंत्र की स्थापना करने के लिये खर्च करने की सहमति दे दें।

(घ) जी हां, जून 1964 में कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर को इस आशय का एक सुझाव दे दिया गया है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

*469. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में नदी परिवहन के प्रयोग में प्रत्यक्षतः कमी आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ाने के लिये तथा पूर्व स्थिति में लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) केवल अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये परिवहन मंत्रालय में एक तकनीकी संस्था स्थापित की जा रही है । देश के अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये इस मंत्रालय की तीसरी योजना में 7.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की योजनायें शामिल की गयी हैं । यह संस्था जो स्थापित की जा रही है प्रदेश सरकारों को चालू आयोजना की योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने और चौथी आयोजना की योजनाओं को बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक निर्देशन देगी ।

कलकत्ता पत्तन समुद्री सेवा

*470. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तन समुद्री सेवाओं को कलकत्ता पत्तन आयुक्त के अधीन विलीन करने की योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि असिस्टेंट हार्बर मास्टरों ने अभ्यावेदन दिया है कि प्रस्तावित पुनर्गठन का उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 10 जून, 1964 से कलकत्ता पत्तन के सहायक हार्बर मास्टरों और हुगली पाइलटों के मौजूदा दो पाइलटेज केडरों के स्थान में "कलकत्ता पाइलट सेवा" नाम की एक नयी सेवा बनाई गयी है।

(ख) और (ग). पहले सहायक हार्बर मास्टरों ने इस नयी योजना के विरुद्ध प्रतिवेदन दिये थे। परन्तु पत्तन अधिकारियों द्वारा दी गयी रियायतों से वे अब सन्तुष्ट हैं और उन्होंने योजना स्वीकार कर ली है।

Movement of Foodgrains

*471. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri B. N. Kureel :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether Government have decided to constitute a high level Central Coordination Committee for regulating the movement of foodgrains in the country;

(b) If so, the departments that will be represented on the Committee; and

(c) when this Committee will be constituted ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) No, Sir.

(b) and (c), Do not arise.

चीनी का उत्पादन

*472. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कठिनाइयों मुख्यत: धन के कारण चीनी उत्पादन के तीसरी योजना के लक्ष्यों में कमी आने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) ये सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं कि ये कमी दूर हो जाए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). तीसरी योजना का चीनी के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

दिल्ली में सहकारी समितियां

*473. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या

42 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सहकारी समितियों के गठन कार्यवहन तथा वित्तीय दशा की जांच के लिये स्थापित जांच समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ख) जांच समिति के सदस्यों के नाम तथा पद क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) रजिस्ट्रार सहकारी, दिल्ली द्वारा बम्बई सहकारी समिति अधिनियम 1925, जोकि दिल्ली में भी लागू किया गया है तथा जो जांच के विषयों के बारे में बताता है, के सेक्शन 43 के अन्तर्गत जांच की जा रही है। यह जांच समिति के गठन, कार्यवहन तथा वित्तीय दशा के बारे में की जानी है।

(ख) जांच के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है।

पटसन विकास सम्बन्धी समिति

*474. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के विकास के लिये एक नई समिति स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं तथा इसके कृत्य क्या हैं ; और

(ग) क्या पटसन उत्पादकों का उसमें प्रतिनिधित्व रखा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या एल टी-3272/64]**।

(ग) पटसन के विकास के लिये केन्द्रीय समिति में पटसन उत्पादकों के दो प्रतिनिधि शामिल किये गए हैं।

कृषि उत्पादन

*475. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) बढ़े हुए कृषि उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं तथा सहकारी समितियों को किस सीमा तक निकट लाया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) पंचायती राजसंस्थाओं को कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों में लगाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय

खास तौर पर सुझाए गए हैं :—

(1) उन्हें प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ और रबी) में काम करने की विस्तृत योजनाएं बनाने के लिए कहा गया है, जिनमें विभिन्न परिचालित अवयवों, विशेषकर सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सप्लाई और ऋण आयोजन सम्बन्धी ठीक ठीक समय तालिकाएं दी जाएं; और सिंचाई सम्भाव्यों का पूरा-पूरा उपयोग करने, अधिक से अधिक स्थानीय खाद साधनों का प्रयोग करने, पौध रक्षण उपायों का आयोजन करने और उर्वरकों व सुधरे बीजों के अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्र लाने के बारे में भी उनमें उल्लेख हो ।

(2) इन प्रत्येक संस्थाओं में कृषि उत्पादन की एक उप-समिति होनी चाहिए जो कि सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों की सहायता से उचित कार्यक्रम बनाए और उनकी कार्यान्विति में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करे ।

(3) इन संस्थाओं के पदाधिकारी पूरी तरह से इन कार्यक्रमों के फालोअप में सम्मिलित होने चाहिएं और उन्हें देखना चाहिए कि परिचालित तालिकाओं के अनुसार काम हो रहा है और बचनबद्ध सप्लाई तथा सेवाएं सुलभ की जा रही हैं ।

(4) प्रगतिशील किसानों की सहायता उनके साथी किसानों का ग्राम लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन कराने और सहायता देने के लिए लेनी चाहिए ।

(ख) बढ़े हुए कृषि उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पंचायतीराज और सहकारी संस्थाओं के बीच कारगर ताल-मेल सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं :—

(1) पंचायती राज संस्थाओं को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के विकास को बढ़ावा दें ।

(2) गांव पंचायत की कृषि उत्पादन समिति, जो कि गांव की कृषि उत्पादन योजनाएं बनाती है, में गांव सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि उत्पादन योजनाएं और उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं समुचित रूप से आपस में जुड़ी हों ।

(3) उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं, उदाहरणार्थ उर्वरक, सहकारी संस्थाओं द्वारा ब्लाक पंचायत समिति की सलाह से तथा उसके द्वारा बताए गए लक्ष्यों के आधार पर मंगवाई जाती हैं ।

श्री वालकाट का भाग निकलना

*476. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री शिव चरण माथुर :

क्या **असैनिक उड्डयन** मन्त्री श्री वालकाट के भाग निकलने के बारे में 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की उपपत्तियों तथा निर्णयों समेत इससे सम्बन्धित सभी प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : रिपोर्ट के साथ साथ एक ज्ञापन, जिसमें उस रिपोर्ट पर भारत सरकार का निर्णय दिया गया है, सभा की मेज पर इस महीने की 28 तारीख को रखा गया था ।

बन्दरगाहों पर अनाज का उतारा जाना

*477. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरगाहों पर अनाज को शीघ्रतापूर्वक उतारने के लिए सरकार को परामर्श देने के लिये दो अमरीकी विशेषज्ञों ने हाल में ही नई दिल्ली का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस उतराई की व्यवस्था में सुधार करने के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिये थे तथा उन सुझावों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों का आयात बढ़ाने पर भी उनके मूल्य इस महीने विशेषतया दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं तथा यदि हां, किस सीमा तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय चार अमरीकी विशेषज्ञों का दल विभिन्न बन्दरगाहों की परिस्थितियों का अध्ययन करने में लगा हुआ है और यह दल अपना दौरा पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(ग) जी, हां । अनाजों के थोक भावों का अखिल भारतीय सूचकांक जो कि सितम्बर, 1964 के पहले सप्ताह में 146.9 था वह सितम्बर, 1964 के दूसरे सप्ताह में बढ़ कर 149 तक पहुंच गया । दिल्ली में भी भाव बढ़ गये हैं । हाल ही में, कुछ क्षेत्रों में भाव गिरने भी शुरू हो गये हैं ।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

1405. **श्री रामचन्द्र मलिक:** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत 31 जुलाई, 1964 को कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों में उपर्युक्त योजना के लिये कोई राशि दी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उड़ीसा में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां स्थापित करना पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता योजना का भाग नहीं है । तथापि 31 जुलाई, 1964 तक पुरस्कार विजेता पंचायतों में 33 औद्योगिक बस्तियां बनाई गई हैं । इन औद्योगिक बस्तियों में योजना के अन्तर्गत पंचायती उद्योग स्थापित किये जायेंगे ।

(ख) और (ग). पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता योजना को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों के निर्माण के लिये शत प्रति-

शत आधार पर ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इस कार्य के लिये उड़ीसा सरकार को गत तीन वर्षों में ऋण के रूप में निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

1961–62	. 16.24 लाख रुपये
1962–63	3.69 लाख रुपये
1963–64 . .	. 14.18 लाख रुपये

उड़ीसा में उपभोक्ता सहकारी स्टोर

1406. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोलने के लिये कौन कौन शहर चुने गये हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1963–64 में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जिन शहरों में स्टोर खोले गये थे उनमें कार्य चालू हो गया है ;

(ग) प्रत्येक स्टोर से कितने लोगों को लाभ हुआ है ; और

(घ) इस समय उड़ीसा में चल रहे इस प्रकार के स्टोरों की संख्या क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वर्ष 1964–65 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर खोलने के लिये निम्नलिखित शहर चुने गये हैं :—

मछलीपटनम्
डिब्रूगढ़
सिलचर
दीनापुर
बरौनी
श्रीनगर तथा जम्मू

(ख) पश्चिम बंगाल में एक स्टोर को छोड़ कर सभी स्टोरों में काम चालू हो गया है।

(ग) चूंकि उपभोक्ता सहकारी स्टोर सदस्यों तथा गैर-सदस्यों दोनों की आवश्यकता पूरी करते हैं अतः प्रत्येक स्टोर से लाभ होने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस समय उड़ीसा में 4 थोक स्टोर तथा 40 प्रारम्भिक स्टोर-शाखायें कार्य कर रही हैं।

फल उत्पाद आदेश, 1955

1407. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारतीय फल तथा परिष्करण उद्योगों पर नियन्त्रण रखने के लिये अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किये गये फल उत्पाद आदेश, 1955 के उपबन्धों का देश के अनेक असंगठित खाद्य उत्पाद निर्माण समवायों द्वारा विशेषकर पूरी तरह से सफाई रखने के मामले में, उल्लंघन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपर्युक्त आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो, क्या उपाय करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) अनधिकृत रूप से फल उत्पादों के निर्माण को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(एक) अनधिकृत फल तथा वनस्पति उत्पादों के उत्पादन का पता लगाने के लिये नगरों तथा शहरों में बाजारों की निरीक्षण व्यवस्था को विस्तृत किया गया है ।

(दो) ऐसे निर्माताओं को एफ० पी० ओ० के अन्तर्गत लाइसेन्स लेने के लिये कहा गया है। उन्हें फल उत्पाद आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित आवश्यक सफाई सम्बन्धी नियमों के अनुसार फल परिरक्षण कारखाने स्थापित करने तथा आदेश के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्ठ विवरण के अनुसार उत्पादों का निर्माण करने के लिये तकनीकी सहायता दी जाती है ।

(तीन) गन्दे स्थानों में बनाये गये, तथा फल उत्पाद में निर्धारित स्तर के आदेश अनुरूप निर्मित न किये गये उत्पादों को फल उत्पादन संगठन के निरीक्षकों द्वारा जब्त करके नष्ट किया जाता है ।

(चार) फल उत्पाद आदेश, 1955 के उपबन्धों का बार बार उल्लंघन करने वाले अनधिकृत निर्माताओं को दण्ड दिया जाता है ।

चीनी और गेहूं के मूल्यों में एकरूपता

1408. **श्री अचल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी एक राज्य में तो 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो तथा उसके समीपवर्ती दूसरे राज्य में 3 रुपये प्रति किलो के भाव बेची जा रही है। इसी प्रकार गेहूं विभिन्न राज्यों में 18 रुपये, 30 रुपये तथा 45 रुपये प्रति मन के भाव बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सभी राज्यों में मूल्यों में एकरूपता लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (ग). अगस्त, 1964 में देश के विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण बाजारों में चीनी के मूल्य प्रति किलो 1 रुपये 22 पैसे और 1 41 पैसे के बीच में थे । यह अन्तर अनावश्यक रूप से अधिक नहीं है । जहां तक विभिन्न राज्यों में गेहूं के मूल्यों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का ध्यान पृथक् रूप से परिचालित "खाद्य स्थति की समीक्षा" की ओर दिलाया जाता है ।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डा

1409. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री बसवन्त :

क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रियों की सुविधा के हेतु अधिक स्थान की व्यवस्था करने के लिये सान्ताक्रुज हवाई अड्डे का विस्तार सम्बन्धी एक ठोस योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार सम्बन्धी योजना का विवरण क्या है ; और

(ग) इस योजना पर अनुमानित कितना व्यय होगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). यात्रियों की सुविधाओं के लिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के हेतु सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग के अन्तर्राष्ट्रीय कक्ष का विस्तार तथा उसमें फेर बदल की जा रही है। इसकी लागत 12.55 लाख रुपये होगी तथा इस कार्य में अन्य वस्तुओं के साथ साथ निम्नलिखित व्यवस्था भी की जायेगी :—

(1) आगमन कक्ष का विस्तार;

(2) सीमा शुल्क कक्ष का विस्तार;

(3) सामान सम्बन्धी दावा करने के स्थान का विस्तार;

(4) दर्शक तथा यात्री कक्ष का विस्तार;

(5) पारगमन क्षेत्र का विस्तार;

(6) अतिरिक्त स्नानागार;

(7) पारगमन भोजन कक्ष के लिये पेन्ट्री;

(8) समाचार पत्र कक्ष का निर्माण ;

(9) स्वतन्त्र रूप से पहली मंजिल पर स्थित पारगमन कक्ष में जाने के लिये एक बड़ी सीढ़ी का निर्माण ;

(10) वातानुकूलित करना ।

आस्ट्रेलिया से गेहूं

1410. श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया से 75 हजार टन गेहूं खरीदने सम्बन्धी करार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) भारत को गेहूं कब तक उपलब्ध किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) गेहूं आस्थगित भुगतान के आधार पर खरीदा गया है । जहाजों में गेहूं लदवाने का काम सितम्बर/अक्टूबर तक पूरा हो जायेगा । गेहूं के मूल्य के बारे में बताना वांछनीय नहीं है ।

(ग) हाल ही में लन्दन को जाने वाले तीन गेहूं के जहाजों के भारत आ जाने से 36,000 टन गेहूं भारत आ चुका है । शेष अक्टूबर/नवम्बर, 1964 तक भारत पहुंच जाने की आशा है ।

Sugar Mills

1411. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of sugar mills in various States of the country and the production capacity of each factory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : A statement giving the required information is attached. [Placed in Library. See No,—L.T—3273/(64)]

सामाजिक सुरक्षा (अवधान) योजनायें

1412. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1963–64 में बिहार राज्य सरकार को राज्य में सामाजिक सुरक्षा (अवधान) योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) इस कार्य के लिए वर्ष 1964–65 में कितनी राशि दी गई है अथवा देने का प्रस्ताव है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1964–65 के लिये अभी तक राज्य सरकार को कोई राशि नहीं दी गई है । राज्य सरकार से इस के लिये प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि दी जायेगी ।

मतों की पुनः गणना सम्बन्धी आवेदन पत्रों की सुनवाई

1413. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने मामले हैं जिनमें मतों की पुनः गणना सम्बन्धी आवेदनपत्रोंकी सुनवाई के समय निर्वाचन आयुक्त स्वयं उपस्थित थे ;

(ख) वह किन तिथियों को उपस्थित थे तथा जिन के आवेदनपत्रों की सुनवाई के दिन उपस्थित हुए थे उन उम्मीदवारों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसा निर्वाचन नियमों के अनुसार किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतों की पुनः गणना सम्बन्धी आवेदनपत्रोंकी सुनवाई के किसी अवसर पर उपस्थित नहीं थे । तथापि

1962 के आम चुनाव में गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार श्री ना० दांडेकर से यह आवेदनपत्र प्राप्त होने पर कि चुनाव अधिकारी द्वारा दिये गये पुनः मतगणना के आदेश को रद्द कर दिया जाये तथा श्रीमती सुभद्रा जोशी के इसी प्रकार के आवेदनपत्र पर कि बलरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मत गणना के बारे में उसी चुनाव अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को रद्द कर दिया जाये, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 5 मार्च, 1962 को गोंडा गये और इस बारे में सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई की ।

(ग) यह संविधान के अन्तर्गत आयोग को प्राप्त समस्त चुनावों की देखभाल, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्तियों के अनुरूप है ।

किठौड़ में दुग्ध अभिशीत संयंत्र[1]

1414. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किठौड़ (जिला मेरठ) में दुग्ध अभिशीत संयंत्र चालू होने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की क्षमता कितनी है ; और

(ग) संयंत्र स्थापित करने में कितना अनुमानित व्यय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) यह 4–9–1964 को चालू किया गया था ।

(ख) इस की क्षमता 2,000 लिटर प्रतिघंटा है ।

(ग) लगभग 2.78 लाख रुपये ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31

1415. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 को किशनगंज के पास पश्चिम बंगाल से मिलाने के लिये, जैसी कि बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, 1956 पर विचार के समय संयुक्त प्रवर समिति ने सिफारिश की थी, क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है अथवा इस सम्बन्ध में अर्जन कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) संयुक्त प्रवर समिति ने यह सिफारिश की थी कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच प्रस्तावित सीमा किशनगंज नगर की नगरपालिका सीमा की पूर्वी हद के अनुसार होनी चाहिये और किशनगंज से हो कर जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ को इस प्रकार मोड़ना चाहिये कि इस राजपथ का पूर्वी भाग नगरपालिका सीमा के साथ साथ चले। परन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने अपनी सिफारिश का उत्तरार्द्ध बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक अथवा अधिनियम में नहीं रखा था। परन्तु किशनगंज की सीमा पर उपमार्ग के निर्माण की आवश्यकता के बारे में विचार किया जा रहा है ।

[1]Milk chilling Plant.

(ख) उपमार्ग के लिये भूमि अर्जित करने की कार्यवाही उस हालत में प्रारम्भ की जायेगी जबकि उपमार्ग की आवश्यकता स्वीकार कर ली जाये ।

पोरबन्दर के प्रकाश स्तम्भ में आग

1416. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 सितम्बर, 1964 को पोरबन्दर के प्रकाश स्तम्भ में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है और आग लगने के कारण क्या हैं ; और

(ग) यदि इस आग लगने से कोई हानि हुई है तो वह कितनी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) आग शार्ट सर्किट हो जाने के कारण लगी थी और एक ट्रांसफारमर को हानि पहुंची है ।

(ग) लगभग 220 रुपये ।

कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

1417. **श्री वि० भू० देव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ के जशपुर–गोमला भाग पर संख और बाला नदियों पर कोई सड़क का पुल न होने के कारण यातायात में बहुत देर लगती है ;

(ख) क्या इन दो नदियों पर सड़क के पुलों के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को चालू योजना में आरम्भ किया जायेगा अथवा अगली योजना में ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). जशपुर नगर-गुमला सड़क किसी राष्ट्रीय राजपथ का भाग नहीं है । यह राज्य की सड़क है और इसलिये इसमें सुधार करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है ।

तथापि, अन्तर-राज्य अथवा आर्थिक महत्व वाली राज्य की सड़कों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो मई, 1954 में स्वीकार किया गया था, भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार को जशपुर नगर-गुमला सड़क के सुधार के लिये, जिसमें संख और बाला नदियों पर पुलों का निर्माण भी शामिल है, 13.34 लाख रुपये की, जो अनुमानित लागत (20 लाख रु०) का दो तिहाई है, सहायता-अनुदान दिया था ।

सड़क के सुधार सम्बन्धी कार्य की मंजूरी मार्च, 1955 में दी गई थी । इस कार्य की क्रियान्विति के समय राज्य सरकार को पता चला कि बिहार सरकार के पास संख (ऊपरी जल परि-

योजना के निर्माण का एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके अनुसार जशपुर नगर-गुमला सड़क का काफी भाग डूब जायेगा । बिहार और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने संख नदी पर पुल बनाने के लिये एक नया स्थान चुन लिया है । नये स्थान पर संख नदी पर पुल बनाने की और मिलाने वाली सड़कों की अनुमानित लागत अब वर्तमान मार्ग के साथ साथ की सड़क को सुधारने की मूल अनुमानित लागत से दुगनी हो गई है और परियोजना के लिये आरम्भ में दिये गये सहायता अनुदान के वितरण के प्रश्न पर राज्य सरकारों से लिखा पढ़ी की जा रही है ।

केरल में पर्यटन विकास निगम

1418. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एक पर्यटन विकास निगम स्थापित करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) निगम स्थापित करने में देरी के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मामला प्रारम्भिक रूप से केरल सरकार से सम्बन्ध रखता है और उससे आवश्यक विवरण भेजने के लिये कह दिया गया है । जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल की सड़कें

1419. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सड़कों का पुनः वर्गीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि समुचित मरम्मत के अभाव के कारण बहुत सी सड़कें यातायात के लिये खतरनाक हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों की मरम्मत के लिये धन के नियतन में वृद्धि करना चाहती है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में राष्ट्रीय राजपथ

1420. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में राष्ट्रीय राजपथ पर अरूर पुल से एरणाकुलम तक की सड़क की हालत से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अरूर पुल से एरणाकुलम के उस स्थान तक जहां पर कि एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव है तट के साथ साथ भूमि प्राप्त कर के एक नई सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) कोचीन क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) कोचीन के पास मेटनचेरी नगर के रास्ते भीड़भाड़ वाले क्षेत्र के लिये एक उपमार्ग के रूप में अरूर पुल से एरनाकुलम की ओर एक नई सड़क बनाने का प्रस्ताव है । नई सड़क वेलिंगडन द्वीप और कोचीन के बीच के पुल से मिलेगी। यह सड़क वैलिंगडन द्वीप पर वर्तमान दो पुलों के स्थान पर प्रस्तावित पुलों को भी मिलायेगी । मार्ग निर्धारण संबंधी ब्योरे विचाराधीन हैं ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एरणाकुलम कस्बे के चारों ओर उपमार्ग के निर्माण और राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 के रास्ते को चौड़ा कर दुहरा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

केरल में सड़कों की लम्बाई

1421. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालावार और ट्रावनकोर–कोचीन में सड़क की लम्बई के मामले में काफी स्थानीय असमता है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल राज्य के विभिन्न जिलों और प्रदेशों में सड़कों की कुल लम्बाई के असमान वितरण को संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में टैंक नौकाएं

1422. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के अन्तर्देशीय जलमार्गों के रास्ते पेट्रोलियम के उत्पादों को ले जाने के लिये लकड़ी के पेट की टैंक नौकाओं के लाइसेंस देने के लिये लाइसेंस नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या केरल में लागू नियमों के अन्तर्गत इन नौकाओं में बिना खतरे वाले पेट्रोलियम के उत्पादों को ले जाना मना है ; और

(ग) पेट्रोलियम के उत्पादों को ले जाने के लिये केरल के अन्तर्देशीय जलमार्गों को उपयोग में लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि ऋण

1423. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के मारफत कृषि ऋण देने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के कब तक क्रियान्वित हो जाने की आशा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने यह योजना पहले से ही चालू कर रखी है?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अभी तक ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ; तथापि मैसूर में एक अनुसूचित बैंक ने दक्षिण कन्नड़ जिले में किसानों की सहायता के लिये अपनी मर्जी से एक कृषि विकास विभाग स्थापित किया है।

कीटनाशक दवाइयों को बखेरने के लिये संगठन

1424. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री बृजराज सिंह कोय :
श्री पू० चं० देव भंज :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में खड़ी फसलों पर कीटनाशक दवाइयां छिड़कने के लिये एक संगठन बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) कौन कौन से राज्य तथा राज्य क्षेत्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) से (ग) कीटनाशक दवाइयां भूमि पर से छिड़की जा सकती हैं और हवा से भी । भारत सरकार देश में फसल के कीड़ों और रोगों को समाप्त करने के लिये विमानों के जरिये दवाइयां बखेरने की सुविधाओं में विस्तार करने पर विचार कर रही है। इस मामले पर सरकार को मंत्रणा देने के लिये एक अमरीकी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। उसकी सिफारिशों को ध्यान में रख कर ब्योरे तैयार किये जायेंगे।

सहकारी समितियों द्वारा ऋण

1425. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार सहकारी समितियों द्वारा समस्त भारत और बिहार में कितने कितने प्रतिशत ऋण दिया जाता है और इनमें अब तक कितने कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा ग्रामीण परिवारों को उनकी कुल उधार का निम्नलिखित प्रतिशत भाग दिया गया :

	भारत	बिहार
(क) ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन (1951-52) के अनुसार . .	3 प्रतिशत	1.1 प्रतिशत
(ख) ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण (1961–62) (अस्थायी प्राक्कलन)	17 प्रतिशत	3.0 प्रतिशत

सहकारी विभाग के कर्मचारी

1426. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम और द्वितीय योजनाओं में नियत राशियों और वार्षिक आय व्ययकों में से सहकारी विभाग के कर्मचारियों पर राज्यवार क्या व्यय किया गया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डमडम हवाई अड्डे की इमारत

1427. **डा० रानेन सेन** :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम हवाई अड्डे की इमारत को बड़ा करने तथा उसमें सुधार करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) इस पर कुल कितनी पूंजी व्यय होगी ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) डमडम हवाई अड्डे की वर्तमान इमारत को बड़ा करने अथवा उसमें सुधार करने का कोई विचार नहीं है। दो नई इमारतें 1.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बनाई जा रही हैं; एक अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिये और दूसरी हवाई यातायात नियंत्रण सुविधाओं के लिये।

प्रशिक्षण देने वाले विमान का जल जाना

1428. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1964 के पहले सप्ताह में पटयाला में एक दो सीटों वाला प्रशिक्षण देने वाला विमान जला दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) जांच के ब्यौरे क्या हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख): जी, हां।

(ग) जांच अधिकारी का प्रतिवेदन विचराधीन है।

अन्धों की संस्था

1429. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, अन्धों की संस्था, पंचकुंइ रोड, नई दिल्ली के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) यह संस्था दिल्ली प्रशासनन/केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये और इसे साफ और खुले स्थान पर ले जाया जाना चाहिये।

(2) ऊपर दिये गये सुझाव के क्रियान्वित किये जाने तक ।

(एक) प्रबन्धक समिति को वहां पर रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु इमारत की मरम्मत करानी चाहिये, स्नानघरों और शौचालयों पर छत या टीन डलवानी चाहिये, जलनिकास-प्रणाली की पूरी मरम्मत की जानी चाहिये और इसे नगरपालिका की मलमूत्र प्रणाली से मिला देना चाहिये ;

(दो) उपयुक्त अर्हता-प्राप्त तथा अनुभवी शिक्षकों को रख कर शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिये; शिक्षकों के वेतनक्रमों को पुनरीक्षित किया जाना चाहिये और उनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये; नवीनतम पुस्तकें और उपकरणों को प्रयोग में लाया जाना चाहिये; निश्चित पाठ्यचर्या अपनाई जानी चाहिये ;

(तीन) हल्के इंजीनियरिंग व्यापार आरम्भ किये जाने चाहियें ;

(चार) बच्चों को चंदा इकट्ठा करने के लिये भेजना तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये ;

(पांच) हिसाब किताब रखने के लिये एक पूर्णकालिक लेखापाल और संस्था के कार्यों के निष्पादन के लिये एक पूर्णकालिक निष्पादक नियुक्त किये जाने चाहियें।

(छ) छात्रावास सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिये और वहां पर रहने वालों के लिये पौष्टिक भोजन, उपयुक्त बिस्तरों और वस्त्रों का उपबन्ध किया जाना चाहिये।

(ग) (1) के सामने दी गई सिफारिशें दिल्ली प्रशासन की जानकारी में ला दी गई हैं और वह उन पर विचार कर रहा है। ऊपर (2) के सामने दी गई सिफारिशों के बारे में संस्था की प्रबन्धक समिति को सूचित कर दिया गया है और उसे यह भी आश्वासन दिया गया है कि सुधार के लिये सरकारी सहायता दी जायेगी। उनके सुझावों की अब प्रतीक्षा है।

दिल्ली-हरिद्वार बस मार्ग

1430. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री कोल्ला वेंकया :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्तमान नियमों के विरुद्ध दिल्ली–हरिद्वार के राष्ट्रीकृत मार्ग पर बसें चलाने के लिये दिल्ली प्रदेश के प्राइवेट बस मालिकों को परमिट देने के बारे में विरोधपत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली

1431. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली के परिसर के अन्दर की सड़कें और गलियां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में आती हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी गलियां गत कई वर्षों से बिना मरम्मत के पड़ी हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) जी हां, जुलाई, 1962 से । इससे पूर्व ये दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में थे ।

(ख) इस समय वनस्पति विभाग से डेरी फार्म तक की सड़क बिना मरम्मत के पड़ी है शेष गलियों की मरम्मत कर दी गई है ।

(ग) ऊपर (ख) पर दी गई सड़क पर भारी यातायात रहता है और वर्तमान विशिष्ट विवरणों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा काफी विचार किया गया था । परीक्षणों के पश्चात् विशिष्ट विवरणों पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और कार्य शीघ्र ही हाथ में ले लिया जायेगा ।

शटल स्टीमर सेवा

1432. **श्री रं० वेंकटासुब्बया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बर्मा से भारतीयों को वापस बुलाने के लिये रंगून और मद्रास और विजाग के बीच एक शटल स्टीमर सेवा चलाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन जहाज कम्पनियां यह कार्य करने के लिये राजी हो गई हैं ;

(ग) यह कब तक चालू हो जायेंगी ; और

(घ) यात्रियों को क्या क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) जुलाई, 1964 में, बर्मा से भारतीय राष्ट्रजनों को वापस बुलाने के लिये सरकार के कहने पर मुगल लाइन लिमिटेड ने रंगून-मद्रास और रंगून-विशाखापटनम के बीच शटल सेवा चलाई थी । यात्रियों को वे सभी सामान्य सुविधायें दी जाती हैं जो मुगल लाइन लिमिटेड के जहाजों के यात्रियों को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त डेक यात्रियों की कुछ श्रेणियों को भाड़े में रियायत दी जाती है ।

गंडक नदी पर गथेमी घाट पर पुल

1433. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बिहार में छोटी गंडक नदी पर गथेमी घाट पर एक पुल बनाने पर विचार कर रही है जोकि बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों को मिलायेगा ; और

(ख) यदि हां तो कब और इस पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :प्रश्न शायद गुथनी बाज़ार के पास छोटी गंडक पुल से सम्बन्ध रखता है । यदि ऐसा है तो स्थिति इस प्रकार है :—

(क) और (ख) जी हां, जुलाई, 1964 में भारत सरकार ने 18,43,700 रु० की अनुमानित लागत पर पुल का निर्माण स्वीकार किया और केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) कोष से लागत के एक तिहाई भाग का अनुदान भी मंजूर किया । पुल की शेष लागत उत्तर प्रदेश और

बिहार सरकारों द्वारा समान रूप से वहन की जायेगी। शीघ्र ही, इस कार्य के लिये, बिहार लोक निर्माण विभाग द्वारा टेन्डर मंगाये जायेंगे। टेन्डर मंजूर करने के पश्चात् कार्य आरम्भ हो जायेगा।

कन्या कुमारी-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ

1434. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मई, 1964 में समुद्र तट क्षरण के कारण कन्या कुमारी-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ का कुछ भाग टूट गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समुद्री तट क्षरण को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। मई, 1964 में समुद्री तट क्षरण के कारण राष्ट्रीय राजपथ 47 (क्विलोन एलेपी सेक्शन) पुराखड (41 और 42 मील) के स्थान पर कभी कभी जलमग्न हो गई, परन्तु सड़क वास्तव में नहीं टूटी।

(ख) प्रभावित तट रेखा को बचाने के लिये समुद्री दीवार का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पालम हवाई अड्डे पर अग्निकांड

1435. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 मई, 1964 को पालम हवाई अडडे पर एप्रन के पास जमीन के नीचे एक पेट्रोल की टंकी में आग लग गई और वह फट गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था और हानि कितनी हुई ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) 28 मई, 1964 को पालम हवाई अड्डे पर एप्रन के पास बर्मा शेल की एक भूमिगत टंकी से जुड़े हुए पम्प हाउस में आग लग गई।

(ख) आग दुर्घटना की रिपोर्ट भारत सरकार को 26 सितम्बर, 1964 को मिली और वह विचाराधीन है ।

सहकारी प्रबन्ध में प्रशिक्षण

1436. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारी प्रबन्ध में प्रशिक्षण के लिये एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

गुड़ के मूल्य

1437. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी चीनी कारखानों की राष्ट्रीय संघ ने गुड़ के मूल्यों के निर्धारण के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकार स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में चावल और गेहूं की कमी

1438. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1964 में महाराष्ट्र में चावल और गेहूं की भारी कमी रही ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा कितना चावल और गेहूं दिया गया ; और

(ग) क्या यह मात्रा राज्य की आवश्यकता पूरी करने के लिये काफी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जून, 1964 में महाराष्ट्र में गेहूं और चावल का संभरण बहुत कम था ।

(ख) जून, 1964 में केन्द्रीय स्टाकों से महाराष्ट्र राज्य को चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा दी गई :—

	मात्रा 1000 मीट्रिक टनों में
चावल . . .	24.2
गेहूं .	100.6
कुल .	124.8

(ग) खाद्यान्नों की आवश्यकता का निश्चित हिसाब नहीं लगाया जा सकता है । किसी राज्य को किसी विशेष अवधि के लिये संभरण वहां की सरकार के परामर्श से किया जाता है और उसके लिये इन बातों का ख्याल रखा जाता है कि केन्द्र के पास कुल कितना खाद्यान्न उपलब्ध है तथा अन्य राज्यों की आवश्यकतायें क्या हैं ?

संगणक परियोजना[1]

1439. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ खाद्य तथा कृषि संगठन विशेषज्ञ गत मई में भारत आये थे और उन्होंने खाद्य तथा कृषि संगठन का आंकड़े संकलन उपकरण का प्रस्ताव रखा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सितम्बर, 1963 में दो रूसी विशेषज्ञों द्वारा भारत के दौरे के पश्चात्, खाद्य तथा कृषि संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी को, जो कि मई, 1964 में भारत आया था, हमें यह सूचित किया था कि, यदि हम संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड से प्रार्थना करे तो, विस्तृत प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भवतया भारत को रूस में निर्मित आंकड़ा संकलन उपकरण मिल सकता है जिसकी लागत लगभग दस लाख डालर होगी । तदनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड को एक योजना की रूपरेखा भेज दी गई थी जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है । इस योजना के अधीन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मैसूर तथा नई दिल्ली में चार संगणक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । परियोजना के ब्यौरे सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श में तैयार किये जा रहे हैं । इस परियोजना से आंकड़ों से अधिक शीघ्रतापूर्वक संकलन करने में सहायता मिलेगी ।

भेड़ प्रजनन योजना

1440. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोडाईकानल की प्रस्तावित भेड़ प्रजनन योजना का परित्याग कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार का जयपुर में एक बड़ा केन्द्र तथा मैसूर में एक उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ;

(ग) इस योजना की कुल लागत कितनी होगी ; और

(घ) क्या इस योजना के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से भी रुपया दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मुख्य भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्था राजस्थान में मालपुरा में स्थापित की जा रही है । इसके साथ सम्बद्ध दो उपकेन्द्रों में से एक कुलू घाटी (पंजाब) में भुंटर स्थापित किया जा रहा है तथा दूसरे को मद्रास राज्य में कोडाईकानल में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

[1]Co mputer project

(ग) 326 लाख रुपये ।

(घ) जी, हां, 777,500 डालर तक की सहायता दी जायेगी जो कि मुख्यतया विदेशी विशेषज्ञों, उपकरण आदि के रूप में होगी ।

खाद्यान्न व्यापारियों से ज्ञापन-पत्र

1441. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापार मण्डल संघ के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने उन्हें एक ज्ञापन-पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन-पत्र में उन्होंने क्या मुख्य सुझाव तथा कठिनाइयां सामने रखी है ; और

(ग) सरकार उनके सुझावों से कहां तक सहमत अथवा असहमत हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी-3 274/64)**

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में दाखिला

1442. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था की कृषि अर्थशास्त्र फैकल्टी में पी० एच० डी० डिग्री के लिये विद्यार्थियों को दाखिला देते समय द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए एक कला स्नातक (आर्ट्स ग्रेजुएट) को कृषि अर्थशास्त्र में एम० एस० सी० में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण एक विद्यार्थी के मुकाबले में अधिमान दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को होने से रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला विद्यार्थियों के मैट्रिक और उससे पश्चात् के शिक्षा सम्बन्धी विवरण के तथा इस संस्था की स्नातकोत्तर परिषद द्वारा लिये जाने वाले इन्टरव्यू में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित योग्यता के आधार पर दिया जाता है । ये आवश्यक नहीं है कि इन्टरव्यू के लिये केवल उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाया जाये जिन्होंने कि अपनी अन्तिम विश्वविद्यालय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो अपितु उन विद्यार्थियों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने वह परीक्षा द्वितीय श्रेणी में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण की हो और जिनका शिक्षा सम्बन्धी पिछला विवरण अच्छा रहा हो । विद्यार्थियों के शिक्षा सम्बन्धी विवरण के आधार पर तथा इन्टरव्यू में उनके द्वारा

प्रदर्शित योग्यता पर अर्जित अंकों के आधार पर विद्यार्थियों का योग्यताक्रम निर्धारित किया जाता है ।

प्रश्न में जिस विद्यार्थी के बारे में कहा गया है उसे दाखिले के लिये नहीं चुना गया था क्योंकि इन्टरव्यू में उसकी स्थिति बहुत असन्तोषजनक रही थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उपरिलिखित दाखिले में कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी ।

Prostitution in Delhi

1443. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

ill the Minister of **Social Security** be pleased to state the measures taken by Government to check prostitution in the Capital?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao):

The following measures have so far been taken to check prostitution in the capital :—

1. The Supression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 was extended to the Union territory of Delhi on 1-5-1958. The agency of the Special Police Officer, as visualised under the Act, was also created to deal with the cases under the Act. Almost all the Station House Officers of the city area have since been notified for the assistance of Special Police Officer, Delhi.

2. An Advisory Body with the main function of advising the Special Police Officer on matters of general importance relating to the working of the Act was formed on 14th May, 1958. It consists of the following members :—

1. Shri Meer Mustaq Ahmad.
2. Mrs. Kasturi Bishan Narain
3. Mrs. Shakuntla Lall
4. Shri Roop Narain Khanna
5. Shri R.H. Dhebar.

3. A close and constant vigilance on the hotels in Delhi is being kept with a view to minimise the evil.

4. Similarly, the so-called dancing schools and restaurants organising "Jam Sessions " are being kept under strict observance.

5. The Special Police Officer has a net work of officials who entertain and investigate public complaints against prostitution.

6. A Protective Home for Women is being established by the Delhi Administration in the near future to provide shelter and correctional treatment to women in moral danger and/or those involved in prostitution. It will be run by the Association for Moral and Social Hygiene in India with funds provided by the Delhi Administration.

गेहूं के तस्कर व्यापारियों का गिरोह

1444. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून में दिल्ली में गेहूं के तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह के होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति दोषी सिद्ध कर दिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(क) तीन ट्रक ड्राइवर और गिरोह का नेता गिरफ्तार किये गये थे । गिरोह के विरुद्ध मामले की अभी तक जांच चल रही है ।

ग्राम्य पुनर्निर्माण

1445. { **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 21 अप्रेल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1964 में कुआलालमपुर में हुए ग्राम्य पुनर्निर्माण सम्बन्धी अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है तथा उसकी जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). ग्राम्य पुनर्निर्माण सम्बन्धी अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन का प्रतिवेदन अभी हाल ही में (18 सितम्बर, 1964 को) प्राप्त हुआ है । उसकी जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने पर अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सामाजिक सेवाओं के लिये निरीक्षकालय

1446. { **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन : }

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच प्रादेशिक निरीक्षकालयों को स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्थापित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सामाजिक कल्याण सेवाओं के स्तर का सुधार करने के लिये अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में सामाजिक कल्याण सेवाओं के स्तर का सुधार करने के लिये, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रशिक्षण तथा ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है तथा गोष्ठियों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है ।

गुड़ और मेवा का वितरण

1447. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में सहकारी संस्थाओं को गुड़ तथा मेवा के वितरण का एकाधिकार दे दिया गया है और उनके द्वारा विशेषतया गुड़ बहुत अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि, हां; तो उसके क्या ब्यौरे हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राजस्थान में कुछ सहकारी संस्थाओं ने जो कुछ बेचा था वह बहुत ही घटिया किस्म का था तथा केवल पशुओं के खाने योग्य था; और

(घ) यदि हां, इस मामले की जांच करने के लिये तथा इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी राज्य में गुड़ तथा मेवों के वितरण का पूर्ण एकाधिकार सहकारी संस्थाओं को दे दिया गया है । केवल राजस्थान में ही राज्य विपणन समिति को उत्तर प्रदेश से गुड़ प्राप्त करने तथा उसके वितरण का एकाधिकार दिया गया था । सहकारी संस्थाओं को राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा आयात किये गये मेवों के एक मात्र वितरण-कर्ता के रूप में भी नियुक्त किया गया था ।

(ग) और (घ). राज्य विपणन समिति द्वारा अधिक मूल्य पर घटिया किस्म के गुड़ के विक्रय के बारे में राजस्थान सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं । इस मामले की जांच की गई थी और जांच के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

दिल्ली के चारों ओर भूकम्पीय पट्टी

1448. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चारों ओर एक भूकम्पीय पट्टी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को जानने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है अथवा किया जा रहा है कि यह भूकम्पीय पट्टी कहां तक फली हुई है और इससें राजधानी को कितना खतरा है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दिल्ली राज्य तथा उसके आस पास के क्षेत्र एक हल्की भूकम्पीय पेटी में हैं तथा यहां पर भूपटल में एक "दोष" है जिसकी वजेह से गत समय में हलकी और मध्यम तीव्रता के भूकम्प आये हैं।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा यह जानने के प्रयत्न किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं कि यह "दोष" कितना है तथा दिल्ली के चारों ओर भूकम्पीय पट्टी कहां तक है। गत 150 वर्षों के दौरान इस पट्टी में कोई भारी भूकम्प नहीं आया है, परन्तु हल्की से मध्यम तीव्रता तक के भूकम्पों के अधिकेन्द्रों का पता लगा है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

1449. **श्री हेम राज :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास केन्द्रीय सलाहकार समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिये एक वृहद् योजना तैयार करने के हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास की समस्याओं के किन विशेष पहलुओं पर इस कार्यकारी दल द्वारा ध्यान दिया जायेगा तथा इस दल द्वारा कब अपनी सिफारिशों के प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं की समेकित रूप में जांच करेगा तथा उसकी सिफारिशें विशेषत: संचार, सड़कों, फसलों की किस्म, बागवानी, वनशास्त्र, मत्स्यपालन, पशुपालन, भू तथा जल रक्षण, कृषि उपकरणों का विकास, उचित विपणन सुविधाओं का सुंवर्धन आदि की समस्याओं तथा अन्य इससे सम्बन्धित पहलुओं के सम्बन्ध में होंगी। क्योंकि सर्वेक्षण का बहुत सा कार्य किया जाना है तथा आधारभूत जानकारी एकत्रित की जानी है अत: कार्यकारी दल द्वारा प्रतिवेदन के दिये जाने में कुछ समय लगेगा।

वाराणसी में हस्तनिर्मित कागज उद्योग

1450. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय अपराध निरोध समिति, मुक्त किये गये कैदियों

को रोजगार देने के लिये,उसको अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई रकम की सहायता से वाराणसी में एक हस्त-निर्मित कागज़ का कारखाना तथा लखनऊ में दियासलाई का एक कुटीर कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक कारखाने के लिये आयोग ने कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) इन कारखानों में उत्पादन कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) हस्त-निर्मित कागज़ के कारखाने के लिये . 75,000 रुपये

दियासलाई के कारखाने के लिये . . . 19,500 रुपये

(ग) यह आशा की जाती है कि हस्त-निर्मित कागज़ के कारखाने में दिसम्बर, 1964 में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा । दियासलाई के कारखाने के बारे में ऐसी आशा है कि अपेक्षित लाइसेंसों के प्राप्त होते ही उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा ।

कृषि के लिये आवंटन

1451. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक कृषि योजना आवंटनों को खर्च नहीं कर सकी हैं;

(ख) खर्च आवंटन से कितना कम रहा; और

(ग) अभी किस हद तक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). वर्ष 1961–62 और 1962–63 के लिये कृषि योजना आवंटन में से किये गये कम खर्च के बारे में एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-3275/64]** वर्ष 1963–64 के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी कृषि वस्तुओं के उत्पादन के बारे में निर्धारित देशनांक 176 के (1949–50-100 के आधार पर) विपरीत वर्ष 1963–64 में उत्पादन का देशनांक 140·5 रहा । पटसन और गन्ने के बारे में निर्धारित उत्पादन-स्तर प्राप्त हो जाने की संभावना है । खाद्यान्न, रुई और तिलहन के बारे में योजना लक्ष्यों में कुछ कमी होने की आशा है ।

चावल का उत्पादन

1452. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में वर्ष 1963–64 में चावल के उत्पादन में पहले मौसम की अपेक्षा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन में इस वृद्धि के बावजूद इस प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में चावल के संभरण में कमी बराबर है और इसके मूल्य पहले वर्ष की अपेक्षा अधिक हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 15 प्रतिशत ।

(ग) पश्चिम बंगाल में इस वर्ष चावल के मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हैं । तथापि, आसाम, बिहार उड़ीसा राज्यों में इस वर्ष मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक हैं ।

जहां कहीं आवश्यक हुआ, उचित मूल्य वाली दुकानों पर सरकारी खाद्यान्न के वितरण को बढ़ा दिया गया है ।

वन-उत्पादों का मूल्य निर्धारण

1453. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत वन बोर्ड ने वन उत्पादों के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा इसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) जी, नहीं । तथापि, केन्द्रीय वन बोर्ड ने वन-आधारित उद्योगों को वन कच्चा माल देने सम्बन्धी एक समिति बनाई है, जिसके निर्देश पदों में, अन्य बातों के साथ साथ, वन-आधारित उद्योगों को देने के लिये वन कच्चा माल के लिये उचित मल्य के बारे में नीति बनाना भी शामिल है । अभी उक्त समिति ने अपने प्रतिवदन को अन्तिम रूप दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फल तथा वनस्पति उत्पादन का विकास

1454. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में फल तथा वनस्पति उत्पादन के विकास के लिए आवंटित धनराशि में से अभी तक कितना धन व्यय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों आदि से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"एक पर्यटक की शिकायत"

1455. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1964 के 'स्टेट्समैन' में 'एक पर्यटक की शिकायत' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लौस एंजिल्स (अमरीका) की श्रीमती हेनरीटा कोगान के पत्र की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने पत्र में उठाये गये विभिन्न मामलों की, विशेषतः एयर इण्डिया द्वारा जारी किये गये एक फोल्डर के वितरण के बारे में जांच कर ली है ; और

(ग) क्या इन शिकायतों का सत्यापन किया गया और भारत के बाहर गलत प्रचार द्वारा विदेश से आने वाले पर्यटकों को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए कदम उठाये गये हैं ?

रिवह : मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। 'एक पर्यटक की शिकायत' के शीर्षक के अन्तर्गत 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित श्रीमती नरीटा कोगान के पत्र के बारे में सरकार को पता लगा है।

(ख) इस पत्र में उठाई गई विभिन्न बातों की जांच की गई और संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैं : ऐसा प्रतीत होता है कि श्री और श्रीमती कोगान की यात्रा की व्यवस्था लोस एंजिल्स स्थित एक यात्रा अधिकरण द्वारा की गयी। स्पष्टतः यह अभिकरण इतना असावधान रहा कि इसने उनको एयर इंडिया द्वारा 7 वर्ष पूर्व निकाला पर्चा दे दिया। इस बात को एजेंटों द्वारा कभी भी अपने ग्राहकों को नही बताया गया। श्रीमती कोगान के अनुसार अभिकरण ने कलकत्ता में ग्रांड होटल में बुकिंग की। लेकिन आखिर समय पर श्रीमती कोगान ने यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा की गयी व्यवस्था के विरुद्ध अन्य योजना बनायी और कलकत्ता के लिये जाने के एक दिन पहले बैंकाक में 'पान एम' से उनके लिये स्पेन्सेज़ होटल में ठहरने का प्रबन्ध करने को कहा। यद्यपि श्रीमती कोगान ने 'स्टेट्समन' को लिखे गये अपने पत्र में कहा कि 'पान एम' को स्वीकृति मिल गयी थी, जब वह पर्यटक विभाग में गयीं, तो उन्होंने निश्चित रूप से पर्यटन के महानिदेशक को बताया कि 'पान एम' को या उनको स्वयं बैंगकाक से कलकत्ता रवाना होने के समय तक कोई स्वीकृति नहीं मिली थी।

कलकत्ता पहुंचने पर श्रीमती कोगान ने देखा कि होटल के भाव पुस्तिका में बताये गये भावों से बहुत अधिक हैं। यह गलती लोस एंजिल्स स्थित यात्रा अभिकरण की है, जिसने उनको सात वर्ष पहले की पुस्तिका दी और उन को आशा थी कि भारत में होटल के भाव यही होंगे। वास्तव में दोनों ही होटलों में, जहां कि वह कहती हैं कि उन से अधिक पसे लिये गये, पता लगा कि यह चालू दरों के हिसाब से लिये गये और श्रीमती कोगान के आरोप निराधार हैं।

जहां तक उन के श्रीनगर जाने का सम्बन्ध है, यद्यपि श्रीमती कोगान ने उन को हुई असुविधाओं का जिक्र किया है, उन्होंने यह नहीं बताया कि पर्यटक विभाग ने उन के पहुंचने पर उन के लिये आरक्षण किया गया और उन्होंने श्रीनगर में कार्यक्रमानुसार चार या पांच दिन बिताये।

इण्डियन एयरलाइन्स से पता चला है कि खराब मौसम के कारण उड़ान एक दिन पहले रद्द कर दी गयी थी जिससे भीड़भाड़ बहुत हो गयी और इसलिये इनके लिये आरक्षण नहीं किया जा सका।

उन्होंने जो अन्य छोटी छोटी शिकायतें उठाई हैं, वे सम्बन्धित होटलों को बता दी गई हैं।

(ग) श्री व श्रीमती कोगान को असुविधा इस कारण हुई कि उनको उनके यात्रा अभिकरण ने गलत सूचना दी। इन्होंने अपने लिये स्वयं व्यवस्था करने का प्रयत्न करके और गलत जरियों से सलाह लेकर अपने लिये कई समस्यायें पैदा कर लीं। खराब मौसम के अतिरिक्त इस बात से भी वे असन्तुष्ट रहे।

बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति

1456. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार बच्चों के लिये एक राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं और इस नीति की सम्बोधिक और कार्यक्रमीय मुख्य बातें क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने तीसरी योजना में कुछ बाल कल्याण कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। बाल कल्याण सम्बन्धी सरकार की कोई भी भावी नीति इससे प्राप्त परिणामों पर आधारित होगी।

Ban on Khoya Movement

1457. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have imposed a ban on the bringing in and taking out of Khoya and its preparations from Delhi ;

(b) if so, the period for which the ban has been imposed; and

(c) the quantity which is permitted to be brought in and taken out ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): (a) to (c). There is at present no ban on the bringing into or taking out of Delhi of Khoya and other milk products. Such a ban on imports into Delhi was imposed on 22nd May, 1964; but was lifted on 20th July, 1964.

Collision of harbour Launch with Navy Ship

1458. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 103 on the 2nd June,1964 and state the result of the enquiry made into the collision of M.L. "Sultani" with I.N.S. "Betwa" on the 10th May, 1964 off the Bombay harbour?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : The Preliminary Enquiry Report has just been received from the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Bombay and is being examined in the Directorate General of Shipping, Bombay.

Flying Club at Kotah

459. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Governent propose to start a Flying Club at Kotah (Rajasthan); and

(b) if so, what is the present position ?

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

"साइकोसेल"

1460. श्री प्र० के० देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिचिगन राज्य विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हाल ही में "साइकोसेल" नामक एक नया रसायन निकाला गया है ;

(ख) क्या जेनेवा में हुए हाल के एक सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि वैज्ञानिकों ने, विशेषत: खराब मिट्टी और सूखे वाली हालत में, इस रसायन के प्रयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त करने का दावा किया है ;

(ग) क्या इसका भारत में भी प्रयोग किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) अमरीका के मिचिगन राज्य कालेज के डा० एन० ई० तोलबर्ट ने क्लोरोथील-मेथील-अमोनियम-क्लोराइड नामक "साइकोसेल" रसायन मिश्रण तैयार किया है जिससे पौधे सूखे की स्थिति में ठहर सकें और छोटे हों और जल्दी बढ़ सकें।

(ख) उस विषय पर जेनेवा में हुए पौधा वृद्धि गोष्ठी में विचार किया गया जहां इजरायल, अमरीका और जर्मनी के पौधा वैज्ञानिकों ने बताया कि हरे-स्थानों में साइकोसेल से पौधे सूखे की हालत में बने रह सकते हैं, पानी की आवश्यकता कम होती है, खारापन को अधिक बर्दाश्त कर सकते हैं, और पौधे छोटे होते हैं और शीघ्र पनपते हैं।

(ग) अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र

1461. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963–64 और 1964-65 में अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने पंजाब के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों का कितनी बार दौरा किया ; और

(ख) उन्होंने किन किन स्थानों का दौरा किया और उनकी किन समस्याओं पर ध्यान दिया ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं

1462. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962–63, 1963–64 और 1964–65 में अब तक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पंजाब में अनुसूचित जातियों को जल सुविधायें प्रदान करने के लिये कितने कुएं मन्जूर किये गये हैं ; और

(ख) इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कुएं खोदने की कोई योजना नहीं है लेकिन यह योजना राज्य क्षेत्र में शामिल की गयी है। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत मन्जर किये गये कुओं की संख्या निम्न प्रकार है :

1962–63––33 नए कुएं, 200 पुराने कुओं का नवीकरण, 184 हैंड-पम्पों का लगाया जाना और 3 डिग्गी और 13 बौली का निर्माण।

1963–64––29 गए कुएं, 130 पुराने कुओं का नवीकरण, 186 हैंड-पम्पों का लगाया जाना और 3 डिग्गी और एक बौली का निर्माण।

1964–65––100 नये/पुराने कुएं और वर्ष 1963–64 के जितने हैंड पम्प, डिग्गी और बौली का निर्माण।

(ख) जानकारी निम्न प्रकार है :

1962–63–– 1 लाख रुपये।
1963–64––76 हजार रुपये।
1964–65––80 हजार रुपये।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त का पंजाब का दौरा

1463. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त ने वर्ष 1963–64 और 1964–65 में अब तक पंजाब का कितनी बार दौरा किया ; और

(ख) उन्होंने किन स्थानों का दौरा किया और उन्होंने किन समस्याओं पर ध्यान दिया ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). इस अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने पंजाब (जालंधर) का केवल एक बार दौरा किया। उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री से अनुसूचित जातियों, विशेषत: भंगियों, की समस्याओं पर बातचीत की।

पंजाब में अनुसूचित जातियों का उत्थान

1464. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वर्ष-वार अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये कितनी धनराशि आवंटित की ; और

(ख) अब तक, वर्ष-वार, कितना धन व्यय किया गया ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जानकारी निम्न प्रकार है :

वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रुपयों में)
1961–62	37.78
1962–63	42.96
1963–64	38.15
1964–65	49.24

(ख) जानकारी निम्न प्रकार है :

वर्ष	खर्च किया गया धन (लाख रुपयों में)
1961–62	38.53
1962–63	42.77
1963–64	38.15 (प्रत्याशित)
1964–65	49.24 (प्रत्याशित)

पंजाब में अम्बर चरखा

1465. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक पंजाब राज्य को अम्बर चरखे के प्रचार के लिये प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) अब तक कुल कितने अम्बर चरखे लगाये गये ; और

(ग) अब तक कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क)

(लाख रुपयों में)

	अनुदान	ऋण	योग
1961–62 . .	2.72	4.29	7.01
1962–63	1.14	0.68	1.82
1963–64	4.09	2.15	6.24
1964–65 (13–8–64 तक) . .	0.39	0.37	0.76
योग	8.34	7.49	15.83

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) (1) सरनजम कार्यालयों की संख्या 5

(2) अम्बर प्रशिक्षण केन्द्र 1234

(3) अम्बर उत्पादन केन्द्र 151

राणाघाट कूपर्स कैम्प

1466. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राणाघाट कूपर्स कैम्प में रहने की दयनीय दशा के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या कैम्प के आहाते में उन छतों की मरम्मत नहीं की जा रही है जिनसे पानी चूता है

(ग) क्या यह भी सच है कि इन बेरकों में आसपास बेलों, आदि के फैल जाने के कारण चार-पांच सांप के काटने के मामले हो चुके हैं; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). सामान्य मरम्मत के लिये रखे गये धन की अधिकतम सीमा के अन्दर कैम्प के अहाते में आवश्यक मरम्मत करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को अधिकार दे दिया गया है । अहाते में विशेष मरम्मतों पर धन व्यय करने के राज्य सरकार के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसके मंजूर किये जाने की संभावना है ।

(ग) जी नहीं । तथ्य यह है कि एक कर्मचारी को 6 जून, 1964 को अपने क्वार्टर के अन्दर एक सांप ने काट लिया था ।

(घ) सरकार कैम्प को ठीक हालत में बनाये रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है । परन्तु इस दिशा में उनके प्रयत्नों में, काफी संख्या में अवैध रूप से बसे हुए शरणार्थी परिवारों की उपस्थिति के कारण, जिन्होंने सरकार द्वारा पेश की गई पुनर्वास सुविधाओं के बावजूद भी कैम्प के अहाते को छोड़ने से इन्कार कर दिया है, तथा छतों की नालीदार लोहे की चादरों की बहुधा चोरी के कारण, मुख्य रूप से बाधा उपस्थित हुई हैं ।

Village Volunteer Force

1467. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Development Commissioners of several States have recommended abolition of the Village Volunteer Force ; and

(b) if so, the views of Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B.S. Murthy) : (a) No, Sir, The Annual Conference of Development Commissioners in July 1964 which reviewed the progress of the Village Volunteer Force scheme was of the view that the scheme served a useful purpose in channelising the enthusiasm of the rural population both for defence and development and recommended that in the present context the focus should be restricted to the implementation of production programmes, utilising voluntary labour.

(b) The Government of India have accepted the recommendations of the Conference and have advised the State Governments to implement the same. The linking up of this scheme with the rural works programme is under consideration.

Hotel and Ropeway at Gulmarg

1468. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme for the construction of a hotel and a ropeway at Gulmarg is being prepared by the Central Public Works Department ;

(b) If so, the outlines of the schemes; and

(c) the estimated expenditure involved?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). The necessary information is given in the statement appended. [*Placed in Library. See* No. L T-3276/64].

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

1469. **श्री बालगोविन्द वर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के उन चीनी कारखानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो इस वर्ष 15 मई के पश्चात् काम करती रही हैं; और

(ख) क्या सरकार उन कारखानों के आस पास ऐसे स्थानों पर स्थिति में सुधार करने के लिये चीनी के कारखाने स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जहां पर कि गन्ना उत्पादकों ने इनके स्थापित किये जाने की बहुत अधिक मांग की है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) 1963–64 के पिराई काल में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दो चीनी के कारखाने 15 मई, 1964 के पश्चात् काम करते रहे :—

1. दि औध शुगर मिल्स लिमिटेड, हरगांव, जिला सीतापुर।
2. दि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, गोलागोकरणनाथ, जिला खेरी।

(ख) सरकार देश के समस्त भागों से प्राप्त अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर गुणदोष के आधार पर विचार करती है।

राष्ट्रीय राजपथों पर मील-पत्थर

1470. **श्री प्र० के० देव**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एशियन हाइवे टेलीविजन टीम जून, 1964 में अपने भारत भ्रमण के दौरान दूरी संकेतकों से, जो कुछ स्थानों पर मीलों में लिखे हुए हैं तथा कुछ अन्य स्थानों पर किलोमीटरों में लिखे हुए हैं, भ्रम में पड़ गई थी;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजपथों पर सभी मील-पत्थरों के स्थान पर किलोमीटर के पत्थर लगा दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने लगा दिये गये हैं और कितने अभी लगाने शेष हैं?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) से (ग). अनुमानतः माननीय सदस्य जापानी प्रसारण निगम तथा आस्ट्रेलियन टी० वी० टीमों की ओर निर्देश कर रहे हैं जिन्होंने जून, 1964 में तेहरान–ढाका एशियन हाइवे के भारतीय भाग की फिल्म लेने के लिये भारत का दौरा किया था। इन टीमों ने प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित बात के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा है।

राष्ट्रीय राजपथों पर किलोमीटर-पत्थर लगाने का काम पहले से ही चल रहा है । चूंकि वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ पद्धति में सम्मिलित 14,925 मील की समूची लम्बाई में किलोमीटर-पत्थर लगाने का काम बहुत अधिक है, इसलिये सारे काम को खत्म करने में कुछ समय लगने की संभावना है । इस समय मील-पत्थरों को नहीं हटाया जा रहा है, अपितु दोनों प्रकार के पत्थरों को पृथक् रूप से बनाये रखने के लिये किलोमीटर-पत्थरों को सड़क के दूसरी ओर लगाया जा रहा है ।

केरल में आम चुनाव

1471. **श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **विधि** मंत्री 17 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में 1965 में आगामी आम चुनाव करने के मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). जी हां । 10 सितम्बर, 1964 को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी किये जाने से पहले, निर्वाचन आयोग ने त्रिवेन्द्रम में राजनीतिक दलों से सलाह-मश्विरा किया और केरल विधान सभा के लिये फरवरी, 1965 के मध्य अथवा इसके लगभग आम चुनाव करने का फैसला किया । राष्ट्रपति की उद्घोषणा के पश्चात् निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई अन्य निर्णय नहीं किया है ।

मौसम के बारे में जानकारी देने वाला उपकरण

1472. **श्री प्र० के० देव** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1964 में एक गुब्बारा, जिसमें मौसम सम्बन्धी उपकरण लगे हुए थे, अचानक हावड़ा में एक मन्दिर की छत पर गिर गया और उसको क्षति पहुंचाई;

(ख) यदि हां, तो यह घटना किस प्रकार हुई; और

(ग) इसके कारण कितनी क्षति हुई ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ऊपरी वायुमंडल के बारे में मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये हम डम हवाई अड्डे पर स्थित मौसम वेधशाला प्रतिदिन दो बार मौसम सम्बन्धी उपकरण लगे

गुब्बारे ऊपर भेजती है। जब गुब्बारा अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तब वह फट जाता है और उपकरणों सहित धीरे-धीरे नीचे गिरता है। ऐसा एक गुब्बारा उपकरणों सहित हावड़ा समाज नादेर नेमाई मंदिर की छत पर गिर गया जिसके कारण छत की कुछ टाइलों को क्षति पहुंची। टूटी टाइलों के बदलने पर लगभग 10 रुपये लागत आई।

सहकारी चीनी मिलें

1473. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 31 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1729 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थानों का ब्योरा क्या है जहां सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने की अनुमति दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : यह मामला अभी विचाराधीन है।

Visit of American Forest Experts

1474. **Shri Karni Singhji :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that American forest experts visited Rajasthan in April, 1964 at the request of the Government of India ;

(b) if so, the purpose of their visit to Rajasthan ;

(c) whether they have submitted their report ; and

(d) if so, the suggestions and recommendations contained therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) A High Level Team consisting of the following members had at the request of the Government of India visited various States of the country including Rajasthan to survey water and land resources, in this country, during March-May, 1964.

Mr. John Spencer . .	Consultant AID/Washington Jordan and Brazil Regional Director, Region 7 (Denvar). Responsible for planning, construction, operation, maintenance of water development projects.
Mr. Ellis Hatt .	Assistant to Deputy Director under Mr. Don Williams, Administrator SCS/ Washington. Director of Watershed Unit in North-West USA. Water Use and Soil Conservation Consultant, Ford Foundation, India.
Mr. Norman Tripp. . .	(Forest Service)—Assistant Director, Division of Flood Prevention and River Basin Programmes. Associated directly with watershed development programme of USA.

(b) The main purpose of their visit to Rajasthan was to review the Rajasthan Canal planning and organization.

(c) Not yet.

(d) Does not arise.

नेपाल से विमान सेवा सम्बन्धी समझौता

1475. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीं मोहन स्वरूप :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री प्र० के० देव :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री 3 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल के बीच विमान सेवा समझौते की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जी हां । भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच विमान सेवाओं सम्बन्धी समझौते के मलपाठ पर 1 अगस्त, 1964 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं । समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने तथा उसका अनुसमर्थन होना बाकी है ।

पंचायती राज वित्त संसाधनों पर अध्ययन दल

1476. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 7 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 923 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज वित्त संसाधनों पर अध्ययन दल की सिफारिशों पर इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी ।

(ख) पंचायती राज वित्त संसाधनों पर अध्ययन दल की सिफारिशों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रखा गया है:--

(1) सिफारिशें जिन पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी बाकी है ।

(2) सिफारिशें जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी बाकी है ।

(3) सामान्य स्वरूप की सिफारिशें जिन्हें भविष्य में नीति बनाते समय ध्यान में रखा जाना है ।

आसाम, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने उन सिफारिशों पर, जिन पर उन्हें कार्रवाई करनी थी, विचार कर लिया है और वे सामान्यता महत्वपूर्ण सिफारिशों से सहमत हैं । जिन सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है उनकी राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है । उपरोक्त श्रेणी (3) के अन्तर्गत आने वाली सिफारिशों पर तत्काल निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है ।

विधियों का हिन्दी में अनुवाद

1477 **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **विधि** मंत्री 5 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को अपनी विधियों के हिन्दी में अनुवाद के लिये सहायता देने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). हिन्दी भाषी राज्यों में विधियों का हिन्दी में अनुवाद करना राज्य सरकारों का अपना काम है । अहिन्दी भाषी राज्यों में विधियों के हिन्दी में अनुवाद के काम में उनको कोई सहायता देने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है ।

Cottage Industries in Punjab

1478. Shri Bagri : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the nature of schemes approved by the Central Government for the development of cottage industries in Punjab during 1963-64 ; and

(b) the amount sanctioned and spent on those schemes during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jagannath Rao): (a) Generally schemes in respect of cottage industries in the Punjab, viz: khadi, village industries, handicrafts, handlooms and sericulture, relate to (a) production and marketing (b) development and promotion and (c) training. The Khadi and Village Industries Commission gives grants and loans to the State, Khadi and Village Industries Board and approved institutions for Khadi and the under-mentioned village industries :—

1. Processing of cereals and pulses.
2. Village Oil.
3. Village Leather.

4. Cottage Match.
5. Gur and Khandsari.
6. Palm Gur.
7. Non-edible Oils and Soap.
8. Handmade Paper.
9. Bee-keeping.
10. Village Pottery.
11. Fibre.
12. Carpentry and Blacksmithy.
13. Lime Stone.
14. Gobar Gas.

The schemes approved for the development of handicrafts industries in Punjab for 1963-64 relate to imparting training in carpet and drugget making, artistic metalwares, lacquer work, stone and marble, musical instruments, fancy leather goods, lac bangles, pottery, bamboo work, toy making, production of druggest, phulkaris, establishment of emporia, setting up of wood seasoning plant at Hoshiarpur, development of handicraft cooperatives, design development and publicity of handicrafts.

(b)	Approved outlay	Expenditure incurred (Rupees in lakhs)
Handicrafts .	13·28	13·24
Handlooms .	7·95	2·74 upto
Sericulture .	6·36	1·21 31-12-63

Figures for the whole year 1963-64 in respect of handlooms and sericulture and figures in respect of khadi and village industries are being ascertained and will be placed on the Table of the House in due course.

Andhra Pradesh Khadi and Village Industries Board

1479. Shri Gauri Shankar Kakkar : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Konda Lakshman Bapuji, ex-Chairman of the Andhra Pradesh Khadi and Village Industries Board, had addressed a letter to Shri U.N. Dhebar, Chairman, All India Khadi and Village Industries Commission regarding the working of that Board;

(b) whether some complaints had also been made about the misappropriation of funds and against the conduct of some officers of the Board; and

(c) If so, the action taken in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Chairman of the Commission had sent a reply to Shri Konda Lakshman Bapuji appreciating his reaction and had advised him to discuss the matter with Shri Thimma Reddy. The complaints regarding misappropriation of funds and conduct of officers are being enquired into by the Commission.

चीनी कारखाने

1480. **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री चांडक :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में नये चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये और उनमें से कितने सहकारी तथा कितने गैर-सरकारी क्षेत्र में दिये गये ;

(ख) सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखानों के लिये ऐसे कितने लाइसेंसों की मंजूरी के आवेदन-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ग) नये चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) कोई नहीं ।

(ख) 82 ।

(ग) लाइसेंस देने की क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, गन्ने की वर्तमान उपलब्धता तथा भविष्य में किसी क्षेत्र में गन्ने के सम्भाव्य उत्पादन की दृष्टि से सब आवेदनपत्रों की गुणदोष के आधार पर जांच की जाती है । यदि एक ही स्थान के लिये सहकारी समिति तथा संयुक्त स्कन्ध समवाय दोनों से ही आवेदन पत्र प्राप्त हों, तो सहकारी समिति को इस मामले में प्राथमिकता दी जाती है ।

जलयानों का टकरा जाना

1481. **श्री प्र० के० देव** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जून में बम्बई से जाफ्राबाद जाने वाले तीन जलयान मार्ग में सौराष्ट्र के दक्षिणी तट के पास समुद्र में नष्ट हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो जलयान नष्ट होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसमें कुछ व्यक्ति हताहत हुए हैं, यदि हां तो, कितने तथा कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जून, 1964 में सौराष्ट्र तट के पास समुद्र में नष्ट हुए जलयानों में केवल एक जलयान (अर्थात्, एस० व्ही० रामप्रसाद) बम्बई से जाफ्राबाद की यात्रा पर था ।

(ख) प्रचण्ड तूफानी मौसम ।

(ग) माल समेत जलयान पूरा नष्ट हो गया । इसमें किसी की जान नहीं गई ।

कर्मचारी भविष्य निधि

1482. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमचारियों से 30 जून, 1964 को समाप्त होने वाली अवधि का भविष्य निधि अंशदान की राशि की वसूली अभी बाकी है ;

(ख) क्या सरकार भविष्य निधि की देय राशि की वसूली, प्रतिभूत ऋणों से भी उत्तरवर्ती 'भार' के रूप में, करने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करना चाहती हैं ; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में बकाया राशि की वसूली सम्बन्धी कार्य करने के लिये कुछ प्रमाणपत्र अधिकारी के रूप में काम करने वाले अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 395.26 लाख रुपये । इस राशि का विस्तारपूर्वक विवरण नीचे दिया गया है —

	रुपये लाखों में
(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले समवायों से पहिले की भविष्य निधि की देय राशि . .	75.20
(दो) समवायों को दी गई छूट को समाप्त करने के परिणामस्वरूप भविष्य निधि की देय राशि	54.84
(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू होने के बाद की देय राशि	265.22
कुल . . .	395.26

(ख) एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अधीन भविष्य निधि की देय राशियों की वसूली के लिये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में चार प्रमाणपत्र अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया गया है । पश्चिम बंगाल सरकार उपर्युक्त अधिकारी की शीघ्र नियुक्ति के लिये आवश्यक कदम उठा रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

1483. **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री कजरोलकर :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963–64 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये निर्धारित की गई राशि पूर्ण रूप से व्यय नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने भविष्य में नियत राशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) चूंकि अभी तक राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1963–64 में किये गये वास्तविक व्यय के आंकड़े नहीं दिये हैं अतः यथार्थ जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कानूनी सहायता

1484. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने के लिये वर्ष 1963–64 में स्वीकृत राशि कुछ राज्यों में पूर्णतः व्यय नहीं की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने भविष्य में इस प्रयोजन के लिये नियत राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) जिन लोगों के लाभ के लिये धन राशि स्वीकृत की गई थी उन लोगों की ओर से पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया गया है ।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा योजना के विवरण के बारे में प्रचार किया गया है ।

"पैकेज" कार्यक्रम

1485. **श्री तनसिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितनी पंचायत समितियों में 'पैकेज' कार्यक्रम चालू किया जायेगा; और

(ख) क्या राज्य में कुल मिला कर विकास के कार्यों में सर्वप्रथम आने वाली पंचायत समिति को प्राथमिकता दी जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सघन खेती जिला कार्यक्रम (जो 'पैकेज' कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है) जो प्रत्येक राज्य के एक जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है, इस वर्ष (1964–65) में इन जिलों के 303 विकास खण्डों में से 244 विकास खण्डों में चालू किया गया है । यह कार्यक्रम आगामी वर्ष में शेष सब विकास खण्डों में चालू किया जायेगा । इसी प्रकार धान का सघन खेती कार्यक्रम 75 जिलों के 646 विकास खण्डों और बाजरे का सघन खेती कार्यक्रम 53 जिलों के 354 विकास खण्डों में चालू किया गया है । गेहूं का सघन खेती कार्यक्रम चालू वर्ष में रबी की फसल से 20 जिलों के 200 विकास खण्डों में चालू किया जा रहा है । राजस्थान में बाजरे का सघन खेती कार्यक्रम चालू करने के लिये अलवर, कोटा और झालावाड़ तीन जिलों की छः पचायत समितियां तथा गेहूं का सघन खेती कार्यक्रम के लिये, जयपुर, भरतपुर, गंगानगर, चित्तूर और उदयपुर पांच जिलों की 10 पंचायत समितियां चुनी गई हैं ;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा सघन खेती कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये जिलों तथा उनके अन्तर्गत विकास खण्डों का चुनाव इस प्रयोजन के लिये निर्धारित कुछ कसौटियों के आधार पर किया जाता है ।

ये कसौटियां नीचे दी गई हैं :—

(1) जिले में पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिये ;

(2) इसमें कम से कम प्राकृतिक प्रकोप हों, अर्थात् वहां पर बाढ़ों की, नालों की, भूमि संरक्षण आदि समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

(3) इसमें सहकारी समितियों तथा पंचायतों जैसी विकसित अधिक से अधिक ग्राम संस्थायें होनी चाहिएं; और

(4) वहां पर कम से कम अवधि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये साधन होने चाहिएं ।

किसी जिले के एक बार उपर्युक्त कसौटियों के आधार पर चुने जाने पर उस जिले में उत्पादन क्षमता वाले अधिक से अधिक विकास खण्डों में कायक्रम चालू किया जाता है । किसी क्षेत्र को इस कायक्रम के लिये चुने जाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उस क्षेत्र की पंचायत समिति राज्य में कुल मिला कर विकास कार्यों में सर्वप्रथम हो ।

Import of Sheep

1486. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Rajasthan have submitted a proposal regarding import of sheep from Australia ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) No.

(b) Does not arise.

खाद्य उपभोग संबंधी सर्वेक्षण

1487. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 11 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न सख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में खाद्य उपभोग तथा पोष्टिक आहार सम्बन्धी सवक्षण करने के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं। अभी मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । चार मार्ग दर्शक अध्ययन पूरे हो गये हैं; इनके परिणामों की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्न मूल्य देशनांक

1488. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री गत छः महीनों के खाद्यान्नों के महीने वार थोक तथा उपभोक्ता मूल्य देशनांक बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषिमंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०—3277/64**]

जहाजों की परिदान (डिलीवरी) कार्यक्रम

1489. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यथा समय विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' में जहाजों की डिलीवरी कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम में गति लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय विद्यमान विदेशी मुद्रा की कमी का प्रभाव 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' में जहाजों की डिलीवरी पर भी पड़ा था ।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, इस प्रश्न पर विचार करने तथा सरकार द्वारा विचार करने तथा सिफारिशें करने के लिये हाल में निदेशकों की एक समिति नियुक्त की है । सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

List of S. Cs. and S. Ts.

1490. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Muslims and Christians are also included, besides Hindus, in the list of Scheduled Castes, Scheduled tribes and other backward classes drawn up by the Central Government and State Governments, for the purpose of granting scholarships to their children; and

(b) if so, the names of such communities ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shrimati Chandrashekhar) : (a) and (b). Under the various Presidential Orders specifying the Scheduled Castes, no person who professes a religion different from the Hindu or the Sikh religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.

No such restriction has been made in the case of Scheduled Tribes and a Scheduled Tribe may profess any religion. Lists of Scheduled Tribes will be found in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, and the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.

The Government of India have not drawn up a list of other backward classes. However for the purposes of granting post-matric scholarships the economic criterion, irrespective of religion, caste or tribe has been adopted.

कचार में चीनी का कारखाना

1491. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 21 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2324 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बीच आसाम सरकार द्वारा कचार में एक चीनी का कारखाना स्थापित करने के हेतु लाइसेंस की मंजूरी के लिये भेजे गये प्रार्थना पत्र पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). प्रार्थना-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन है ।

Khadi Commission, Bombay

1492. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Social Security** be pleased to states :

(a) whether any case of misappropriation of funds concerning Khadi Commission, Bombay, has been referred to Government by the President, Nyary-Bhavan, Shahpura, Rajasthan, along with evidence in support of it;

(b) whether it is a fact that the said misappropriation involves lakhs of rupees; and

(c) whether this matter has been inquired into and it so, the conclusion reached by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा

1493. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास नगर में मीनाम्बक्कम हवाई अड्डे का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना अनुमानित व्यय होगा ; और

(ग) कार्य कब चालू होगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). मीनाम्बक्कम हवाई अड्डे को जेट विमानों के संचालन योग्य बनाने के लिये लगभग 1.26 करोड़ रुपये की लागत से इसके धवन मार्ग का विस्तार पहले ही किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को अच्छी सुविधायें देने के लिये वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय कक्ष बनाने का विचार किया गया है ।

मुरादाबाद में रामगंगा के ऊपर पुल

1494. **श्री कृ० चं० पंत :**
श्री बृजराज सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद में रामगंगा नदी के ऊपर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना पर अनुमानित व्यय कितना होगा और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, हाल में पुल निर्माण का काम एक ठेकेदार को दिया गया है ।

(ख) पुल पर अनुमानतः 101.50 लाख रुपये की लागत आयेगी और आशा है कि यह वर्ष 1967 के वर्षा ऋतु से पहले पूरा हो जायेगा ।

किछा में चीनी का कारखाना

1495. **श्री कृ० चं० पंत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी पेराई के मौसम से किछा, जिला नैनीताल में एक नया चीनी का कारखाना चालू हो जायेगा ।

(ख) यदि नहीं, तो कारखाना चालू करने में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इसे शीघ्र चालू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) उपर्युक्त कारखाने की क्षमता कितनी है और इसमें कितने व्यक्ति काम पर रखे जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) आशा है कि किछा, जिला नैनीताल में स्थापित किया जाने वाला चीनी का कारखाना आगामी पेराई मौसम से चालू हो जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कारखाने की वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता 25,000 टन होगी और इसमें 1000 व्यक्ति काम पर रखे जाने की आशा है ।

गुलाबी चने

1496. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुलाबी चने मध्य प्रदेश में काफी मात्रा में पैदा किये जाते थे जिनसे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी ;

(ख) क्या निर्यात पर प्रतिबन्ध लगने से इसके उत्पादन में कमी हो गयी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उस प्रतिबन्ध को हटाने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मेंउपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) गुलाबी चना मध्य प्रदेश में मुख्यतः तीन ज़िलों में पैदा किया जाता है । यह भी ठीक है कि गुलाबी चना अन्य देशों को निर्यात किया जाता है ।

(ख) से (ङ) भारत से गुलाबी चने के निर्यात पर कोई रोक नहीं है । चालू वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने गुलाबी चने के राज्य से अन्य राज्यों में भेजे जाने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये थे । वह प्रतिबन्ध जुलाई, 1964 के प्रथम सप्ताह में हटा दिये गये हैं । मध्य प्रदेश सरकार के अस्थायी प्रतिबन्धों से चने के उत्पादन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है ।

कृषि विश्वविद्यालय

1497. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विज्ञान सम्बन्धी मैसूर विश्वविद्यालय चालू हो गया है ;

(ख) इस विश्वविद्यालय की स्थापना में कितनी राशि की और किस प्रकार की विदेशी सहायता प्रयोग में लाई गयी ; और

(ग) इस प्रकार के अन्य कितने विश्वविद्यालय देश में स्थापित किये जायेंगे और कहां कहां ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हैबल का उद्घाटन, जो मैसूर राज्य में बंगलौर के निकट है, 21 अगस्त, 1964 को किया गया था। राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन जो कालेज, अनुसन्धान स्टेशन और शिक्षा विस्तार अभिकरण हैं उन्हें विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने सम्बन्धी कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ।

(ख) वर्ष 1952 से अमरीका सरकार कृषि एवं पशु चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान एवं विस्तार में लगी हुई भारतीय संस्थाओं को दो करारों के अन्तर्गत सहायता दे रही है। एक करार के अन्तर्गत मैसूर की संस्थाओं को सहायता दी गयी है जिन्हें मैसूर कृषि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। सहायता मुख्यतया निम्नलिखित प्रकार की दी गयी है :—

(1) मंत्रणा कार्य के लिये विशेषज्ञ भेजना ;

(2) भारतीय कर्मचारियों को अमरीका में उच्च प्रशिक्षण का उपबन्ध ; और

(3) संस्थाओं के लिये सामान एवं लायब्रेरी की किताबों का उपबन्ध ।

इन संस्थाओं को अब तक जो सहायता दी गयी वह निम्नलिखित है :—

1. जितने विशेषज्ञ उपलब्ध किये गये या किये जायेंगे	18
2. जितनी संख्या में कर्मचारी भेजे गये या उच्च प्रशिक्षण के लिये अमरीका भेजे जायेंगे	48
3. पुस्तकों और सामान के लिये डालरों में जो सहायता दी गयी	$2,17,609.41

(ग) दूसरी योजना में एक कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तर प्रदेश, में स्थापित किया गया था और चालू योजना की अवधि में मैसूर के अतिरिक्त पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एव आन्ध्र प्रदेश में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। चौथी योजना के लिये कोई प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किया गया। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य सभी विश्वविद्यालयों में काम आरम्भ हो चुका है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय का उद्घाटन 2 अक्तूबर, 1964 को किया जायेगा ।

दिल्ली के आसपास सब्जियों का उत्पादन

1498. श्री इ० मधूसूदन राव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब्जियों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये क्या सरकार ने राजधानी के आसपास सब्जियों का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि लगायी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कहने पर दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली राज्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सब्जियों उत्पादन का एक समेकीकृत प्रस्ताव तैयार किया है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के प्रस्तावों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया जायगा ताकि उनके मूल्य न बढ़ें और उत्पादकों को उचित मूल्य मिल पाये । 10000 एकड़ भूमि पर अब सब्जियां उगाई जाती हैं और इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने पर 30000 एकड़ भूमि पर सब्जियां उगाई जायेंगी । शहरी क्षेत्रों में किचन बागान को भी प्रोत्साहन दिया जायगा । इस 'कैश' कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें निम्न प्रकार होंगी :—

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सब्जियां पैदा करने वालों को तकनीकी मागदर्शन एव मंत्रणा का उपबन्ध ।
2. अच्छे बीजों, उर्वरकों, कीटाणु नाशकों, सामान आदि के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विक्रय डिपुओं द्वारा सम्भरण की व्यवस्था ।
3. सिंचाई सुविधाओं का बढ़ाना, जिनमें नाले के पानी की सिंचाई करने सम्बन्धी कार्यक्रम भी शामिल है ;
4. कृषकों को गन्दा पानी और उससे बनी खाद के तुरन्त और लगातार सम्भरण की व्यवस्था करना ;
5. सब्जी वाले क्षेत्रों में नाशक कीटाणुओं से रक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पौदा संरक्षण सेवाओं का उपबन्ध ;
6. माल के लिये शीतागार, भाण्डागार एवं विपणनन सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था का उपबन्ध ।

(ग) प्रस्ताव अभी विचाराधीन हे इसलिये योजना को अन्तिम रूप और उसके वित्तीय पहलुओं पर प्रकाश डालना इस समय सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय खाद्य सेवा

1499. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय खाद्य सेवा गठित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का व्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख). अनाज के आयात गोदामों में रखने और वितरण आदि के लिय गैर सचिवालय राजपत्रित पद गठित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं जो खाद्य विभाग के नियंत्रण में होगा और जिसे केन्द्रीय खाद्य सेवा कहा जाएगा । इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है न ही उसका व्योरा तैयार किया गया है । इसलिय प्रस्ताव के व्योरे के बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं होगा ।

मटर के दानों से बना मक्खन

1500. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मटर के दानों से बने मक्खन को भारतीयों की रूचि के अनुकूल बनाने के लिये दिल्ली की खान-पान तकनीकी विज्ञान तथा प्रयुक्त पोषाहार संस्था में प्रयोग किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इसमें कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) मटर के दानों से बने मक्खन बनाने संबंधी नुस्खों का विकास किया गया है और उस सिलसिले में अग्रेतर अध्ययन हो रहा है ।

Construction of Foodgrain Storage Godowns

1501. **Shri Veerappa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to lay on the Table a statement showing the programme of construction of Central Food-grain Storage Godowns in the various States in India during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : A statement showing the progamme of construction of Central food storage godowns in various States of India during the current year has been placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* **LT3278/64**.]

परिवार निवृत्ति वेतन योजना

1502. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे श्रमिकों के लिये जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य हैं परिवार निवृत्ति वेतन योजना तैयार करने के लिये जो कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था क्या उसने प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). परिवार निवृत्ति वेतन योजना के वित्तीय परिणामों के बारे में छान-बीन हो रही है और मृत्यु दर तथा दोनों भविष्य निधियों के सदस्यों द्वारा पैसा वापिस लेने एवं अधिवार्षिकी संबंधी सांख्यकी सामग्री एकत्र की जानी है ।

खाद्य विभाग का कैफिटेरिया सहकारी स्टोरस लिमिटेड

1503. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसमापक द्वारा खाद्य विभाग के कैफिटेरिया सहकारी स्टोर्स लिमिटेड की वित्तिय स्थिति का निर्धारण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्टोर को कितनी क्षति उठानी पड़ी और उस क्षति को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न कुप्रथाओं और अनियमितताओं के लिये इस स्टोर के महासचिव को उत्तरदायी ठहराया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) परिसमापक द्वारा अभी कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) अभी अन्तिम निर्धारण नहीं किया जा सका है ।

(ग) और (घ). लेखों की पड़ताल अभी हो रही है और पड़ताल पूरी हो जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा ।

खाद्य विभाग का पुनर्गठन

1504. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय में कई सह-निदेशक, उप-निदेशक तथा तकनीकी अधिकारी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार नीति संबंधी मामलों को केन्द्रीय सचिवालय में सचिवालय अधिकारी निबटाते हैं और नीति संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करने और क्षेत्र में काम करने का दायित्व सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो खाद्य विभाग के पुर्नगठन के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 10 अगस्त, 1961 को लोक-सभा पटल पर रखे गये प्रशासन को सुदृढ़ बनाने संबंधी उपायों के विवरण की कंडिका 3(2) के अनुसार "मंत्रालय का काम नीति संबंधी मामलों को निबटाना तथा मापदण्डों की सामान्य निगरानी और उन्हें लागू करना होगा । कार्यपालक अभिकरणों को इसके परिणामस्वरूप सुदृढ़ बनाना चाहिये और उनको अधिक उत्तरदायित्व सौंपने चाहियें ।"

बड़ पैमाने पर अनाज प्राप्त करने, गोदामों में रखने, परिरक्षण, वहन एवं वितरण का संबंध खाद्य विभाग से है और इस विभाग के मुख्य कार्यालय संगठन के मिले जुले गठन से पता चलता है कि इसके कृत्य कार्यपालिका के हैं और नीति बनाने के भी । इस विभाग में सचिवालय पद भी हैं और कार्यपालक पद भी जिन को सचिवालय और गैर सचिवालय की जिम्मेदारियां सपुर्द की गयी हैं । लोक-सभा पटल पर 10-8-61 को जो विवरण रखा गया था उसकी कंडिका 3(1) के अनुसार :

> "मंत्रालयों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह संगठन के निश्चित ढांचे के अनुसार काम करें । वह परिस्थितियों के अनुसार काम की किस्म और गति को बढ़ाने के लिय एक बड़ी सीमा के अन्तर्गत कार्य-वाही करने में स्वतन्त्र हैं ।"

विभाग का वर्तमान ढांचा काम की कुशलता एवं गति की दृष्टि से विभिन्न संगठनात्मक प्रयोगों के बाद ही बनाया गया है और यह अत्यन्त प्रभावयुक्त साबित हुआ। निस्सन्देह कुशलता एवं गति की दृष्टि से पुनर्गठन करने की बात हमें ध्यान में निरन्तर रहती है परन्तु इस समय ऐसा करने का कोई विचार नहीं है। सामान्यतः प्रशासनिक मामलों में और शिषेतः व्यवहारिक मामलों के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को अधिक शक्तियां प्रदान कर के उन्हें सुदृढ़ बनाया जा रहा है। और यथासंम्भव केवल नीति संबंधी मामले और निदेश देने एवं नियंत्रण संबंधी मामले ही विभाग के अधीन रखे गए हैं।

भूख से मौतें

1505. **डा० श्री निवासन :**
श्री परमशिवन :
श्री मोहसिन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी भाग से अब तक भूख से मौतें होने के मामलों की खबर मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेंढक की टांगों का निर्यात

1506. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मेंढक की टांगों की काफी मांग है और कुछ विदेशी बाजरों में इनके अच्छे मूल्य प्राप्त होते हैं और उन्हें भारत से काफी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस व्यापार के लिये जिस प्रकार के मेंढक आवश्यक हैं वह उत्तर बिहार में काफी संख्या में पाये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उत्तर बिहार के जो लोग यह व्यापार करना चाहते हैं उन्हें आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जाएगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) मेंढ़कों की जिन किस्मों का निर्यात हो सकता है वह उत्तर भारतीय राज्यों में पाये जाते हैं जिनमें बिहार भी शामिल है परन्तु यह मालूम नहीं है कि वह कितनी संख्या में पाये जाते हैं चूंकि इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सर्वेक्षण करने के लिये हाल ही में एक मेंढक विकास अधिकारी के पद के लिये मंजूरी दी गयी है।

(ग) निर्यात बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत जो लोग मेंढक की टांगों को निर्यात करने का काम करते हैं उन्हें समुद्री उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, एरनाकुलम द्वारा सहायता दी जाती है ।

(घ) जितनी कीमत की जमाई हुई मेंढक की टांगों का निर्यात किया जाता है उसके 10 प्रतिशत के बराबर विदेशी मुद्रा के रूप में सहायता दी जाती है ताकि वह मेंढकों की टांगें निर्यात के लिये तैयार करने संबंधी यंत्रों और पैक करने के सामान आदि का आयात कर सकें ।

कलकत्ता-अगरतला विमान सेवायें

1507. **श्री बीरेन दत्त** : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता से अगरतला तक का विमान किराया एवं भाड़ा दरें बढ़ा दी गयी हैं ;

(ख) इस बढ़ौत्री के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किराये और भाड़े में वृद्धि के कारण अगरतला के लिये अत्यावश्यक वस्तुएं कलकत्ता में पड़ी हुई हैं और कलकत्ता के लिये अत्यावश्यक वस्तुएं अगरतला में ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय विमान निगम की किराया तथा भाड़ा दरें मील संख्या पर आधारित हैं । कलकत्ता से अगरतला तक चार्टर्स की भाड़ा दरें 15-8-64 से बढ़ानी पड़ीं और अनुसूचित सेवाओं के लिये 15-9-64 से बढ़ानी पड़ीं । यह इस कारण हुआ चूंकि विमानों का मार्ग बदल गया है । अब वह पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में से हो कर कलकत्ता से अगरतला जाते हैं और मील संख्या 196 से बढ़ कर 224 मील हो गयी है ।

(ग) और (घ). भारतीय विमान निगम ने बताया है कि कलकत्ता से अगरतला जाने वाला माल कलकत्ता में नहीं पड़ा है । कलकत्ता भेजे जाने वाली चाय की कुछ मात्रा अगरतला में पड़ी हुई थी जिसे सितम्बर, 1964 के प्रथम सप्ताह में भेज दिया गया था। इस बीच में गृह-कार्य मंत्रालय कलकत्ता से अगरतला भेजे जाने वाले कुछ उल्लिखित माल पर 6 पैसे प्रति किलो सहायता देने के लिये सहमत हो गया है । इस तरह से कलकत्ता से अगरतला भेजी जाने वाली कुछ उल्लिखित वस्तुओं के लिये 60 पैसे प्रति किलो की बजाय 54 पैसे प्रति किलो ही लिया जायेगा । यह दरें 2-9-64 से लागू हुई हैं ।

मंगलौर बन्दरगाह

1508. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी मौसमों के बन्दरगाह के रूप में मंगलौर का विकास करने के लिए कितनी भूमि सरकार ने अर्जित की है ;

(ख) यह कब अर्जित की गयी ;

(ग) इसके कारण कितने परिवार बेघर हो गये और उन्हें पुनः कहां बसाया गया ;

(घ) पत्तन विकास परियोजाना को और आगे कार्यान्वित करने के लिए और आगे क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) इस परियोजना में और कितनी भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मंगलौर पत्तन परियोजना की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1207.53 एकड़ भूमि का क्षेत्र अर्जन करने की प्रस्थापना है । इस क्षेत्र को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जन करने की अधिसूचना हो गयी है । इस क्षेत्र में से 43.18 एकड़ भूमि का अर्जन 29-6-64 को कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त 463.08 एकड़ और भूमि परियोजना प्राधिकारियों को दे दी गयी है । इसकी प्राविधिक औपचारिकताओं को अभी पूरा किया जाना है ।

(ग) इस अर्जन के फलस्वरूप 275 परिवारों को बेघर होना पड़ा । इसमें 125 परिवार मछुयारे हैं और 150 परिवार दूसरे हैं । इनमें से 268 परिवारों को पुनः बसा दिया गया है । मछुयारे परिवारों को समुद्र तट के छः मील के क्षेत्र में बसा दिया जायेगा ।

(घ) मास्टर प्लान तथा पत्तन के नक्शे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । समस्त प्रकार के खर्चों के लिए 2.16 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया । सभी प्रकार के खर्चों के लिए जुलाई, 1964 तक खर्च कर दी गयी है ।

(ङ) पत्तन में आगे के विकास के लिए 1500 एकड़ भूमि की और आवश्यकता होगी और इसको अर्जित करने का विचार है ।

केरल को चावल का सम्भरण

1509. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की सस्ते दामों की दुकानों द्वारा लोगों को दी जाने वाली चावल की मात्रा में वृद्धि कर देने का विचार है ;

(ख) क्या परिवारों को दी जाने वाली मात्रा सब परिवारों के लिए एक जैसी है, चाहे उनकी सदस्य संख्या कम हो अथवा अधिक ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस परिवार का कोटा बढ़ाने का विचार है जहां कि परिवार की सदस्य संख्या 5 से अधिक हो ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

केन्द्रीय पर्वत क्षेत्र समिति

1510. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक केन्द्रीय पर्वत क्षेत्र समिति की हो चुकी बैठकों की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें किस प्रकार का कार्य हुआ और क्या परिणाम निकाले गये ;

(ग) क्या कोई इस प्रकार का निर्णय किया गया कि कोई रूप-रेखा तैयार करके चौथी योजना में सम्मिलित करने हेतु विचारार्थ योजना आयोग को भेजी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) एक ।

(ख) 1–5–64 को केन्द्रीय पर्वत क्षेत्र विकास परामर्श समिति की जो बैठक हुई थी और उसमें जो सिफारिशें की गयी थीं उसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–3279/64]**

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी ऋण समितियां

1511. **श्री मलाइछामी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि 1962–63 में सहकारी ऋण समितियों से ऋण लेने वालों की संख्या में कमी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को अधिक ऋण देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, 1964 में इस दिशा में कार्यक्रम की प्रतिलिपि राज्य सरकारों को भेजी थी । 7 अप्रैल को पूछे गये एक अतारांकित प्रश्न संख्या 1907 के उत्तर में उसकी प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर भी रखी गयी थी । सदस्यों को ऋण देने के लिए कार्यक्रम को कार्यान्वित किये जाने की पूरी आशा है ।

ऋण न अदा करने का दोष

1512. श्री मलाईछामी : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थायी समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि प्राकृतिक विपत्तियों तथा फसलों के नष्ट हो जाने के हालात में ऋण न अदा करने के दोषियों को कोई राहत दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां ।

भारत के रक्षित बैंक की स्थायी सलाहकार समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि सहकारी ऋण व्यवस्था को अपैक्स बैंक में और केन्द्रीय बैंक के स्तरों पर ऋण स्थायीकरण निधियों का निर्माण करना चाहिए ताकि इन निधियों का प्रयोग, भारत के रिक्षत बैंक द्वारा रखी जाने वाली राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थायीकरण निधि की सहायता के साथ, प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित योगों में तथा फसल के नष्ट हो जाने पर अल्पावधि ऋणों के मध्यकालीन ऋणों में बदल दिया जा सके ।

स्थायी सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि सहकारी बैंक व्यवस्था में ऋण स्थायीकरण निधियों का निर्माण निम्न प्रकार किया जाये :—

(1) प्रत्येक केन्द्रीय तथा इपैक्स सहकारी बैंक अपने नैट वार्षिक लाभ का 25 प्रतिशत इन निधियों में जमा करे ।

(2) सहकारी भरण संस्थाओं में अपने अंशों पर 3 प्रतिशत से अधिक लाभांशों को राज्य सरकारें इन निधियों में जमा कराय तथा

(3) राज्य सरकारें (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्री : सरकार) अंशत: अनुदानों द्वारा और अंशत: ऋणों द्वारा इन निधियों में योगदान दे ।

यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी अंशदान कृषि ऋणों का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच होना चाहिए ।

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मामले पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ।

भंगियों के बच्चों के लिए होस्टल

1513. **श्री मोहन नायक** : क्या **सामुदायिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भंगियों के बच्चों के लिए होस्टल स्थापित करने के हेतु धन स्वीकृत किया है ताकि उन्हें शिक्षा दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत राशि कितनी है ; और

(ग) देश में, राज्यवार बनाये जाने वाले होस्टलों की संख्या क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) इस प्रकार के होस्टलों के विशेष रूप से स्थापित किये जाने के लिए धन नहीं दिया गया । भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासनों को कहा जरूर है कि वे इस प्रकार के होस्टलों के स्थापित करने को राज्य की योजनाओं में अवश्य सम्मिलित करें ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

आलू के बीज का आयात

1514. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि आलू बीजों के आयात की अनुमति दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि आलू के आयात के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के आलू उत्पादकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) देश की सारी मांग को पूरा करने की दृष्टि से यह आयात बड़ा ही ज़रूरी हो गया था ; और

(ग) यह निर्णय करने से पूर्व सारे मामलों पर विचार कर लिया गया है ।

नागपुर–भंडारा राजपथ

1515. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज सरकार नागपुर-भंडारा राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ बनाने के हेतु चौड़ा कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां, इस राष्ट्रीय राजपथ को 19 मील तक 6 फीट चौड़ा कर देने का राज्य सरकार का विचार है ।

(ख) धन की कमी के कारण, इस प्रस्थापना को स्वीकृत नहीं किया जा सका । राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वह यहां पर मरम्मत के अनुदान से ईंटों और पत्थरों से चौड़ा करने का काम कर दे ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था

1516. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० ऐच०डी० और एम० एस० सी० के पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए क्या प्रतिशतता का संरक्षण है ; और

(ख) यदि हां, तो इन जातियों के चुने गये उम्मीदवारों की संख्या गत तीन वर्षों में क्या रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पी० ऐच० डी० और एम० एस० सी० के पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए 5 प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं, यदि इनमें से अपेक्षित योग्यता के लोग नहीं मिलते तो इन स्थानों को खुला छोड़ दिया जाता है ।

(ख) गत तीन वर्षों में उपरोक्त जातियों के स्थानों की प्रतिशतता तथा संख्या निम्न प्रकार से है ।

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	कुल	प्रतिशतता
(1) एम० एस० सी०.	9	4	13	6 प्रतिशत
(2) पी० एच० डी०	5	2	7	4 प्रतिशत

चीनी के राशन कार्ड

1517. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 सितम्बर, 1964 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक पत्र की ओर गया है कि चीनी के राशन कार्ड बनाने वालों को दिल्ली की बस्तियों में 4 आने से ले कर 2 रुपये प्रति व्यक्ति दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट ठीक है ; और

(ग) इसको समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) कोई विशेष शिकायत भारत सरकार के समक्ष नहीं आई ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने इस किस्म की बातों पर कड़ी नजर रखने और तुरन्त रिपोर्ट कर देने का आदेश दिया है :

कर्मचारियों की छंटनी

1518. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले लगभग 1200 कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विकेन्द्रीयकरण योजना को लागू करने के कारण है ?

(ग) क्या काम इतना कम हो गया था कि इन कर्मचारियों की छंटनी का औचित्व सिद्ध हो जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार के निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नहीं जी केवल 33 व्यक्ति फालतू घोषित किये गये हैं, जबकि वहां के कर्मचारियों की कुल संख्या 38,501 प्रयत्न किये जा रहे हैं कि उन्हें कहीं खपा लिया जाये ।

(ख) जी नहीं, कार्य अध्ययन एकक की जांच के आधार पर उन्हें फालतू घोषित किया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राम बुलिट नस्ल की भेड़

1519. **श्री बृजराज सिंह (कोटा)** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में राम बुलिट नस्ल की भेड़ों को आयात कर के उन्हें भारतीय ढंग से विकसित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की सविस्तार रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). राम बुलिट नस्ल की 375 भेड़ों के आयात किये जाने की संभावना है । इनके आने पर राजस्थान में पालपुरा में स्थित केन्द्रीय भेड़-ऊन गवेषणा केन्द्र में ऊन पर प्रयोग किया जायेगा ।

पटना में गंगा पर पुल

1520. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटने के आस पास गंगा पर पुल बना कर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास गंगा पर पटने के पास कोई पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं ,जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार को मिलाया जा सके यदि पुल बन गया तो वह राजपथ पर पड़ेगा । अतः इसका सम्बन्ध मुख्यतः बिहार सरकार से है । पता चला है कि इस उद्देश्य से कुछ नमूने के पुल सिंचाई गवेषणा केन्द्र रुड़की में तथा केन्द्रीय जल विद्युत् अनुसंधान केन्द्र पूना में तैयार किये गये । यह प्रयोग रुड़की में चालू वर्ष के दौरान में पूर्ण कर लिये जायेंगे ।

मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम

1522. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ प्रशिक्षण पाठ्य क्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) अब तक कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और कहां पर ; और

(ग) क्या मुर्गीपालन में प्रशिक्षण देने के लिये कोई विदेशी सहायता स्वीकार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो किस देश से ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) मुर्गीपालन करने वाले किसानों के प्रशिक्षण की सुविधाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, उनकी सामान्य कार्य-वाहियों अथवा द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की गई अखिल भारतीय मुर्गी-पालन विकास योजना के अन्तर्गत राज्य मुर्गीपालन फार्मों तथा मुर्गीपालन विस्तार केन्द्रों में दी जाती है । तथापि, भारत सरकार एक दिन के चूजों के लिंग का पता लगाने के बारे में भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्था, इज्जतनगर (बरेली) में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करना चाहती है । इसके लिये एक जापानी विशेषज्ञ की सहायता ली जायेगी । आशा है कि यह विशेषज्ञ भारत सरकार को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत मिल जायेगा । प्रशिक्षण तीन जत्थों में दिया जायेगा और प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 6 सप्ताह होगी । प्रत्येक जत्थे में लगभग 6 अभ्यर्थी होंगे । विशेषज्ञ के पहुंचने के पश्चात् ही प्रशिक्षण आरम्भ किया जायेगा ।

चीनी का उत्पादन

1523. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादन में वृद्धि के प्रश्न पर जांच करने के लिये गठित आयोग ने सरकार को अस्थायी प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (ग) एक अस्थायी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और सरकार उसकी जांच कर रही है। आशा है कि उस पर शीघ्र ही निणय कर लिया जायेगा ।

राकेट छोड़ना

1524. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 जुलाई, 1964 को त्रिवेन्द्रम के पास थम्बा भूमध्य राकेट छोड़ने के अड्डे से, ऊपरी वातावरण में पवन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये, पहला मौसम विज्ञान संबंधी राकेट छोड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो राकेट छोड़ने तथा मौसम संबंधी जानकारी इक्ट्ठा करने में क्या सफलता मिली ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) पवन संबंधी जानकारी 36 से 56 किलोमीटर की ऊंचाई से सफलतापूवक प्राप्त की गई। 46 किलोमीटर से नीचे की हवाएं आमतौर पर पूर्वोत्तर-पुरवाई थी और लगभग 80 गांठ की रफ्तार से चल रही थी। 46 किलोमीटर से ऊपर सम्मिश्र हवाएं थं, जो बहुत तेज थीं और बदलती हुई दिशाओं में चल रही थीं। 16 जुलाई और 19 अगस्त, 1964 को भी राकेट सफलतापूवक छोड़े गये थे। पुरवाई हवाएं भूमध्य रेखा के प्रभाववर्ती क्षेत्र के ऊपर से बहती हैं।

समुद्री इंजीनियरिंग कारखाना

1525. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एक समुद्री इंजीनियरिग कारखाना स्थापित करने के लिये एक जापानी समुद्री फर्म "यन्मार" से करार किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो परियोजना के ब्योरे क्या हैं ; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (ग) यन्मार समुद्री डीजल इंजिनों के निर्माण के लिये कोई करार नहीं किया गया है। एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यन्मार समुद्री डीजल इंजिनों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव हैं और यह देखने के लिये कि यह परियोजना संभव है या नहीं उस पर तकनीकी जांच की जा रही है ।

वन सम्पत्ति

1526. { **श्री विश्वनाथ पाण्डय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की वन सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : संविधान के अन्तर्गत 'वन' राज्य का विषय है। अतः वनों का प्रबंध तथा विकास राज्य सरकारों का कार्य है। तथापि, भारत सरकार वन महानिरीक्षक तथा वन अनुसन्धान संस्था तथा कालिज देहरादून की मारफत राज्यों को हर संभव सहायता देती है और राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत वन के विकास के लिये वित्तीय सहायता भी देती है। 1952 में राज्य सरकारों के परामर्श से एक राष्ट्रीय वन नीति भी बनाई गई थी जिसमें वैज्ञानिक तरीके पर वनों के प्रबन्ध और उनके उचित उपयोग के हेतु राज्य सरकारों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत रखे गये हैं।

राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण वन योजनाएं चालू की गई हैं और बाद की योजनाओं में इन पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वन के विकास के लिये 9.6 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया था, जबकि दूसरी योजना में इसके लिये 27 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया था और तीसरी योजना में लगभग 51 करोड़ का उपबन्ध किया गया था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास की कुछ योजनाएं आरम्भ की गई थीं। लाभप्रद वृक्ष लगाने की योजना तथा घटिया वनों के विकास की योजना के अन्तर्गत लगभग 75,000 एकड़ भूमि में वृक्ष लगाये गये थे। इस अवधि में लगभग 3,000 मील में वनों में संचार सुविधाएं मुहैया की गईं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़ी परियोजनाओं को आरम्भ किया गया था। सागौन, साल, नीलवर्ण यूकेलिप्टस, मुर्ग-दाढ़ी और नर्म लकड़ी (माचिस और प्लाईवुड उद्योगों आदि के लिये) के वृक्षों को लगाने पर अधिक जोर दिया गया था। लगभग 4,70,000 एकड़ भूमि में लाभदायक और औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाये गये थे और 3,20,000 एकड़ भूमि में घटिया किस्म के वन का विकास किया गया था। इस अवधि में 6,800 लम्बी जंगल की सड़कें बनाई गई थीं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। लाभदायक वृक्ष लगाने की राज्य योजना के अन्तर्गत 7.01 लाख एकड़ भूमि में वृक्ष लगाने का विचार है। केन्द्र द्वारा चलाई गई "शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों को लगाने" की योजना के अन्तर्गत, जिसे 1962–63 में लागू किया गया था लगभग 1,37,000 एकड़ भूमि में वृक्ष लगने का विचार है। योजना का उद्देश्य लकड़ी पर आधारित उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकताओं जैसे कागज, माचिस, चिपबोर्ड, आदि को पूरा करना है। घटिया वनों के विकास की योजना के अन्तर्गत 5.23 एकड़ में वृक्ष लगाने का विचार है।

जम्मू श्रीनगर सड़क

1526-क. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा श्रीनगर के बीच दूसरी सड़क वर्तमान गति और भावी योजना के अनुसार कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ख) इस सड़क को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जम्मू और श्रीनगर के बीच यदि कभी दूसरी सड़क बनाई जायेगी तो वह राज्य की सड़क होगी । इसलिये जम्मू तथा काश्मीर की सरकार इस मामले से प्रारम्भिक रूप से संबंध रखती है । राज्य अधिकारियों से पता लगा है कि कुछ समय पहले राजोरी और शुवियन के रास्ते एक मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था । मामले में कोई अग्रेतर प्रगति नहीं हुई है ।

दिनांक 13 सितम्बर, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1896 के उत्तर में शुद्धि

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : राजस्थान में ऊन और खादी के उत्पादन के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1896 के भाग (क) के उत्तर में तत्कालीन उद्योग मंत्री ने 13 सितम्बर, 1963 को सभा में बताया था कि 1960 से 1963 में उस समय तक राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊन और खादी के उत्पादन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल 15·48 लाख रु० की राशि दी गई थी । पुनः जांच करने पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पता लगाया है और भारत सरकार को सूचना दी है कि वास्तव में 15·86 लाख रु० की राशि दी गई थी । इसको देखते हुए प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निम्न शुद्धि कर दी जाये ।

(क) 15·86 लाख रु० ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जीवन बीमा निगम के प्रभागीय कार्यालय में आग लगना

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं गृह कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषये की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात् :—

"दिल्ली में जीवन बीमा निगम के प्रभागीय कार्यालय में 26 सितम्बर, 1964 को आग लग जाना ।"

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : जीवन बीमा निगम का प्रभागीय कार्यालय भवन दिल्ली गेट के पास है । इसमें छः मंजिलें हैं । 26 सितम्बर, 1964 को दिल्ली फायर सरविस के मुख्यालय में 18·26 बजे टेलीफोन से इस भवन में आग लगने की सूचना मिली । 1 मिनट के अन्दर, अर्थात् 18.27 बजे तीन दमकल कनाट सरकस और रकाबगंज स्टेशनों से इस जगह को जो लगभग दो मील की दूरी पर है, चल पड़े और वहां 3 मिनट के अन्दर पहुंच गये । अफीसर-इन-चार्ज ने देखा कि आग बहुत फैली हुई और गम्भीर थी । तुरन्त उसने अतिरिक्त सहायता 18.32 बजे मंगवाई । 18.40 और 18.50 बजे के बीच 14 अतिरिक्त दमकल भिन्न भिन्न जगहों से स्थल पर पहुंच गये । मुख्य अग्नि अधिकारी ने स्वयं 150 कर्मचारियों और अफसरों की सहायता से आग को काबू करने की कार्यवाही की निगरानी की । छः

[श्री ल०ना० मिश्र]

कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं और चार कर्मचारी धुएं से बेहोश हो गए। उनका फौरन ही इरविन अस्पताल में बाह्य रोगियों की तरह उपचार हुआ। किसी की जान की हानि नहीं हुई।

आग बुझाने के लिये पानी की सप्लाई में कोई कठिनाई नहीं हुई। आग पर 20·55 बजे नियंत्रण पा लिया गया। 21·20 बजे उसे पूरी तरह बुझा दिया गया।

पुलिस स्टेशन दरयागंज के अधिकारियों ने भी 18.25 बजे पर इस क्षेत्र से गहरा धुआं आता देखा। तुरन्त ही एक सिपाही वहां भेजा गया। उससे रिपोर्ट मिलने पर पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय पुलिस उप-अधीक्षक दरयागंज थाना और थाने में जितनी पुलिस उपलब्ध थी, सब तुरन्त घटना-स्थल पल पहुंच गये और उस भवन के चारों तरफ घेरा डाल दिया।

आग का कारण अभी निश्चित रूप से नहीं मालूम हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। अपराध-निरीक्षण दल ने फोटोग्राफरों के साथ मौका मुआयना कर लिया है। दिल्ली बिजली सप्लाई अंडरटेकिंग के अधीक्षक इंजीनियर और कार्यपालक इंजीनियर ने भी उस भवन और उसके बिजली के तारों की जांच कर ली है। आगरे से विस्फोटकों के निरीक्षक ने भी प्रारम्भिक जांच कर ली है।

नुकसान का पूरा अनुमान अभी लगाया जाना है। नुकसान तीसरी और चौथी मंजिलों में अधिक हुआ है और वह अधिकतर लकड़ी के विभाजकों (पारटीशन), फरनीचर, रैकों, जिनमें कि लेखन-सामग्री और फाइलें थीं, तक सीमित रहा। बीमा पत्रधारियों (पालिसी होल्डरों) के कागजात दूसरे भवन में थे, इसलिये इनको नुकसान नहीं पहुंचा। भवन का पूरी तरह बीमा किया हुआ था, परन्तु फरनीचर का नहीं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस कार्यालय में लगी आग के लिये वहां के कर्मचारी ही उत्तरदायी थे और यदि हां, तो क्या सरकार इस की जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जब तक जांच पूरी न हो जाये तब तक इस बारे में कुछ कहना कठिन है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर जोन जीवन बीमा कर्मचारी संघ की इस मांग के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है कि इस मामले की पूरी पूरी जांच की जाय ?

श्री ल० ना० मिश्र : पूरी पूरी जांच हो रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it the second time when fire has broken out in the L.I.C. Office and I want to know the time by which the investigation report would be submitted ?

Shri L. N. Misra : It is true that this fire incident is second.

Shri Y. S. Chawdhary : Are Government in a position to tell the main cause of the fire on the basis of its study of the incident during the last few days ?

Shri L. N. Misra : It is difficult to tell the cause of fire at the present stage.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या सरकार को किसी समय यह शिकायत की गई थी कि किसी की ओर से शरारत की जाने की शंका है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे ऐसी शिकायत की जानकारी नहीं है। इसके लिये सूचना देना आवश्यक है।

Shri Bagri (Hissar) : On a Point of Order, Sir what is the use of taking up this Call Attention Notice of the hon. Minister is not in a position to tell us anything ?

Mr. Speaker : He has said that the matter is being inquired into and till the inquiry is completed nothing can be said.

Shri Yashpal Singh : Have the Government fixed any standard of electric fittings in view of the fact that electric fittings in the market are of a very cheap quality ?

Shri L. N. Misra : I can only say that better stuff should be used.

Shri Naval Prabhakar : Has any committee been appointed for inquiry into this matter ?

Shri L. N. Misra : Only Officers are holding this inquiry and their investigation work would be completed soon.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : चूंकि लोग समझते हैं कि यह आग एक तोड़-फोड़ की कार्यवाही है क्या इस घटना की न्यायिक जांच कराई जायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस समय हमारा ऐसा विचार नहीं है।

Shri Heda (Nizamabad) : Has the view that is widespread among the people that the people who are holding general strikes and are launching 'Bund' campaigns are trying their might has been kept in view while investigating this incident.

श्री नाथ पाई : यह कर्मचारियों पर आक्षेप है इसलिये इसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

श्री दी० च० शर्मा : चूंकि दिल्ली में आग लगने और कत्ल की घटनायें बहुत हो रही हैं तो क्या सरकार इस समूची समस्या की जांच के लिये एक उपसमिति नियुक्त करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। इसलिये हम सुझाई गयी कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह आग उस भवन में वातानुकूलन मार्गों के कारण ग्राऊंड फ्लोर से तीसरी और चौथी मंजिल तक पहुंच गई थी और यदि हां, तो क्या भवन निर्माण सम्बन्धी डिज़ाइन के बारे में जांच की जायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारी जानकारी के अनुसार आग तीसरी या चौथी मंजिल से आरम्भ हुई।

श्री जोकीम आल्वा : भवन के जिन कार्यभारी लोगों ने अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की क्या उन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी और क्या सरकार के पास आग से बचने सम्बन्धी पर्याप्त उपाय हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : आग बुझाने वालों ने सराहनीय काम किया है। जहां तक कड़ी कार्यवाही करने का सम्बन्ध है वह जांच के परिणाम मालूम होने पर ही की जायेगी।

सदस्य के साथ कथित दुर्व्यव्हार

ALLEGED ILL TREATMENT OF A MEMBER

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा अनुरोध है कि श्री प्रिय गुप्त के साथ किये गये दुर्व्यवहार के बारे में एक वक्तव्य दे दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप को बताया था कि यह मामला इस प्रकार न उठाया जाय । मुझे आशा है भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे । जो कार्यवाही आप चाहते हैं मैं कर रहा हूं । गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : किस विषय में ?

अध्यक्ष महोदय : एक शिकायत थी कि सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया था जेल में और जेल से बाहर भी । मैं ने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये गृह-मंत्रालय से कहा था जिस के उत्तर में बताया गया है कि गृह मंत्रालय राज्य से सूचना उपलब्ध कर रहा है और सूचना मिलते ही भेज दी जायगी । तो क्या वह सूचना प्राप्त हो गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे पूर्निया के जिला दण्डाधीश से कुछ सूचना प्राप्त हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना सभा में देने से पूर्व आप उसे मुझे भेज दें ।

सभा पटल पर रखे पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

ऊनी होजियरी सूत वितरण जांच समिति का प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं ऊनी होजियरी सूत वितरण जितना जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3262/64]**

संघ-लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन नियम

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड 5 के अन्तर्गत दिनांक 24 अप्रैल, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 679 में प्रकाशित संघ-लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन नियम, 1964 की व्याख्यात्मक टिप्पण सहित एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3263/64]**

तारांकित प्रश्न संख्या 324 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों के बारे में जानकारी देने वाला विवरण

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अमरीका को चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में 22 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 324 के अनुपूरक प्रश्नों

के उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

1. अगस्त, 1964 में निर्यात की गई चीनी की मात्रा	10553 टन
2. अगस्त, 1964 में निर्यात की गई मात्रा का मूल्य (एफ० ओ० बी०) . . .	52 लाख रुपये (अनुमानित)
3. 1965 में निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा	3 लाख टन
4. 1965 में निर्यात की जाने वाली मात्रा में से सहकारी समितियों के लिए रक्षित मात्रा	कोई मात्रा रक्षित नहीं रखी जाती । वर्ष 1963 और 1964 में निर्यात करने के लिये सहकारी समितियों द्वारा संभरित की गई कच्ची चीनी की मात्राएं निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	निर्यात के लिए प्राप्त की गई कच्ची चीनी की कुल मात्रा (लाख टनों में)	स्तम्भ (1) में दर्शायी गई मात्राओं में से सहकारी कारखानों द्वारा संभरित की गई कच्ची चीनी की मात्रा (लाख टनों में)
1963 .	2·52	0·77
1964 . .	2·24	0·98

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही सारांश

श्री सिद्धनंजप्पा (हसन): मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की वर्तमान सत्र में हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

परिवहन सहकारी समितियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 182 RE. TRANSPORT COOPERATIVES

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री बूटासिंह के इस आशय के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या सरकार का विचार परिवहन सहकारी संगठनों की सहायतार्थ अलग

[श्री राज बहादुर]

अलग वित्तीय निगम स्थापित करने का है मैं ने उत्तर दिया था कि एसे निगम स्थापित करने के बारे में परिवहन सहकारी संगठनों संबंधी अध्ययन दल की एक सिफारिश थी, और यह भी कि निधियां राज्य सरकारों या भारत के राज्य बैंक से ली जायें। इस बारे में अध्ययन दल की वास्तविक सिफारिश यह है कि परिवहन सहकारी संगठनों के लिए वित्तीय अभिकरण साधारणतः राज्य एवं जिला सहकारी बैंक और राज्य वित्तीय निगम होंगे जो राज्य सरकारों से अथवा भारत के राज्य बैंक से, राज्य सरकार की गारंटी पर, आवश्यक निधियां प्राप्त कर सकेंगे ।

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा 24 सितम्बर, 1964 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी; अर्थात् :

"कि प्रत्येक करों संबंधी कुछ विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं यह महसूस करता हूं कि विधेयक के कुछ उपबन्धों का स्वागत किया ही जाना चाहिये। परन्तु इस के साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आय-कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि आय-कर विभाग बड़े आदमियों के साथ नर्मी का व्यवहार कर रहा है और छोटे वर्गों के लोगों के साथ कठोरता बरत रहा है । सामान्य लोगों को पकड़ा जा रहा है और तंग किया जा रहा है, पर बड़े व्यक्तियों से, जिन से 292 करोड़ रूपये बकाया है, आय-कर की बकाया राशि वसूल करने के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये जाते।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि निम्न मध्य वर्ग के लिये जिनकी बढ़ते हुए मूल्यों से कमर टूट गई है, आय-कर की छूट की रकम को 3200 रुपये से बढ़ा कर 6,000 रुपये कर के कुछ राहत देनी चाहिये। विधेयक के खंड 3 का स्वागत है, जिस में यह उपबन्ध है कि करदाता की कुल आय में से वह विशेष भत्ता निकाल दिया जायेगा जो उसको उसके मालिक द्वारा मकान का किराया देने सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिये दिया जाता है ।

खंड 5 में जो उपबन्ध किया गया है कि किसी करदाता द्वारा नेहरू स्मारक कोष में दिये गये दान की रकम पर आय-कर में छूट रखी जायेगी, यह सरकार के लोकतंत्रीय कार्य-पद्धति के प्रतिकूल है। यह खेद कीं बात है कि आयबकर की छूट के साथ देश के प्रिय नेता का नाम जोड़ा जा रहा है । सरकार यह बताये कि श्री विश्वनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये आयकर जांच आयोग के प्रतिवेदन का क्या हुआ और क्या त्यागी समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की गयी हैं ।

मझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बिल द्वारा दो तीन अच्छी चीजें हो जायेंगी परन्तु वैसे सामान्य रूप से देखा जाय तो जो आशायें हमने वित्त मंत्री महोदय से लगाई थीं वह पूरी नहीं हो सकीं । उन में हमें निराशा का मुख भी देखना पड़ रहा है । अन्त में मेरा यही निवेदन है कि नेहरू का नाम लेकर बिरलों और टाटों को रियायतें नहीं देनी चाहियें ।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई केन्द्रीय दक्षिण): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने समय समय पर इस सदन में भाषण देते हुए हुए जो कई प्रकार के आश्वासन दिये थे उन्हें इसमें कार्यान्विति किया गया है । इसका वास्तविक उद्देश्य आय कर देने वालों को सुविधायें प्रदान करना है, और मेरे विचार में इस दिशा में विधयक को ठीक ढंग से ही रखा गया है । विधेयक के उपबन्धों द्वारा कर-दाताओं को कुछ राहत उपलब्ध हो जायेगी ।

खंड 3 से, जिसमें कर दाता की कुल आय में से उसको उसके मालिक द्वारा मकान का किराया देने सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिये दिये गये विशेष भत्ते को निकालने की व्यवस्था है, मध्य वर्ग के लोगों को, विशेषत: निश्चित आय वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी । खंड 5 एक अच्छा उपबन्ध है जिस में उन व्यक्तियों को रियायत दी गई है जो नेहरू स्मारक कोष में दान देंगे, अपत: इस प्रस्ताव पर किसी को भी असहमति प्रकट नहीं करनी चाहिये। अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के पंजीयन पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में खंड 10 और ठेकेदारों द्वारा जानकार दिये जाने के सम्बन्ध में खंड 18 के द्वारा कर -अपवंचन को रोकने में सहायता मिलेगी ।

श्री प्रभात कार (हुगली) : वित्त मंत्री महोदय ने काफी सोच विचार के बाद कर उपबन्धों में संशोधन करने के लिए यह विधान प्रस्तुत किया है । उनका उद्देश्य कर एकत्रित करने वाली मशीनरी को तेज करना भी है । मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान स्थिति में जब कि जीवन-निर्वाह की दैनिक अवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हो गई है, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ही सर्वधिक कष्ट हुआ है ।

श्री राम सहाय पांडे (गुना) : एक औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करता हूं । क्या किसी माननीय सदस्य को सदन में प्रधान मंत्री के स्थान पर बैठने की अनुमति दी जा सकती है ?

(श्री विभूति मिश्र उस समय प्रधान मंत्री के स्थान पर बैठे थे)

(Shri Bibhuti Misra was at that moment sitting in the Prime Miniter's Seat).

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय वह अपने दल के अन्दर कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उचित यही है कि प्रधान मंत्री का स्थान उनकी अनुपस्थिति में खाली रहना चाहिये। यही स्वस्थ और अच्छी परम्परा है ।

श्री प्रभात कार : हमने सुझाव दिया था कि 3600 रु० पर आयकर लगाने के बजाय कम से कम 7500 रु० तक की आय पर आयकर में छूट दी जायें । अनिवार्य बचत योजना वापिस ले लिये जाने के बाद भी, कम वेतन पाने वाले वर्ग पर कर का बोझ किसी प्रकार भी कम नहीं हुआ है । हम यह देखते हैं कि कुछ कर्मचारियों को जो मकान किराया भत्ता ले रहे हैं, उन्हें रियायत दी जा रही है लेकिन वह रियायत 300 रु० के बाद दी जायगी । इसका अर्थ यह है कि 300 रु० से अधिक प्रतिमास मकान किराया भत्ता लेने वालों को अर्थात् जिनका मा सिक वेतन जिनका 1500 या 2000 रु० के बीच होगा, उन्हें यह रियायत मिलेगी । जब तक यह सोचते हैं कि काफी अधिक मकान-किराये के कारण कर में कुछ छूट दी जानी चाहिये तो मैं पूछता हूं कि जो कर्मचारी ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां वे 25 से 30 प्रतिशत तक अपना मासिक वेतन मकान किराये के तौर पर देने के लिए मजबूर हैं, उन के लिए क्यों नहीं कुछ

[श्री प्रभात कार]

किया गया है । मैं मानता हूं कि उनके मामले में कर बचाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ? लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक तो यह था कि यह रियायत निम्नतम श्रेणी के वेतन भोगी उन कर्मचारियों को दी जानी जिनकी संख्या सबसे अधिक है और जो बढ़ी हुई कीमतों के कारण आज पिसे जा रहे हैं ।

यह एक अच्छी बात है कि खंड 10 के द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 230 क जोड़ी जा रही है जिससे पंजीयक अधिकारी 50,000 रु० से अधिक के मूल्य के किसी भी प्रत्येक का पंजीकरण नहीं करेगा जब तक कि कर चुकता प्रमाणपत्र नहीं पेश किया जाता ? उसी प्रकार खंड 18 भी अच्छा उपबन्ध है जिसके अधीन ठेकेदार को सारा ब्योरा आयकर अधिकारी को देना पड़ेगा । इन उपबन्धों का स्वागत है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आयकर या अन्य करों के परिवर्तन के कारण करों को बचाने का परिमाण बढ़ा है या कम हुआ है इसे मालूम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या ठोस प्रयत्न किये हैं ? हमें बताया गया है कि कीमतों पर नियंत्रण रखने तथा अर्थ व्यवस्था की उचित नियंत्रण में लाने के लिए किये गये उपाय इसलिए बेकार सिद्ध हो जाते हैं कि छिपाया हुआ रुपया काफी मात्रा में बाजार में पहुंचता है । अक्सर ही यही कहा जाता है कि जब तक इस रुपये की हम जब्त नहीं करते तब तक अर्थ व्यवस्था पर काबू पाना कठिन है । लेकिन रिजर्व बैंक अपनी सारी ताकत के बावजद इसमें असफल रहा है । मैं पूछता हूं कि फिल्मों में काम करने वाले कुछ लोगों के लाकर्स की जांच या पड़ताल के बाद वह क्यों बन्द कर दिया गया । वह जांच पड़ताल सभी बड़े बड़े शहरों में की जानी चाहिये। करों की पूरी पूरी वसूली के लिए और कर अपवंचन को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय को ठोस कार्रवाई करनी चाहिये जो उसने अभी तक नहीं की है ।

अब खंड 5 से आयकर अधिनियम की धारा 88 में संशोधन किया जा रहा है । यह जवाहरलाल स्मारक निधि में चन्दा देने वाले व्यक्तियों को आयकर में छूट देने के सम्बन्ध में है । इस खंड का वास्तविक अर्थ यह है कि हम एक ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं जब कि रियायत दिये बिना उस निधि में अंशदान प्राप्त नहीं किया जा सकता । इस खंड को शामिल करना भारत के उस महान नेता का तथा हमारा अपमान है ।

परिसमापन किये जाने वाले तथा सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने वाले समवायों सम्बन्धी उपबन्ध से मैं सहमत हूं । मैं वित्त मंत्री के इस सुझाव से भी सहमत हूं कि वह रियायत पिछले तीन साल के एकत्र लाभ के लिए दी जानी चाहिए । इसलिए खंड में रखी गयी तीन साल की अवधि उचित है । अन्त में, उन धर्मदान संस्थाओं के काम की भी जांच होनी चाहिये जिन्हें रियायत दी जानी है ताकि उस रियायत का दुरुपयोग न किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the chair*

श्री नारायण दांदेकर (गोंडा) : मैं इस विधेयक के प्रयोजन और उद्देश्यों से सहमत हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि इस विधेयक द्वारा दी जाने वाली कुछ रियायतें उचित हैं और उनसे आयकर दाताओं को कठिनाइयां कम हो जायेंगी । मैं अपने पूर्व वक्ता के इस कथन का समर्थन करता हूं कि वेतनभोगी कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग को थोड़ी सी छूट देने से काम समाप्त नहीं हो

जाता। कीमतें और जीवन निर्वाह व्यय बढ़ जाने और दूसरी ओर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का बोझ भी बढ़ जाने के कारण वेतनभोगी लोग आज विशेषकर अधिक त्रस्त और पीड़ित हैं। मैं इस सुझाव का पूरा पूरा समर्थन करता हूं कि खास कर वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में आय-कर से कुल छूट की निचली सीमा को काफी अधिक बढ़ा दिया जाये। विशेषकर निचले वर्ग के वेतनभोगियों को तो अवश्य ही कुछ मदद दी जानी चाहिये।

अन्य दूसरी जो सहायता दी गयी है वह भी उचित ही है जैसे उन कम्पनियों के संचित लाभ के सम्बन्ध में छूट, जिन्हें सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने पर समाप्त किया जा रहा हो। इस विषय में मुझे यही कहना है कि यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस संचित लाभ को लाभांश की परिभाषा से बाहर रखा जा रहा है वह पिछले तीन वर्षों से पहले की अवधि का ही क्यों हो। मैं तो यह कहूंगा कि यदि कर-अपवंचन की, सिद्धान्त रूप में या तथ्य के आधार पर, कोई संभावना न हो या और कोई ठोस कारण न हो तो इस छूट के लिए यह छोटा सा अपवाद भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

अब मैं स्वीकृत धर्मदाय प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले अंशदानों पर कर-छूट की सीमा हटाये जाने के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। विशेष कर नेहरू स्मारक कोष के लिए अंशदानों के सम्बन्ध में सीमा हटाये जाने के बारे में, मेरा मत यह है कि यह प्रस्ताव लोक-नीति के विपरीत है। राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के स्मारक कोष के लिए लोगों ने खूब उदारता से धन दिया और इस कोष में भी लोग अवश्य ही देंगे लेकिन उस कोष में अंशदान के सम्बन्ध में छूट की सीमा समाप्त करने के लिए कोई संशोधन नहीं लाया गया था। हमें एक सी सार्वजनिक नीति के सिद्धान्तों का पालन करना होगा और इस प्रकार का भेदभाव करना या इस प्रकार का पूर्व उदाहरण स्थापित करना अनुचित है। सार्वजनिक नीति या औचित्य का ऐसा कोई भी कारण मुझे दिखायी नहीं पड़ता जिससे कि इस कोष में दान देने वालों को इस प्रकार की कोई विशेष रियायत देना ठीक समझा जा सके।

आगे वह उपबन्ध भी बहुत अच्छा है जिसके द्वारा अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के पंजीयन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। लेकिन कर वसूली की प्रणाली को अधिक चुस्त बनाने की प्रक्रिया के बारे में दो एक बातें मुझे कहनी हैं। जैसे खंड 8 और 9 अधिक कर निर्धारण के फलस्वरूप कर के अग्रिम भुगतान के बारे में हैं जारी की गयी नयी नोटिसों के बारे में हैं। मैं समझता हूं कि कर की अग्रिम अदायगी के लिए मांग को बार बार बदलना और अतिरिक्त वित्तीय विवरणों की मांग करना व्यर्थ है। मैं समझता हूं कि कर सम्बन्धी दफ्तरों में इस बार बार कर निर्धारण की प्रथा के कारण काम का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वास्तव में जिन कठिन मामलों में अधिक समय और ध्यान देने की जरूरत होती है उस पर विचार और कार्यवाही करने के लिए कर अधिकारियों के पास कोई समय ही नहीं रहता। ऐसे अनेक मामले होते हैं जो जल्दबाजी में निबटाये नहीं जा सकते और न ही वे निबटाये जाने चाहिये लेकिन तथ्य यह है कि इन महत्वपूर्ण मामलों को भी निबटाने के लिए कर अधिकारियों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। मेरा विश्वास है कि कानून में इस प्रकार के परिवर्तनों से कर वसूली की प्रणाली और अधिक पेचीदा हो जाती है गोकि कुछ थोड़ी सी रकमें समय से पहले ही अवश्य प्राप्त हो जाती हैं।

ठेकेदारों द्वारा प्राप्त ठेकों की सूचना कर-अधिकारियों को देने की व्यवस्था वाला उपबन्ध भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे विचार से 50,000 रुपये की यह सीमा बहुत कम है इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ा कर 1 लाख रुपया कर दिया जाना चाहिये क्योंकि मूल्यों की वृद्धि के कारण लेन देन का परिमाप भी काफी बढ़ गया है।

[श्री नारायण दांदेकर]

सम्पदा शुल्क सम्बन्धी उपबन्ध भी बहुत अच्छे हैं लेकिन उस विषय में हिसाब लगाने की कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं । सम्पदा शुल्क के भुगतान के लिए जो सम्पत्तियां बेची जाती हैं उनके सम्बन्ध में वास्तव में सम्पदा शुल्क की कितनी छूट दी जाये इस बारे में प्रस्ताव में कुछ गणना सम्बन्धी कठिनाइयां अवश्य विद्यमान हैं । अन्यथा ये दोनों ही उपबन्ध अच्छे हैं ।

सामान्य तौर पर विधेयक के सारे ही उपबन्ध सिद्धान्ततः ठीक हैं लेकिन ब्यौरे सम्बन्धी कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे एक ओर तो रियायत और दूसरी ओर कर-व्यवस्था को अधिक कड़ा बनाना, जिन पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं इस विधेयक का मुख्यतः इसलिए स्वागत करता हूं कि इस विधेयक के द्वारा उन आश्वासनों को पूरा किया गया है जो माननीय वित्त मंत्री ने पिछले बजट अधिवेशन में दिये थे । इस विधेयक के पांच प्रयोजन हैं : पहला, कुछ रियायतें देना ; दूसरा, अनभिप्रेत कठिनाइयां दूर करना ; तीसरा, उपबन्धों को कड़ा बनाना ; चौथा, कुछ अनभिप्रेत रियायतों को वापिस लेना और पांचवां, प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ मामलों का विवेचन करना ।

इस विधेयक की इस आधार पर आलोचना की गयी है कि इसमें कुछ रियायतें दी गयी हैं । लेकिन मैं यह देखता हूं कि इसमें केवल दो रियायतें ही दी गयी हैं । पहली रियायत यह है कि वेतन भोगी वर्गों के लिए 300 प्रति मास तक के मकान किराये भत्ते पर छूट दी जायेगी और दूसरी यह कि धार्मिक संस्थाओं को लाभांश आय पर अधिक से अधिकर के आनुपातिक अंश के बराबर छूट मिलेगी । बजट पर चर्चा के समय ही वित्त मंत्री ने इन दो बातों को मान लिया था और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने अपना वचन पूरा करने के लिए ये उपबन्ध प्रस्तुत किये हैं ।

इस विधेयक के द्वारा दो कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न किया गया है : एक यह कि यदि किसी सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क और पूंजी लाभकर दोनों ही लगाया जाने वाला हो और यदि कुल कर 100 प्रतिशत से अधिक होता हो और दूसरी यह कि उस पर कर अधिनियम के अधीन 5000 रु० का सामान्य उपहार भी व्यय कर अधिनियम के अधीन आ जाता है जब कि वह धन कर अधिनियम के क्षेत्र से मुक्त होता है । इन दोनों ही बातों को दूर करने के लिए वर्तमान विधेयक में व्यवस्था की गयी है ।

तीसरा संशोधन कम्पनियों के परिसमापन के सम्बन्ध में है । यदि किसी कम्पनी का परिसमापन इस उद्देश्य से किया जाता है कि कर बचाया जाये तब तो यह ठीक है कि उसके संचित लाभ के वितरण पर कर लगाया जाये लेकिन कम्पनी को सरकार द्वारा ले लिये जाने पर उसके लाभांश के वितरण पर भारी कर नहीं लगाए जाने चाहिये । मेरे पूर्ववक्ता ने यह प्रश्न पूछा था कि तीन वर्ष की अवधि क्यों हो । माननीय वित्त मंत्री ने विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर अपने भाषण में बताया था कि सरकार द्वारा हस्तगत करने से सम्बन्धित बातचीत काफी समय लेती है और उस दौरान इस विषय की जानकारी फैल जाने पर कुछ कम्पनियां कर बचाने के उद्देश्य से सारे संचित लाभ अंशधारियों में बांट सकती हैं । इसलिए तीन वर्ष की अवधि रखी गयी है कि इस अवधि में संचित लाभ कर से मुक्त नहीं होंगे लेकिन उससे पहले के संचित लाभ मुक्त रखे जायेंगे । मैं समझता हूं कि यह न केवल न्यायोचित है बल्कि इसके लिए पर्याप्त कारण हैं ।

आयकर अधिनियम के उपबन्धों को कठोर बनाने के लिए दो उपबन्ध हैं । एक तो कुछ दस्तावेजों का पंजीयन है ।

अब यह व्यवस्था की जा रही है कि सम्पत्ति के हस्तांतरण या उन सम्पत्तियों के स्वामित्व को सीमित करने अथवा समाप्त करने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भारतीय पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत तब तक पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा जब तक कि आयकर अधिकारियों से भुगतान का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया जाये। उसके लिए 50,000 रुपये की एक सीमा निर्धारित की गयी है। इसका मतलब वह है कि यदि वह सम्पत्ति 50,000 रुपये से कम मूल्य की हो तो उसका पंजीयन करना आवश्यक नहीं होगा और पंजीयन के समय आयकर अधिकारी से भुगतान प्रमाणपत्र लेने की भी जरूरत नहीं होगी। श्री बड़े तथा कुछ सदस्यों ने इस सीमा को बढ़ा कर 1 लाख रु० कर देने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं श्री दांडेकर को भी जिन्हें यह सीमा कम मालूम होती है, बताना चाहता हूं कि 1949 में पारित पिछले अधिनियम में अर्थात् कर का भुगतान (सम्पत्ति का हस्तांतरण) अधिनियम में कोई सीमा नहीं रखी गयी थी। मेरे विचार से 50,000 रुपये की यह सीमा कुछ अधिक है और इसलिए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि यह सीमा घटा कर 10,000 रुपये कर दी जाये क्योंकि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कर अपवंचन की संभावित त्रुटियों को दूर करना तथा छिपाये हुए धन पर कर लगाना है। यह भी संभव है कि सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण जान बूझ कर वास्तविक मूल्य से कम आंका जाये और ऐसा होने पर 50,000 रुपये की सीमा से भी अपेक्षित उद्देश्य पूरा न हो सकेगा। इसके अलावा, यह कोई कर प्रस्ताव नहीं है, यह केवल एक नियम है। प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था के कारण आयकर विभाग का कुछ थोड़ा सा काम बढ़ सकता है लेकिन यदि बिना कर दिये सम्पत्ति का हस्तांतरण करने वालों पर कर लगाना है तो थोड़ा अधिक काम करना मंजूर करना ही पड़ेगा। चूंकि कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति इस उपबन्ध से परे रखी गयी है इसलिए यह बिल्कुल उचित है कि यह सीमा 50,000 रुपये से घटा कर 10,000 रुपये कर दी जाये।

इस विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है कि अनभिप्रेत रियायत समाप्त कर दी जाये। वह नाटककारों, कलाकारों अभिनेताओं आदि के मामलों में किया गया है। वर्तमान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत वे अपनी कुल आय का 25 प्रतिशत तक वार्षिकी बचत के रूप में जमा कर सकते हैं लेकिन इस विधेयक के पारित हो जाने पर वे अपनी कुल आय का नहीं बल्कि केवल व्यावसायिक आय का ही 25 प्रतिशत जमा कर सकेंगे। उन्हें यह सुविधा सम्पूर्ण आय के सम्बन्ध में देने का सरकार का कभी विचार नहीं था, इसलिए केवल व्यावसायिक पर ही उन्हें अब छूट देने का विचार है।

विधेयक में उल्लिखित अन्य बातें अधिकतर प्रक्रिया के सम्बन्ध में हैं लेकिन वे आयकर अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए अथवा उसे कठोर बनाने के लिए हैं। जैसा कि श्री दांडेकर ने बताया, उनसे निस्संदेह कुछ काम बढ़ जायेगा और अधिनियम ज्यादा पेचीदा हो जायेगा लेकिन न्याय के हित में वह आवश्यक है।

माननीय वित्त मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण एक आश्वासन यह भी दिया था कि यदि प्रत्यक्ष कर की वसूली सालाना 1,000 करोड़ रुपया होती है, तो वह अर्जित तथा अनर्जित आय पर प्रत्यक्ष करों की दरें काफी हद तक काम कर देंगे। हम आशा करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री कभी भविष्य में अपने इस आश्वासन को पूरा कर सकेंगे।

अन्त में संशोधन संख्या 16 का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें आय कर अधिकारी द्वारा सम्पत्ति के पंजीयन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र देना अस्वीकार करने पर उस व्यक्ति को अपील करने के

[श्री मुरारका]

अधिकार की मांग की गयी है । यह संभव है कि कुछ मामलों में हस्तांतरण पूरा हो जाने के बाद हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति अपना विचार बदल दे और आयकर अधिकारी की सांठगांठ से हस्तांतरण करना न चाहे । ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में हस्तांतरण किया जाता है यह अधिकार होना चाहिये कि वह आयुक्त के पास प्रमाणपत्र के लिए अपील कर सके । माननीय वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे अपील का यह उपबन्ध शामिल करें क्योंकि पहले 1949 के अधिनियम में भी इसी प्रकार का एक उपबन्ध था और उसमें पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से दिया हुआ था ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : जैसा कि श्री मुरारका ने बताया वित्त मंत्री ने यह विधेयक बजट अधिवेशनों में दिये हुए अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया है और कर वसूली की वर्तमान पद्धति में सुधार करने या उपबन्धों को कठोर बनाने के लिए नहीं । यह एक बहुत अच्छी बात है कि वित्त मंत्री ने वेतनभोगी कर्मचारियों को मकान किराये के मामले में रियायत दी है लेकिन मेरे विचार से यह प्रयास कुछ अन्यमनस्क रूप से किया गया है क्योंकि अधिकतम सीमा केवल 300 रुपये ही रखी गयी हे । मैं समझता हूं कि वे इस सीमा के बजाय वेतन का कोई प्रतिशत और अनुपात ही निर्धारित कर देते ।

बेनामीदारों से संबंधित उपबन्ध अच्छा है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि मकान वगैरह बनाने में एक से ज्यादा ठेकेदार भी हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता है । इसलिए मेरे विचार से 50,000 रुपये की इस सीमा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और न ही श्री मुरारका द्वारा सुझायी गयी 10,000 रुपये की सीमा से कोई हल निकलेगा क्योंकि कर बचाने के लिए वे और रास्ते ढूढ निकाल लेंगे ।

अंशों के मूल्य समवाय के संचित लाभ के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं और इसलिए समवाय के परिसमापन के समय प्रत्येक अंशधारी की गिनती उन अंशधारियों में करना जो समवाय की स्थापना के समय से अंशधारी है, अनुचित है । इसलिए इन उपायों से ऐसे अंशधारियों के साथ न्याय का बर्ताव नहीं हो सकता । यही कारण है कि वित्त मंत्री ने तीन वर्ष की छूट दी है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर): इस विधेयक के अधिकांश उपबन्ध प्रशंसनीय हैं । सब से पहली बात यह है कि इन दिनों जब कि रुपये का मूल्य इतना गिर गया है कि 1938 की तुलना में वह सिर्फ डेढ़ आने ही रह गया है यही उपयुक्त है कि आयकर के लिए छूट की सीमा 3,600 रुपये से बढ़ाकर 4,800 रुपये कर दी जानी चाहिये । आज 400 रुपये माहवार पाने वाले की क्रयशक्ति भी बिलकुल नगण्य सी है और वह युद्ध से पूर्व के 100 रुपये के बराबर भी नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस दिशा में शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिये । आशा है कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और अगली बार वित्त विधेयक पर विचार करते समय इस सुझाव को कार्यान्वित करेंगे ।

दूसरी बात यह है कि जब प्रत्यक्ष करों के इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा हैं तो इस संबंध में भी कुछ किया जाना चाहिये कि अपीलीय आयुक्त के समक्ष अपीलें केवल साधारण

बातों पर ही न हों बल्कि तथ्य संबंधी मामलों पर भी हों । यही उचित समय है जब कि इस प्रकार का कोई संशोधन किया जाना चाहिये जिस से पहली अपील की सुनवाई किसी उपयुक्त व्यक्ति द्वारा की जा सके और अपीलें, तथ्यों तथा कानून सम्बन्धी आधार पर सुनी जायें । कभी-कभी अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील का विषय पूरी तरह रोजमर्रा की बातों से संबंधित होता है और शायद कुछ रुपये आने पाई के अतिरिक्त कोई छूट नहीं मिलती । उसी तरह कभी-कभी कर निर्धारण इतने अवैध और गलत होते हैं कि कानून की अच्छी जानकारी और स्वविवेक वाले व्यक्ति द्वारा मामले की सुनवाई होने पर यही निष्कर्ष निकलेगा कि उसके सामने रखे गये तथ्यों के अनुसार तो कोई कर ही नहीं लगाया जाना चाहिये । इसलिए सारे तथ्यों की जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिये जो किसी भी तरह से सरकार के राजस्व से संबद्ध न हो और वह केवल विधि के प्रवर्तन से ही संबंधित हो ।

हमारे देश में प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने भी कुछ ऐसे ही सुझाव दिये हैं। विधि आयोग ने भी प्रत्यक्ष कर प्रशासन के सम्बन्ध में एक ऐसा ही सुझाव दिया है । विधि आयोग ने न्यायाधिकरण को समाप्त करने की सिफारिश की है और यह सुझाव दिया है कि अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में तथ्यों सम्बन्धी मामलों पर और विधि सम्बन्धी मामलों पर अपील की जाये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को मामले के इस पहलू की भी जांच करनी चाहिये। क्योंकि यही उचित अवसर है । जब कि इस बारे में निर्णय किया जाता कि क्या वह प्रक्रिया आयकर विभाग के उचित प्रशासन के लिए अनुकूल है ।

खंड 2 में यह प्रस्ताव किया गया है कि परिसमापन की स्थिति में समवाय के अर्जित कर लिये जाने के वर्ष से तत्काल पहले के तीन वर्षों के समवायों के लाभों को शामिल न किया जाये। केवल तीन वर्ष की सीमा निर्धारित करने का कोई कारण नहीं है । यदि लाभांश का भुगतान न करके उसको जमा रख कर एक रक्षित विधि बनायी गयी हो और उसको पांच या छः वर्षों तक बढ़ाया गया हो तो उसको यहां लाने का तथा केवल पिछले तीन वर्षों की छूट देने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह बहुत उचित विधान नहीं है ।

खंड 3 बहुत अच्छा उपबन्ध है और करदाताओं तथा आयकर अधिकारियों ने इसे बहुत अधिक पसंद किया है ।

खंड 5 के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना मैं नहीं चाहता । मेरा यह नम्र सुझाव है कि भविष्य में हमें अपने दिवंगत प्रधान मंत्री के बारे में कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिये। इस अर्थ में, मैं आयकर में छूट देने के लिए ऐसा कोई उपबन्ध प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं समझ पाता । इसलिये मैं इस विषय पर किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता ।

विधेयक के खंड 8 में किये गये उपबन्ध अनावश्यक हैं । इससे आयकर विभाग के कार्य में वृद्धि होने के अतिरिक्त और कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है । छिपायी गई आय का निर्धारण करने, गलती को सुधारने आदि के अनेक तरीके हैं यदि जरा सतर्क

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

होकर इन तरीकों से काम कया जाये तो हमारे राजस्व को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है ।

मैं समझता हूं कि आजकल सरकारी विभागों में कागजी कार्यवाही का क्षेत्र विस्तृत हो गया है । इसके परिणामस्वरूप साधारण से साधारण मामलों में निर्धारण करना कठिन हो गया है क्योंकि इससे विभाग में संबंधित कर्मचारियों के पास काम बहुत बढ़गया है और कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया अधिक जटिल हो गयी है । अत: मैं समझता हूं कि उनके लिये यह कार्य न बढ़ाया जाये ।

इस विधेयक के उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना वांछनीय नहीं है इस से अधिकारियों करदाताओं तथा कार्यालय सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । अत: वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनरोध है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू न किया जाये ।

श्री रामेश्वर राव (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का प्राय: सभी ने स्वागत किया है क्योंकि कर व्यवस्था में कमियों को दूर करने की व्यवस्था की गई है ताकि करापवंचन न हो सके ।

मैं मुख्यरूप से सभा का ध्यान विधेयक के खंड 10 की ओर दिलाना चाहता हूं । इस खंड में यह उपबन्ध किया गया है कि 50,000 रुपये से अधिक की सम्पति के हस्तांतरण के पंजीयन के लिये कर-अधिकारियों से इस बात का प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा कि उस व्यक्ति पर कोई कर-राशि की वसूली बाकी नहीं है । इस उपबन्ध को रखने का मुख्य उद्देश्य कर -अपवंचन को रोकना तथा कर वसूली में त्रुटि को दूर करना बताया गया है । प्राय: यह देखा गया है कि देश में अधिकांशत: पंजीयन वास्तविक मल्य से कम के कराये जाते हैं। इससे सरकार को दो प्रकार से, अर्थात्, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की, हानि होती है । इसका यह भी परिणाम होता है कि वास्तविक सम्पदा का सौदा 'कालेधन' अथवा छिपाये गये धन से होता है । इस छिपाये हुए धन को सम्पदा निर्माण अथवा सम्पदा क्रय या विक्रय में बड़ी आसानी से प्रयोग में लाया जाता है । अत: इस सीमा को कम करके 10,000 किया जाये। इस राशि से कम में पंजीयन कराने में लोगों को कठिनाई होगी । इस विधेयक में एक और उपबन्ध जोड़ा जाये जिस में आयकर अधिकारी अथवा पंजीयक को यह अधिकार दिया जाये कि यदि वह समझे कि सम्पदा का पंजीयन मल्य कम लगाया गया है तो वह इस पंजीयन मूल्य से 5,10 अथवा 15 प्रतिशत अधिक मल्य देकर सम्पदा को खरीद सकेगा । इससे काफी सीमा तक लोग सम्पति का पंजीयन मल्य कम बताने से डरेंगे ।

सरकार सम्पदा शुल्क की देय राशि की वसूली करने के लिये सम्पत्ति को स्वीकार करने या उस पर अधिकार करने के लिये सक्षम बनाने वाले खंड 19(क) के उपबन्ध के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाये ताकि सभी प्रत्यक्ष कर इसके अन्तर्गत आ जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर): विधेयक के खंडों पर बोलने से पहले मैं वित्त मंत्री महोदय से उनके द्वारा दिये गये आश्वासनों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मंत्री महोदय ने आय के

विवरण देर से प्रस्तुत करने तथा इसके लिये दिये जाने वाले दण्ड के बारे में आश्वासन दिया है कि विधेयक के उपबन्धों को अधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाये । किन्तु प्रायः आयकर अधिकारी इन आश्वासनों से अनभिज्ञ रहते हैं और कठोरता का वर्ताव करते हैं जिससे करदाताओं को अधिक परेशान होना पड़ता है । सरकार यह देखे कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निदेश दिये गये हैं या नहीं । यदि नहीं दिये गये हैं तो शीघ्र देने की व्यवस्था की जाये ।

जिलों में आयकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित करने की पद्धति है। किन्तु कई जिलों में निर्धन जनता रहती है जिन्हें कर देने में असमर्थ होने के कारण तंग होना पड़ता है । अतः यह आवश्यक है कि आयकर अधिकारियों को निदेश दिये जायें कि वे जिला आयकर लक्ष्य पूरे करने के लिये जनता को तंग न करें । जिलों का दौरा करने के बारे में उच्च अधिकारियों के लिये आचार संहिता होनी चाहिए ताकि कार्य निष्ठापूर्वक चल सके और जनता अनावश्यक रूप से तंग न हो ।

जब अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाये जा रहे हैं तो एक अलग विभाग होना चाहिए जो इन नियंत्रणों के प्रभाव का अध्ययन करे । प्रायः देखा गया है कि नियंत्रण लगाये जाने से लोग अवैध तरीकों से चोरबाजारी करके 'काला धन' कमाते हैं जिससे कानून के उल्लंघन के साथ साथ काफी कर अपवंचन भी होता है । अतः जब तक कोई वैज्ञानिक ढंग नहीं निकाला जाता कानून के उल्लंघन करने वाल की संख्या तथा छिपाये गये तथा 'काले धन' की राशि में वृद्धि होती जायेगी ।

अब तक खनिज रियायत नियमों के अधीन स्वामित्व को राजस्व व्यय के अन्तर्गत माना जाता था किन्तु कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों के परिणामस्वरूप इसमें विषमता पैदा हो गई है क्योंकि कुछ उच्च यायालयों ने इसे राजस्व व्यय माना है और दूसरों ने पूंजी व्यय । अतः अब आयकर अधिकारी सुधारात्मक उपाय अपनाने के बजाय इन निर्णयों के आधार पर धन व ल करने की सोच रहे हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि सर्वप्रथम भारत सरकार के खनिज रियायत नियमों तथा राज्यों के खनिज रियायत नियमों में आपस में ताल मेल हो और यदि पुराने नियमों के आधार पर को निर्ण किये गये हों तो उन्हें इस समय लागू नहीं किया जा सकता और उन्हें एक सामान्य रूप नहीं दिया जा सकता है । व्यावहारिक आधार पर भी इस व्यय को कभी पूंजीगत व्यय नहीं माना जा सकता है और यदि इन्हें ऐसा माना जाये तो इससे इस्पात आदि बड़े उद्योगों तक को बहुत हानि पहुंचेगी । अतः इसमें सुधार करने के लिये यथाशीघ्र कदम उठाये जायें और इसे राजस्व व्यय माना जाये ।

जहां तक कम आय वाले वर्ग का संबंध है वर्तमान सीमा उनके हित में नहीं है । यह अब निश्चित हो गया है कि मूल्य अब भले ही न बढ़ें किन्तु वर्तमान मूल्य कम नहीं हो सकते हैं ।

विधेयक के खंड 5 में किया गया उपबन्ध स्वर्गीय नेहरू की भावनाओं के विपरीत है क्योंकि इस उपबन्ध से धनी वर्ग को लाभ होगा । अतः इस पर पुनर्विचार किया जाये ।

जहां तक विधेयक के खंड 10 का संबंध है, प्रमाणपत्र सम्बंधी प्रक्रिया बड़ी जटिल है इससे लोगों को बड़ा परेशान होना पड़ता है । निदेशों के बावजूद भी इसमें बहुत समय लगता है ।

कर-अपवंचन करने वाले लोगों में परिवहन व्यापारी, डाक्टर, वकील आदि होते हैं अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये खंड 18 में संशोधन करने की आवश्यकता है । सम्पत्ति के हस्तांतरण के पंजीयन में सीमा 50,000 रुपये से कम करके 25,000 कर दी जाये ताकि लोग कर-अपवंचन न करें ।

[श्री काशी राम गुप्त]

इस विधेयक में जो कमियां रह गई हैं वे आगामी वित्त विधेयक में दूर हो जायेंगी ।

Shri Shinhasan Singh (Gorakhpur) : While supporting the Bill I like to draw the attention of the hon. Finance Minister to some provisions of the Bill. It appears that the Government, in order to give relief to the Capitalist class, has included some other sections of the people also for that purpose under some pressure.

Today when the prices are very high and the people of low income groups are experiencing great hardship, some relief should have been given to them. In order to give them some relief the taxation limit for the purposes of income tax should have been raised from Rs. 3,000 or 3,200 to Rs. 4,200 or Rs. 5,000.

Today there is a acute shortage of food in the country and Government are trying to increase the food production. Government should pay more attention towards agriculture than has been done up till now. Cultivators should be given diesel oil and electricity for agricultural purposes at cheaper rates so that these could be used by all of them and they may be able to increase the production by mechanical methods.

It is a very good provision to put a limit of Rs. 50,000 above which all registrations of property should require a certificate from the taxation authorities to the effect that no tax is due from the person concerned.

So far as the information about the construction of houses costing more than Rs. 50,000 is concerned any district magistrate can be assigned to find out the number of houses constructed since 1950 and also to enquire wherefrom the money has come to construct those houses. This will help in detecting a large number of corrupt officers and black money.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के कर प्रशासन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये समय-समय पर मूल अधिनियम के कार्यकरण के अनुभव के आधार पर सुधारात्मक विधेयक लाये जायें। इस दृष्टि से प्रस्तुत विधेयक लाने का प्रयत्न सराहनीय है। किन्तु इसका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है। यदि वास्तव में कर व्यवस्था की कमियों को दूर करना है तो इससे और अधिक व्यापक विधेयक सभा में लाना चाहिये था ।

यह समझ में नहीं आता कि सरकार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करके उनके अधिकार उच्च न्यायालयों को क्यों देना चाहती है। मैं विधि मंत्री महोदय के सभा में व्यक्त किये गये इस विचार का स्वागत करता हूं कि देश की कर व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये उच्च न्यायालयों को तथ्य तथा कानून के आधार पर न्यायनिर्णय का अधिकार दिया जाये। राजस्व वसूल ने रनेवाले अधिकारियों की मनमानी तथा कर की वसूली में डाले जानेवाले अनेक दबाव हमारे देश की कर व्यवस्था के लिये घातक हैं। जब तक कर निर्धारण कार्यों में संस्थात्मक, व्यवस्था सम्बंधी और कार्य प्रणाली विषयक सुधार नहीं किये जाते तब तक करदाताओं को परेशानियां ही उठानी पड़ेंगी ।

मैं समझता हूं कि खनन उत्पादन के आधार पर स्वामित्व के भुगतान में व्यापारिक व्यय सम्बंधी छूट देना पूरी तरह न्याय संगत है। वर्ष 1963–64 की कराधान जांच समिति तथा त्यागी समिति ने भी यह उचित समझा था कि जहां खनिज पदार्थों के उत्पादन के आधार पर स्वामित्व दिया जाता है उसमें व्यापार व्यय के रूप में छूट दी जानी चाहिये। माननीय मंत्री को इस बारे में

सभा को आश्वासन देना चाहिए क्योंकि देश के उच्च न्यायालय इसके प्रतिकूल निर्णय दे रहे हैं। इससे देश के खनन उद्योग को बड़ी हानि हो रही है।

मैं मंत्री महोदय तथा सदन को बताना चाहता हूं कि जब तक खनन उद्योगों को यह छूट नहीं दी जायेगी देश के सभी खनन उद्योगों के लिये यह घातक होगा और आने वाले लम्बे समय तक उद्योग का पनप सकना कठिन है। मुझ आशा है कि मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करेंगे और वाद विवाद का उत्तर देते समय कर व्यवस्था में सुधार करने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों पर प्रकाश डालेंगे।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The Bill under discussion serves the limited purpose. It will provide relief to only a few persons. Majority of the people are not benifited with this Bill. A more comprehensive Bill should have been brought.

The low paid Government servants are not given any tax-relief in the Bill where as tax remission has been given to the big employers in the matter of house rent. Even clause 3 of the Bill does not provide any relif to them.

It is not understandable as to why the red tapism is being encouraged and strengthened. Clause 18 of the Bill will encourage people to under value their properties to evade taxes. I, therefore, suggest that the account of the contractor who builds the house should be examined to assess the actual value of the property.

The Government have purchased agricultural land at normal rates and have sold the same at exorbitant rates. Unless Government itself stop profiteering, the public cannot be checked from doing so.

No relief has been given to small peasants and traders. Electricity is supplied at higher rates to small farmer whereas the same is supplied to big industries at a very cheap rate.

Sales tax inspectors should not be given so much powers. They harrass the public in realising taxes and arbitrarily assess heavy amount of taxes.

I submit that small peasants and traders and low income group should be given relief by making the Bill more comprehensive. It is not good that while no action is taken to realise the income-tax arrears amounting Rs. 450 crores from the big industrialists whereas small peasants and traders are harassed.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैंने वित्त विधेयक के समय माननीय सदस्यों को उनके द्वारा किये गये कुछ सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के पालन करने में जहां उपबन्ध कुछ कड़े हैं, उनमें कुछ राहत दी गई है। एसे मामलों में, जिनमें सरकार ने स्वयं अपनी इच्छा से किसी कम्पनी को दिवालिया घोषित किया है या सरकार स्वयं उसे लेना चाहती है, समस्त रक्षित पूंजी को लाभांश नहीं समझा जायेगा और इस प्रकार उस समस्त राशि पर आयकर नहीं लगेगा। सरकार के निर्णय की जानकारी से तीन वर्ष पहले रक्षित पूंजी के अन्तर्गत डाली गयी धनराशि पर केवल पूंजी लाभ कर ही लगेगा और शेष राशि पर आय-कर लगेगा। इस विधेयक द्वारा बड़े पू जीपतियों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। इसके विपरीत छोट उद्योगों को ही कुछ रियायतें दी जा रही हैं। इसी प्रकार किराये की सीमा 300 रुपये रखने का उद्देश्य भी यही है कि छोटी कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया जाये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

यहां तक कि दान के अन्तर्गत रखी गई उसी धन राशि पर कर में कुछ राहत ही दी गई है जो किसी धर्मार्थ न्यास को दी गई र । इसलिये यह आरोप ठीक नहीं है कि इस विधेयक का उद्देश्य बड़े पूजीपतियों को लाभ देना है । अपने को दिवालिया घोषित करने वाले या सरकार द्वारा लिये जाने वाले समवायों के बारे में तीन वर्ष की सीमा इसलिये रखी गई है ताकि वे सरकार के निर्णय की संभावना में पहले ही रक्षित पूंजी के अन्तर्गत समस्त लाभांश राशि दिखा कर आयकर का अपवंचन न कर सकें । क्योंकि किसी सीमा के न होने की हालत में उन्हें समस्त रक्षित राशि पर केवल पूंजी लाभ कर ही देना पड़ेगा । इस सीमा को कम या ज्यादा करने की बात समझ में आ सकती थी, परन्तु इसे पूर्णतया खत्म करना कतई उचित नहीं होगा । इसलिये सीमा को समाप्त करने सम्बंधी संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।

ठके अथवा सम्पत्ति के हस्तांतरण तथा अर्जन के बारे में जो 50,000 रुपये की सीमा रखी गई है इस समय यही सीमा उचित है । हम इसे कम करके आरम्भ में ही अपने बोझ को बढ़ाना नहीं चाहते । कुछ अनुभव प्राप्त करके ही हम ऐसा कर सकते हैं । हम स्थिति को भांपते रहेंगे और यदि इस सीमा में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक मालूम होगा तो अवश्य ही हम सभा के समक्ष ऐसा विधान लायेंगे ।

मनमाने ढंग से इंकार अथवा अनावश्यक विलम्ब के बारे में कुछ आशंकायें व्यक्त की गई हैं। मैं यह आश्वासन देता हूँ कि नियमों में इस प्रयोजन के लिये आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था कर दी जायेगी । एक सीमा निर्धारित कर दी जायेगी जिस तक कि आय-कर अधिकारी को सर्टीफिकेट देने अथवा न देने की आज्ञा होगी । परन्तु विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध करना मैं उचित नहीं समझता । आयकर अधिकारियों को इस प्रकार की हिदायतें दे दी गई हैं कि कर अपवंचन को रोकने के साथ साथ उन्हें इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिये कि किसी को अनावश्यक रूप से तंग न किया जाये । फिर भी जल्दी में कभी इस तरह का कोई मामला हो सकता है । ये अधिकारी ज्यादातर बुरे व्यक्ति नहीं हैं । उनको भी कभी कभी जबर्दस्ती कुछ करने के लिये बाध्य किया जाता है और उनकी बड़ी विकट स्थिति हो जाती है । माननीय सदस्यों को इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिये ।

जहां तक कर की वसूली का प्रश्न है, इस दिशा में भरसक प्रयत्न किये जा र हैं । पिछले मास 139 करोड़ रुपये कर के रूप में वसूल किये गये हैं । पिछले वर्ष 524 करोड़ रुपये का कर वसूल किया गया था जबकि बजट में 440 करोड़ का उपबन्ध था । कर की कुल सक्रिय बकाया लगभग 200 करोड़ रुपये है जोकि 524 करोड़ रुपये की वसूली की दृष्टि से काफी अधिक नहीं है ।

किसी विशेष धर्मार्थ कार्य के लिये दिये गये उपहार तथा दान को कर मुक्त करने सम्बंधी खंड 5 के बारे में काफी असंतोष प्रकट किया गया है । भूतपूर्व प्रधान मंत्री की स्मृति में जो कोष प्रारम्भ किया गया है वह पूर्णरूप से लोक प्रयोजन के लिये है । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि क्योंकि पहले एक ऐसा पूर्वोदाहरण मौजूद है, इसलिये यह रियायत भी दी जा रही है ।

करों के अपवंचन को रोकने के प्रयास में एक-आध मामला ऐसा हो सकता है जब कि किसी व्यक्ति को आय-कर वसूल करने के मामले में अनावश्यक रूप से तंग किया गया हो । परन्तु नियमों में इसके विरुद्ध संरक्षण का उपबन्ध किये जाने से कर अपवंचन को रोकने का काम और भी अधिक कठिन हो जायेगा । अयकर अधिनियम के प्रशासन को पूर्ण रूप से त्रुटिहीन नहीं बनाया जा सकता । वास्तव में ऐसा कोई भी विधान नहीं है जो पूर्ण तथा दोष रहित हो ।

डीजल तेल पर शुल्क कम करने का भी सुझाव दिया गया है ताकि कृषकों को कुछ राहत मिल सके। परन्तु वे लोग तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में डीजल तेल का प्रयोग करते हैं। मैंने लगभग बातों का उत्तर दे दिया है। विधेयक में सुधार करने के उद्देश्य से दिये गये सभी संशोधन विचार करने योग्य हैं। जहां तक श्री मुरारका के अपील के उपबन्ध सम्बंधी संशोधन का सम्बंध है, यदि उसे स्वीकार कर लिया जाये तो हमें धारा 230 में कुछ भी परिवर्तन करना पड़ेगा। लोगों को तंग किये जाने से बचाने के लिये अथवा उन्हें अधिक अवसर प्रदान करने के बारे में हम नियम बनायेंगे जो सभा के समक्ष स्वीकृति के लिये रखे जायेंगे। श्री मुरारका के उपरोक्त संशोधन को अभी स्वीकार करना संभव नहीं है। परन्तु इस मामले पर विचार किया जायेगा और यदि वैसा करना आवश्यक समझा गया तो आय-कर अधियनयम में वार्षिक संशोधन के समय वह संशोधन भी शामिल कर लिया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। हां, यदि बाद में कुछ उसी प्रकार के संशोधन करना हितकर होगा, तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री काशीराम गुप्त : माननीय मंत्री ने वित्त विधेयक के पारित किये जाने के समय उनके द्वारा दिये गये इस आश्वासन की पुष्टि नहीं की है कि आय-कर सम्बंधी आंकड़ों के देर से दिये जाने के मामले में आम तौर पर कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा और आय कर अधिकारियों को इस बारे में हिदायतें दे दी जायेंगी।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमने आय-कर अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी हैं। यदि किसी मामले में इन हिदायतों का पालन नहीं किया गया है और इस प्रकार करदाताओं को तंग किया गया है, तो माननीय सदस्य से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उसकी जांच की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्यक्ष करों सम्बंधी कुछ विधियों में अग्रेतर संशोधन करने विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार बहस करेंगे।

खंड 2

श्री मुरारका : माननीय मंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम अपने संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion wa adopted.

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।
Claue 2 was added to the Bill.

खंड 3

श्री चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : माननीय वित्त मंत्री के आश्वासन की दृष्टि से, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 4 to 9 were added to the Bill.

खंड 10—(नई धारा 230-क का रखा जाना)

श्री बड़े (खारगोन) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं ।

भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत लोग शुल्क तथा न्यायालय फीस बचाने की कोशिश करते हैं । सम्पत्ति को कई भागों में विभक्त करके वे कोर्ट फीस तथा रजिस्ट्रेशन से भी बचने का प्रयत्न करते हैं । इसीलिये मेरा सुझाव है कि 50,000 रुपये के स्थान पर यह सीमा एक लाख रुपये कर दी जाये ।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए ।]
[**Shri Khadilkar** *in the chair*]

धन कर अधिनियम के अन्तर्गत मैंने ऐसे मामले देखे हैं जबकि आय-कर अधिकारियों द्वारा क्लीयरेंस सर्टीफिकेट न दिये जाने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है । इससे जो लोग सम्पत्ति खरीदना अथवा बेचना चाहते हैं उन्हें दिक्कत होती है । अतः स्वयं अधिनियम में ही कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये, जिसके अन्दर ऐसा सर्टीफिकेट दिया जाना जरूरी ठहरा दिया जाये । चाहे वह सीमा 15 दिन की हो या इससे अधिक हो, इस बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: जैसा कि मैंने पहले भी कहा है नियमों में समय सीमा निर्धारित कर दी जायेगी और उन्हें सभा पटल पर सभा के अनुमोदन के लिये रखा जायेगा । जहां तक 50,000 रुपये की सीमा का सम्बंध है यह स्वयं उन्हीं का सुझाव है । बहुत से ऐसे मामले भी हैं जिनमें यह सीमा बहुत कम है । इसलिये मैं ये संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 1 and 2 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill.

खंड 11 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 11 to 17 were added to the Bill.

खंड 18—(धारा 285-क का रखा जाना)

Shri Bade : I beg to move my amendment No. 3.

In the interest of natural justice, the contractor should be asked to show cause before any penalty is imposed upon him. To bring out the unaccountable money, it is very necessary to define clearly the term "contractor" in the Income-tax law itself. This is the intention of my amendment No. 3.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: मेरे विचार में माननीय सदस्य ने यह महसूस नहीं किया कि आयुक्त को जुर्माना लगाने से पूर्व सारी जांच करनी होगी । ठेकेदार को यह सब जानकारी देनी होगी । अतः इसके लिए किसी विशेष उपबन्ध की आवश्यकता नहीं होगी । शायद मेरे माननीय मित्र सजा और जुरमाने को एक ही समझ रहे हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 3 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खंड 19, 20 और 1 तथा अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 19, 20 and 1, the enacting formula and theTitle were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रेस परिषद् विधेयक

PRESS COUNCIL BILL

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा अपनी 15 सितम्बर, 1964 की बैठक में स्वीकार किये गये और 17 सितम्बर, 1964 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में की गई राज्य सभा की इस सिफारिश से कि यह सभा प्रेस की स्वतन्त्रता बनाये रखने और भारत में समाचार पत्रों का स्तर बनाये रखने और ऊंचा करने के प्रयोजन के लिये प्रेस परिषद् की स्थापना करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य मनोनीत किये जाये अर्थात्, श्री पीटर अल्वारेस , श्री च० का० भट्टाचार्य, श्री नि० म० चटर्जी. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह चौधरी, श्री इलयापेरुमल, श्री अंसार हरवानी, श्री तु० द० कामले, श्री चेरियन केपन, श्री कपूर सिंह, श्री कुमारन, श्री नि० रं० नास्कर, श्री शिव चरण माथुर, श्री मथुरा प्रसाद मिश्र, श्रीमती शारदा मुकर्जी, श्री मोहन नायक, श्री मानसिंह पृ० पटेल, श्री किशन पटनायक, श्री शिवराम रंगो राने, श्री साधुराम, श्री श्यामलाल सर्राफ, पंडित कृ० च० शर्मा, श्री शशि रंजन, श्री विद्या चरण शुक्ल। श्री सु रेन्द्र पाल सिंह, डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, श्री तुलाराम, श्री वीरबासप्पा, श्री वीर भद्र सिंह, और श्री चे० रा० पट्टाभिरामन।"

1952 में एक उच्च स्तरीय आयोग प्रेस आयोग की स्थापना की गई थी। प्रेस आयोग ने बहुत महत्व पूर्ण विचार करने के बाद प्रेस परिषद् बनाने की सिफारिश की है। यह बहुत महत्व-पूर्ण सिफारिश है। प्रेस परिषद् में 25 सदस्य होंगे और उसके सभापति को मुख्य न्यायाधीश मनोनीत करेंगे।

परिषद् का उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता को कायम रखना और समाचार-पत्रों का स्तर बनाये रखना और उसमें सुधार करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कई शक्तियों का विचार किया गया है। ये शक्तियां और कृत्य प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुकूल है। प्रेस परिषद् का एक महत्वपूर्ण कार्य उन बातों का अध्ययन करना होगा जिन से कि समाचार पत्रों के स्वामित्व का एकाधिकार एवं केन्द्रीयकरण बनता है। इन कार्यों में समाचार-पत्रों के स्वामित्व अथवा वित्तीय ढांचे का अध्ययन भी शामिल होगा। यह सुझाव देना परिषद् का काम है कि इस को रोकने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे।

प्रेस परिषद् को केवल यह अधिकार दिया गया है कि गलती करने वाले समाचार-पत्र सम्पादक अथवा पत्रकार की निन्दा। परिषद् को और कोई अनुशासनिक अधिकार देने का विचार नहीं है। खंड के द्वारा परिषद् को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुकद्दमे की सुनवाई करते समय दीवानी न्यायालय के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार से परिषद् एक दीवानी न्यायालय नहीं बन जाती। ये अधिकार केवल गवाहों को बुलाने, कागजात को मंगवाने आदि के कुछ सीमित कार्या के लिये दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा प्रेस-परिषद् को अधिकार दिया गया है कि वह जांच करने के तरीके के बारे में विनियम बना सकती है, इस में

हम ने बहुत अधिक छूट दी है। आशा है कि यह परिषद् को विवादग्रस्त पक्षों के बीच समझौता कराने अथवा न्यायालय के बाहर रह कर ही विवाद को सुलझाने का प्रयत्न करने में बाधक नहीं होगा ।

परिषद् का उद्देश्य एक ऐसा गोष्ठी स्थल बनाना है जिसमें किसी गलती करने वाले समाचार पत्र के सम्बन्ध में निर्णय उसी व्यवसाय को करने वाले उसके अपने साथियों द्वारा किया जाय। इसका दंड केवल निन्दा है। विधेयक में एक उपबन्ध यह है कि प्रेस परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखा जायेगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): इससे पूर्व कि चर्चा आरम्भ हो मैं एक व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 117 (1) के अन्तर्गत कोई भी विधेयक जिसमें संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट उपबन्ध हो, राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। विचाराधीन विधेयक अनुच्छेद (1) के उपबन्ध के प्रतिकूल है। अतः इस को राज्य सभा में पुरःस्थापित करके इस पर वहां विचार नहीं की जा सकती थी। मैं इस बात की ओर विशेष रूप से सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति केवल विधेयक पर विचार किये जाने के लिये प्रदान की है न कि इसे पुरःस्थापित करने की। मेरे विचार में इसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान के अनुच्छेद (1) की ओर आकृष्ट करवाता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह : अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कोई विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं हो सकता। केवल राष्ट्रपति की अनुमति से वहां इस पर विचार हो सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यही बात प्रक्रिया नियम 65 के उप नियम (2) में भी है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय सदस्य को भ्रांति है। राज्य सभा ऐसा कर सकती है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): मेरे विचार में यह आपति निराधार है। राज्य सभा इस प्रकार के विधेयक पर विचार कर सकती है।

श्री हेडा (निजामाबाद): वित्तीय अभ्यावेदन से स्पष्ट है कि यह धन विधेयक है, अतः राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं हो सकता। इस पर केवल विचार करने की अनुमति राष्ट्रपति से प्राप्त की गई थी ।

श्री सिंहासन सिंह : मेरा निवेदन यह है कि क्या किसी विधेयक पर पुरःस्थापित होने से पूर्व विचार हो सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिए बिना तो कोई विधेयक भी पुरः-

स्थापित नहीं हो सकता। लोक सभा में भी नहीं हो सकता। अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत यह स्पष्ट है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair.*]

श्री हरि विष्णु कामत : व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत है, अतः आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने महान्यायवादी को भी यह मामला परामर्श के लिये भेजा था। मेरा निवेदन है कि यदि विधेयक केवल अनुच्छेद 110 (1) के उपखण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट मामलों का ही उपबन्ध हो तो यह धन विधेयक कहलाता है। इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि विधेयक में इस प्रकार के उपबन्ध हों, जिनसे इसके पारित हो जाने पर व्यय हो, तो वे उपबन्ध केवल भारत की समेकित निधि से धन निकालने अथवा कर लगाने तक ही सीमित नहीं होते, और यह केवल वित्तीय विधेयक कहलाता है और इसके लिये राष्ट्रपति अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करते हैं अथवा अनुमति उनसे प्राप्त की जाती है। अनुच्छेद 117 (1) अथवा 117 (2) के अन्तर्गत यह बात नहीं आती। इस विधेयक में व्यय के अतिरिक्त अन्य कई उपबन्ध है। यह वित्तीय विधेयक है, धन विधेयक नहीं। इसे राज्य सभा द्वारा ठीक ही पारित किया गया है।

अनुमति केवल विचार करने के लिए दी गई थी और पुरःस्थापित करने के लिये नहीं, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है। यह प्रश्न नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने स्थिति स्पष्ट कर दी है यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि प्रेस परिषद् के उद्देश्य सरल हैं और वे देश की लोकतंत्रात्मक परम्पराओं के अनुकूल है और देश के समाचार पत्रों के कार्य के लिए लाभदायक है। यद्यपि इस कार्य में काफी देर कर दी गयी है और माननीय मंत्री महोदय इस दिशा में काफी सुस्त रहे हैं। कुछ एक अखबारों ने आपात का अनुचित लाभ भी उठाया, उन के विरूद्ध कोई कार्यवाही न की जा सकी। गृह कार्य मंत्री ने भी अब कुछ और अखबारों को नोटिस भेजे हैं।

मुझे हर्ष है कि प्रेस परिषद ने प्रेस की स्वतंत्रता को बनाये रखने की दिशा में काफी कार्य किया है और पत्रकारिता के व्यवसाय के गौरव को कायम रखा है। मेरे विचार में प्रेस परिषद् अनुसन्धान को बढ़ावा देगी और समाचार पत्रों की सामान्य सेवा करेगी। परन्तु मुझे यह भय है कि जितनी कम राशि इसे दी गयी है, उसमें इसके लिए सब काम करना किस प्रकार सम्भव हो सकेगा। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, प्रैस परिषद् अनुसन्धान को बढ़ावा देगी तथा समाचारपत्रों के लिये सामान्य सेवाओं की व्यवस्था करेगी। मैं इस अनुसन्धान का स्वागत करता हूं क्योंकि पत्रकारिता के व्यावसायिक स्तर को ऊंचा करने के लिये अनुसन्धान की आवश्यकता है। परन्तु मेरी यह समझ में नहीं आता कि वित्तीय ज्ञापन में इस प्रैस परिषद् को जो इतनी थोड़ी सी रकम दी गई उस से यह ये सब काम कैसे कर सकेगी। उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केवल इच्छामात्र ही नहीं चाहिये अपितु आवश्यक शक्ति तथा साधन भी चाहिये।

क्या समाचार पत्रों के लिये सामान्य सेवायें प्रैस इनफारमेशन ब्यूरो के अथवा राज्यों के जन-सम्पर्क विभागों के वक्तव्यों अथवा समाचारों के तथा विभिन्न मंत्रालयों की विज्ञप्तियों के रूप में होंगी ? यदि ऐसा विचार है तो मैं कहूंगा कि हमने इसके लिये बहुत निम्न आदर्श रखा है, चाहे निस्संदेह ही ये सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। सामान्य सेवाओं के लिये हमें सोद्देश्य रिपोर्टिंग के बारे में सोचना चाहिये जैसा कि प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा अन्य कुछ समाचार अभिकरण कर रहे हैं। अन्य प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिये। विदेशी प्रेक्षकों का मत है कि भारत के समाचार पत्रों में राजनीति बहुत चल रही है तथा उन में सामाजिक तथा आर्थिक समाचार नहीं दिये जाते। लोगों के लिये इस प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए विधेयक में कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। आशा है कि सामाजिक तथा आर्थिक समाचारों को अधिक स्थान देने के बारे में कुछ किया जायेगा।

यह भी कहा गया है कि परिषद् इसकी भी व्यवस्था करेगी कि पत्र कारिता भी अन्य विषयों की भांति पढ़ाई जाये। परन्तु विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि दिल्ली, नागपुर तथा पंजाब विश्वविद्यालय आदि के पत्रकारिता स्कूलों का इस मामले से कोई सम्बन्ध होगा। मंत्री महोदय को इन मामलों के बारे में ठोस प्रस्ताव रखने चाहिय जिस से कि उद्देश्यों को यथा सम्भव पूरा किया जा सके, केवल शानदार उद्देश्यों का ही कोई उपायोग नहीं।

यह विधेयक सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का है जो कि सीधे ही लोगों की आवश्यकता पूर्ति करता है, मानव जीवन की समस्याओं का लोगों को दिग्दर्शन कराता है तथा अच्छी बातों और अच्छी भावनाओं की लोगों को शिक्षा देता है। इसको यदि ध्यान में रखा जाये तो हम कह सकते हैं कि यह विधेयक जटिल है तथा जिस ढंग में प्रैस परिषद् की स्थापना की जा रही है वह भी बहुत जटिल है।

इस परिषद् को कुछ न्यायिक अधिकार तो होगा, यह न्यायिक अधिकरण के समान तो हो सकती है, परन्तु यह एकमात्र पूर्णतः न्यायिक निकाय नहीं होगी। यह समझ में नहीं आता कि इसके अध्यक्ष का नाम-निर्देशन मुख्य न्यायाधीश द्वारा करवाने का उपबन्ध क्यों किया जा रहा है। परिषद् का अध्यक्ष तो ऐसा होना चाहिये जिसका कि अन्य किसी बात के अतिरिक्त जनता के साथ अधिक सम्पर्क हो।

परिषद् के सदस्यों की प्रथम श्रेणी में 13 सदस्य होंगे जिनमें से 6 समाचारपत्रों के सम्पादक तथा न श्रमजीवी पत्रकार होंगे। समझ में नहीं आता कि यह अनुपात किस हिसाब से रखा गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों की संख्या परिषद में अधिक होनी चाहिये जिससे वे हानि में न रहें। सम्पादकों और श्रमजीवी पत्रकारों की परिषद् में संख्या उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के अनुपात में होनी चाहिये।

भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधियों की संख्या केवल तीन रखी गई है जोकि बहुत थोड़ी है। इनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि भारत कि प्रगति के साथ साथ भारतीय भाषाओं की प्रगति भी होगी तथा उनका महत्व बढ़ता जायेगा।

परिषद् के छः सदस्य समाचारपत्रों के एक स्वाधिकार वाले पूंजीपति मालिकों अथवा उनके आदेशों पर चलने वाले प्रबन्धकों में से क्यों रखे जा रहे हैं। यह बात देखी जानी चाहिये कि उनकी कितनी संख्या ठीक रहेगी। शिक्षा, साहित्य, विधि तथा संस्कृति में रुचि लेने वाले सदस्यों को नाम-निर्देशित किया जाना चाहिये, परन्तु इस ढंग में नहीं जिसमें कि राज्य सभा के लिये किया जाता है। इनके अतिरिक्त वैज्ञानिक क्षेत्र को परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये क्योंकि वैज्ञानिक पत्रकारिता समस्त विश्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। परिषद् में दो लोक सभा के सदस्य तथा एक राज्य सभा का सदस्य लिया जायेगा। संसद सदस्य समाचारपत्रों के लाखों पाठकों के प्रतिनिधि हैं अतः परिषद् में लोकसभा तथा राज्य सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इस प्रकार मैं यह कहूंगा कि प्रैस परिषदँ के गठन के सिद्धान्तों में, विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधियों के अनुपात में, परिवर्तन किया जाना चाहिये।

नामावलियों को आमंत्रित करने आदि के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत जटिल है तथा मैं समझता हूं कि इससे परिषद् का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा तथा परिषद् के सदस्यों के बीच अच्छा सम्बन्ध रहने की सम्भावना नही है ।

इस परिषद् को किसी समाचारपत्र, संपादक अथवा पत्रकार की भर्त्सना का अधिकार दिया गया है। भर्त्सना से कोई व्यक्ति बदल तो सकता है, किसी व्यक्ति का सुधार तो हो सकता है परन्तु मैं समझता हूं कि यदि यह परिषद् कुछ व्यक्तियों की भर्त्सना मात्र के लिये ही स्थापित की जा रही है तो इसका अधिक लाभ नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि लोगों को दण्ड देने का कार्य परिषद् को अपने हाथ में लेना चाहिये परन्तु हमें यह तो बताया जाये कि परिषद् द्वारा किस प्रक्रिया से, किस ढंग में, किसी समाचारपत्र की भर्त्सना की जायेगी। बिना उचित प्रक्रिया के तो यह केवल एक सलाहकार संस्था मात्र रह जायेगी जो कि हानिरहित प्रस्ताव पारित करती रहेगी तथा जिससे पत्रकारिता की कोई उन्नति नहीं होगी। खंड 14 में कहा गया है कि परिषद् को नागरिक न्यायालय के से अधिकार होंगे परन्तु उन अधिकारों का उपयोग क्या होगा जब कि उसका कार्य केवल भर्त्सना तक ही सीमित रह जायेगा। इसलिये इस परिषद् के अधिकारों तथा कृत्यों को ठीक से निश्चित किया जाना चाहिये। कोई एक ठीक रास्ता अपनाया जाये।

खंड 18 में किया गया यह उपबन्ध अच्छा है कि इस परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट हमें मिलेगी तथा हम उस पर चर्चा कर सकेंगे।

प्रैस परिषद् के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किये जाने चाहिय, अन्य किसी ढंग में नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिये कि परिषद् का अध्यक्ष सचिव की नियुक्ति करे और सचिव अन्य लोगों की।

वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसा अनुमान है कि प्रारम्भ में वार्षिक व्यय 2 लाख 30 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा तथा अनावर्ती व्यय लगभग 20,000 रुपये का होगा। यह एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिये जितने थोड़े से धन की व्यवस्था की गई है उससे जो परिषद् स्थापित हो सकेगी वह जीवन रहित होगी तथा अधिक सहायक सिद्ध नहीं होगी। समाचारपत्रों के पाठकों तथा पत्रकारिता के हितों की रक्षा के लिये इस कार्य के लिये अधिक धन की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

Shri Bade (Khergaon) : The Press' Council Bill has been welcomed by the people all over the country since it is the first step after independence by which some liberty is being given to the press. But two things are particularly to be seen by this House and the proposed Committee. Firstly, certain powers regarding newsprint should be vested in the Press Council. There is too much hue and cry for newsprint. The circulation number is highly exaggerated by the pro-government papers and that is accepted by Government and newsprint quota is accordingly allotted to them, consequent to which the surplus stock of newsprint is sold by these newspapers in the black-market. This surplus stock is thus made available to the yellow press or gutter press which bring out newspapers and journals giving sensational and cheap type of news. I, therefore, feel that necessary provision should be made to give the work of allotting the quota and distribution of newsprint in the hands of the Press Council. Secondly, it is seen that most of the advertisements are given by the Government Departments and Ministries to those newspapers only which are pro-government, praise Ministers and help the Government in their election compaign by publishing voters list etc. In view of this, the power of giving advertisements to the press should also be vested in the Press Council.

I also feel that in the preamble of the Bill the word 'litberty' has wrongly been used in the phrase 'liberty of the press', since it does not appear to be proper in the context. It should be replaced by the word 'freedom' and the phrase should be made as 'freedom of the press'.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

बाढ़ की स्थिति के बारे में विवरण

STATEMENT *RE*: FLOOD SITUATION

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : श्रीमन्, देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में मैं एक अनुपूरक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विवरण की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी जायेंगी।

*पिछड़े क्षेत्रों का विकास

HALF AN HOUR DISCUSSION RE: DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : श्रीमन्, यह प्रश्न विभिन्न राज्यों में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये योजना आयोग के अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है। पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की बड़ी परियोजनाओं को सरकार द्वारा यह कह कर त्याग दिया था कि वे आर्थिक दृष्टि से लाभपूर्ण नहीं है। परन्तु अब इस प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक साधनों का पता लगाया जाना चाहिये तथा उसके लिये तुरन्त आवश्यक उपाय किये जाने चाहियें। उसमें यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किया जाना चाहिये, चाहें वह आर्थिक दृष्टि से वांछनीय न हों। पिछड़े हुए क्षेत्रों में परिवहन, संचार तथा विद्युत् का विस्तार करने के लिये जितना विनियोजन आवश्यक है उससे फालतू विनियोजन भी करना होगा। विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का, विशेषत: मद्रास राज्य में पुद्दुकोटै, रामनाथपुरम, अरंतंगी का, विकास इन सिफारिशों की क्रियान्विति पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में कोई अच्छा उद्योग नहीं है तथा सिंचाई की स्थायी व्यवस्था नहीं है। अत: विकास के प्रारम्भिक कदम के रूप में उन्होंने स्थायी सिंचाई सुविधाओं की मांग की थी तथा कहा था कि कावेरी नदी से नहर निकाल कर तालाब पद्धति द्वारा सिचाई की व्यवस्था की जाये। तृतीय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के समय मैंने यह मांग रखी थी मद्रास राज्य में पुद्दुकोटै, रामनाथपुरम, अरंतंगी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग वहां एक अध्ययन दल भेजे। इस पर योजना मंत्री ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के लिये एक विशेष दल नियुक्त किया गया है और इस दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर एक प्रणाली बनाई जायेगी जो कि समस्त पिछड़े क्षेत्रों के लिये लागू की जा सकेगी। उस दल का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है और सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। परन्तु जब 17 सितम्बर को यह पूछा कि क्या विकास की प्रणाली निर्धारित कर ली गई है तो माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की प्रणाली उन क्षेत्रों की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाओं के अध्ययनों पर आधारित होगी। इस प्रकार फिर उलट-पलट कर वही बात कही जा रही है।

इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास कार्य को चतुर्थ योजना में सम्मिलित करने के लिये इस प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि यह अत्यावश्यक है कि वित्तीय वर्ष 1963-64 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में ऐसे क्षेत्रों को निश्चित कर दिया जाये, जिससे कि विभिन्न विकास कार्यों के लिये नियुक्त कार्यकारी दल समस्याओं का निकट से अध्ययन कर सकें तथा विकास कार्यों के लिये राशि निर्धारित की जा सके। परन्तु वित्तीय वर्ष 1963-64 तो समाप्त हो चुका है और अब वित्तीय वर्ष 1964-65 भी समाप्त होने पर है और इससे ऐसी आशंका होती है कि कहीं-कहीं चतुर्थ योजना में भी इन क्षेत्रों का विकास कार्य होने से न रह जाये। इस सब के लिये सरकार उत्तरदायी है। जब जनवरी, 1964 में ही उनको यह प्रतिवेदन मिल गया था तो फिर मार्च, 1964 तक ही यह क्षेत्र निश्चित क्यों नहीं किये जा सके। यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि सरकार ने 1964-65 में उस सिफारिश को स्वीकार किय है जो कि

1963-64 में कार्यान्वित की जानी थी। प्रतिवेदन में जहां यह सिफारिश की गई है कि 1964-65 के लिये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये राशि तथा लक्ष्य निर्धारित किये जाये वहां यह भी कहा गया है कि अन्य राज्यों के ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी योजना आयोग सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत करके राशि तथा लक्ष्य निर्धारित करें। परन्तु उत्तर प्रदेश के मामले में अध्ययन दल नियुक्ति आदि कोई कार्यवाही तुरन्त करके तथा अन्य राज्यों की इस सम्बन्ध में उपेक्षा करके उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात किया गया है। परन्तु पुद्दुकोटै, रामनाथपुरम, तथा अरंतंगी की जनता अब इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार को सहन नहीं करेगी। लगभग प्रत्येक वर्ष वर्षा के अभाव के कारण मद्रास राज्य में फसल नष्ट हो जाती है तथा वहां खाद्यान्न का भारी अभाव है। मद्रास राज्य की जनता अब अधिक उपेक्षा सहन नहीं कर सकती तथा यदि वह सीधी कार्यवाही करती है तो सरकार को इसके लिये उन्हें दोष देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

हमें यह बताया जाये कि मद्रास तथा अन्य राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों को निश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ; पुद्दुकोटै, रामनाथपुरम, तथा अरंतंगी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके विकास के लिये योजना तैयार करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जायेगी ; यह अध्ययन किसके द्वारा कराया जायेगा तथा कब तक ; योजना आयोग तथा भारत सरकार इन मामलों पर मद्रास तथा अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कब बातचीत करेंगे ; प्रत्येक राज्य में विशेष क्षेत्र सैल गठित करने के लिये सरकार ने क्या किया है और यह कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी कि इन क्षेत्रों की विकास योजनायें तथा उनके लिये राशि चतुर्थ योजना में सम्मिलित कर लिये जायें।

श्री दो० चं० शर्मा (गुरदासपूर) : पिछड़े हुए क्षेत्र भारत के केवल किसी एक राज्य में ही नहीं हैं अपितु सभी राज्यों में हैं और अतः इन क्षेत्रों की समस्या केवल मद्रास राज्य तक ही सीमित नहीं हैं। यह बताया जाये कि किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये कसौटी क्या है ; पिछड़े क्षेत्रों को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से उन्नत करने के लिये सरकार ने अब तक क्या किया है और यह कि चौथी योजना में इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : योजना आयोग पिछले कुछ समय से इस मामले पर ध्यान देता रहा है। तीसरी योजना में भी पिछड़े हुए क्षेत्रों का आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य रूप में विकास करने की बात पर विचार किया गया था। अगस्त, 1962 में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को पत्र लिखे थे वे अपने क्षेत्रीय विकास का विवरण दें तथा अपने राज्य-क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों को निश्चित करें। कुछ राज्य सरकारों से सुझाव भी प्राप्त हुए थे परन्तु उन पर विचार करते समय हमने यह पाया कि क्षेत्रों का चयन ठीक प्रकार से नहीं किया गया था तथा योजना आयोग के पत्र में लिखी बातों पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिये बजट पर चर्चा के समय सदन की मांग पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये उस क्षेत्र की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये योजना आयोग तथा राज्य सरकार के एक संयुक्त दल को नियुक्त करने का निदेश दिया था जिससे कि उस क्षेत्र के विकास की प्रणाली निश्चित की जा सके और इसीलिये

[श्री ब० रा० भगत]

मैंने यह कहा था कि यह एक प्रकार का अग्रिम अध्ययन है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि वह प्रणाली सभी क्षेत्रों पर लागू की जायेगी। संयुक्त दल ने स्वयं यह सुझाव दिया है कि किसी क्षेत्र के विकास की प्रणाली उसके प्राकृतिक संसाधनों के रूप तथा उपलब्धि को देखकर ही निर्धारित की जायेगी ; सारे देश के ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिये समान पद्धति नहीं अपनाई जा सकती क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं तथा अन्य बातों में भिन्नता होती है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के अध्ययन के फलस्वरूप संयुक्त दल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वहां जल स्तर बहुत ऊंचा है अतः वहां पर नलकूपों आदि के द्वारा सिंचाई के साधनों का विकास किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन उससे भिन्न स्वरूप के हो सकते हैं। इसलिये समिति ने यह सिफारिश की है कि पहिले कुछ विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े हुए क्षेत्र निश्चित किये जाने चाहियें।

पिछड़े हुए क्षेत्रों को किसी वैज्ञानिक आधार पर निश्चित किया जाना चाहिये, जैसे कि आर्थिक विकास की कसौटी के आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि किसी क्षेत्र का कितना विकास किया जा सकता है, वहां पर कितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तथा उस क्षेत्र को किस हद तक पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जा सकता हैं। इसलिये योजना आयोग ने अनेक बैठकों में चर्चा करके पंदरह कसौटियां स्वीकार की हैं जिनके आधार पर प्रत्येक जिले के बारे में निश्चय किया जायेगा। उदाहरणार्थ कुछ कसौटियां इस प्रकार हैं: जनसंख्या का घनत्व, कुल जनसंख्या की गांवों में रहने वाले लोगों की प्रतिशत संख्या, कृषि योग्य क्षेत्र, बोये जाने वाला क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र में सिचाई के साधनों वाले क्षेत्र का प्रतिशत भाग, कुल कृषि क्षेत्र में दो फसलों वाले क्षेत्र का प्रतिशत भाग, कृषि उत्पाद का प्रति व्यक्ति सकल मूल्य, आदि। इसलिये प्रत्येक राज्य से यह कहा गया है कि वे इन कसौटियों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों को निश्चित करें। हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि इन सर्वसम्मत कसौटियों के आधार पर ऐसे क्षत्र शीघ्र निश्चित किये जायें जिससे कि उनके विकास कार्य को चतुर्थ योजना में सम्मिलित किया जा सके। स्वयं राज्य सरकारें भी इसके लिये उत्सुक हैं कि क्योंकि उन पर भी विधान सभाओं में इसके लिये बहुत जोर डाला जा रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, इस संयुक्त दल ने यह सुझाव दिया है कि विकास की पद्धति सम्बन्धित क्षेत्रों के आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययनों पर आधारित होनी चाहिये। इसलिये, इन क्षेत्रों के निर्धारित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकारों से यह कहा जायेगा कि वे उन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिये विशेष अध्ययन दल नियुक्त करें जिससे कि विकास की पद्धति निर्धारित की जा सके, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों के मामले में किया गया है। इसके पश्चात् ही विकास की पद्धति की व्यवस्था करने तथा योजना के कार्यक्रम में उसे सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में संयुक्त दल द्वारा अध्ययन किये जाने के पश्चात् उसकी सिफारिशों पर हमने पूर्वी जिलों के विकास कार्य के लिये इस पंचवर्षीय योजना में दस करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं, जिसमें से चार करोड़ रुपये इस वर्ष के लिये हैं तथा छः करोड़ अगले वर्ष के लिये। उस क्षत्र के

लिये एक समिति गठित कर दी गई है तथा संयुक्त दल की सिफारिश पर जिस कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की गई है वह पूरा किया जाना चाहिये। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों के निश्चित किये जाने के पश्चात् वहां पर विशेष अध्ययनों के द्वारा विकास पद्धति निश्चित की जायेगी तथा मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं कि चतुर्थ योजना में इन क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम सम्मिलित कर लिया जायेगा।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट) : यह सब कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायेगी जिससे कि इस विकास कार्यक्रम को चतुर्थ योजना में सम्मिलित किया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : हम इसके लिये इच्छुक हैं कि यह चतुर्थ योजना में सम्मिलित कर लिया जाये। चतुर्थ योजना का टाइम शिड्यूल इस सभा द्वारा 1966 के बजट अधिवेशन तक अंतिम रूप से मंजूर किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 30 सितम्बर, 1964/8 आश्विन, 1886 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, the 30th September, 1964/Asvina 8, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—1399(D) LSD—3-12-64—600